खण्ड-408, अंक-6
बुधवार, 1 पौष, शक संवत् 1915
(22 दिसम्बर, 1993 ई0)

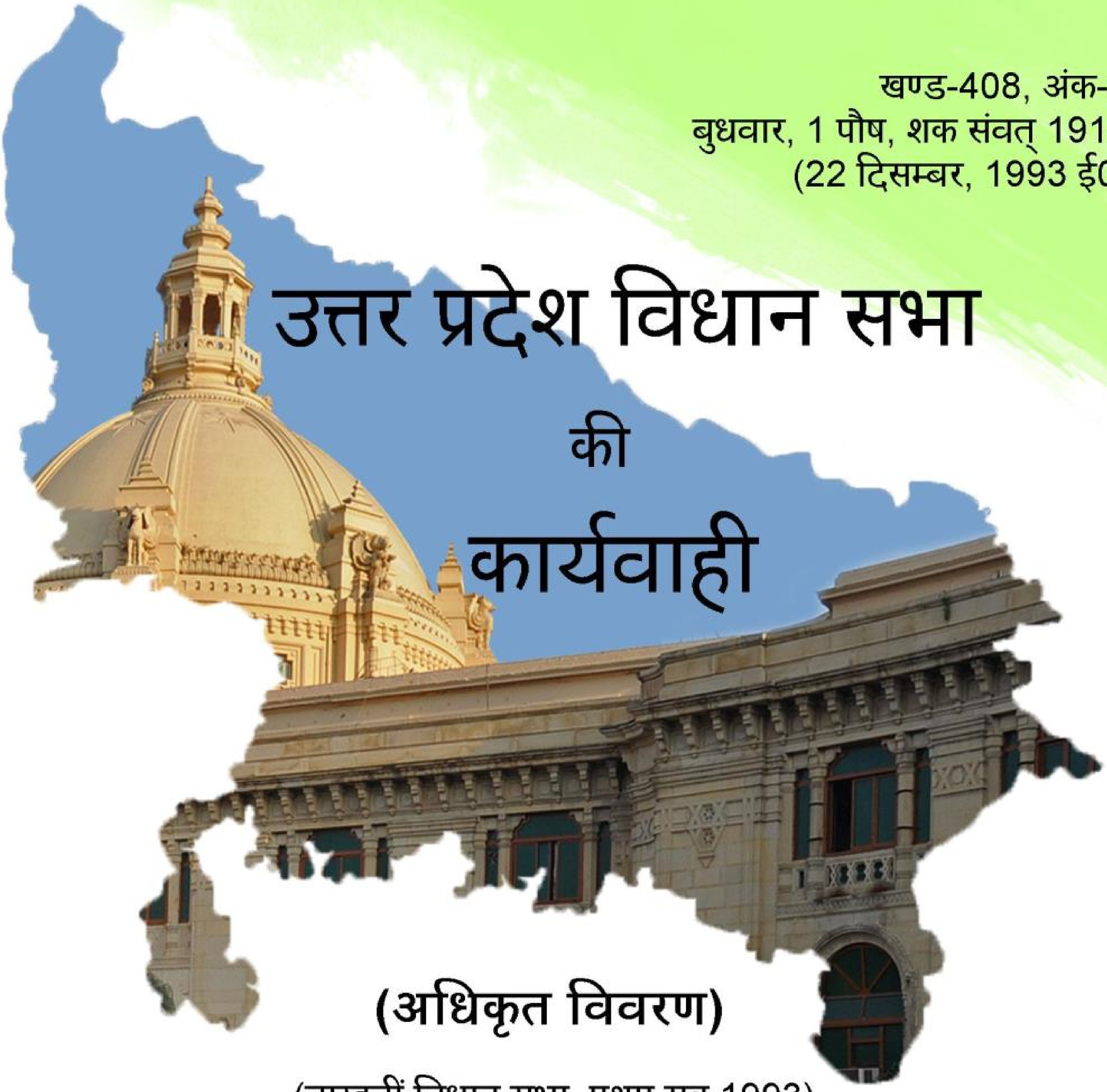

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1993)

खण्ड 408 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1993

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
नियम 315 के अन्तर्गत श्री कल्याण सिंह द्वारा विधान सभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण	
नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास ...	2
प्रश्नोत्तर	2-8
प्रश्नकाल के शेष समय में अनुपूरक प्रश्नों के लिये समय की मांग ...	8-10
अयोध्या काण्ड के वरिष्ठ अभियुक्तों को न्यायालय में न ले जाने तथा उन्हें बिना शर्त रिहा किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	10-12
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	13
जनपद शाहजहांपुर के तहसील पुवायां के किसानों का धान निर्धारित मूल्य पर क्रय किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा, मुस्करा तथा कवरई में वनरोजों द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद गोण्डा में वभनान शुगर मिल के गन्दे पानी से किसानों की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14
जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14-15
जनपद हरदोई में विभिन्न मार्गों पर बसों की कमी तथा परिवहन विभाग द्वारा बसें चलायी जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	15
जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली तिकरेनिया अन्तर्गत ग्राम अमीर खां का पुरवा निवासी श्री अब्दुल गफ्फार व श्री मैकूलाल पर अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के अन्तर्गत हाथरस ब्रांच नहर की पटरी कटने कतिपय गांवों की भूमि जल प्लावित होने तथा मुआवजे की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16
दस्यु ग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि का उपयोग न होने तथा अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	16-17

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर की पट्टी चौरास में जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल का कार्य पूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	17
जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से उत्पन्न दैवी आपदा से प्रभावित लोगों को राहत कार्य पहुंचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	17-18
जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज के अन्तर्गत रामगंगा नदी के किनारे शीघ्र पक्का बांध बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	18
ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के अध्यक्ष पद पर नामित श्री वी० पी० वर्मा के यात्रा भत्ता आदि के भुगतान में ऊर्जा विभाग की लापरवाही एवं अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	18-19
जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी की धारा द्वारा कटान से कतिपय विकास खण्डों में तबाही एवं खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19
जनपद सुल्तानपुर में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दुधारु पशुओं के क्रय हेतु दिये जाने वाले ऋण के वितरण में घोर अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	19-20
जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर को तहसील स्थापित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	20
चिकित्सा विभाग की विद्युत सेल अभियंत्रण सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	20-21
जनपद आगरा के कस्बा कागारौल के 33 के० वी० ए० सब स्टेशन पर शीघ्र ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद बहराइच के हुजूरपूर ब्लाक के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का पक्का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	21
जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व तहसील भिकियासैण के अन्तर्गत कतिपय इण्टर कालेजों में प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22
जनपद गाजीपुर में थाना गहमर की पुलिस चौकी बारा द्वारा पंचायत भवन एवं कोआपरेटिव भवन पर अवैध कब्जे के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	22-23
जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा के अन्तर्गत ग्राम सभा गोडसरा में विद्युत तार की चोरी की समस्या होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	22

विषय	पृष्ठ संख्या
जूनियर हाई स्कूल अमेठी जनपद लखनऊ के जीर्ण शीर्ण भवन की मरम्मत एवं निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23
जनपद मुरादाबाद में विकास खण्ड मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा गोधी के प्रधान श्री मुबारक अली द्वारा सरकारी धन का गबन एवं दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	23-24
शाहजहांपुर बरेली मार्ग पर बाई पास बनाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24
जनपद हरदोई में सिंचाई विभाग के शारदा सहायक निर्माण खण्ड हरदोई लखनऊ ब्रांच पर पिलखिनी माइनर की टेल गूल ग्राम दमगढ़ा तक तत्काल बढ़ाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24
प्रदेश में चीनी मिलों के विस्तारीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	24-25
उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	25
जनपद गोण्डा में बलरामपुर चीनी मिल लि० बलरामपुर द्वारा गन्ना किसानों का शोषण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	26
जनपद बदायूं के नगरपालिका बबराला में बालिका इन्टर कालेज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	26
प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री राज्यपाल द्वारा की गयी घोषणाओं को कार्यान्वयन पर रोक लगाये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	27-31
जनपद फतेहपुर के अधिकारियों द्वारा पूर्व शासनादेशों का उल्लंघन करके सार्वजनिक भवनों का शिलान्यास किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न ...	31-32
कार्य मंत्रणा समिति में किये गये निर्णय के विपरीत नियम 300 एवं 301 की सूचनाओं को लिये जाने पर आपत्ति	32
विधान सभा सत्र के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी पौड़ी गढ़वाल द्वारा जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	33
दिनांक 16 दिसम्बर 1993 को सदन में घटी घटना के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	33-34

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा सत्र के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	34-37
"तुलसीदल" नामक पुस्तक में प्रकाशित जातक कथाओं को लेकर जनपद फैजाबाद में हिंसात्मक आन्दोलन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	38-41
आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्तों की पदोन्नति में आरक्षित पदों पर नियुक्ति न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	41-42
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां (पटल पर रखी गयीं)	42
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अगस्त, 1992 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां (पटल पर रखी गयी)	43
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति (पटल पर रखी गयीं)	43
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 29 मई, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति (पटल पर रखी गयी)	43
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 सितम्बर, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति (पटल पर रखी गयीं)	44
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 30 सितम्बर, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां (पटल पर रखी गयीं)	44
उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली 1993 (पटल पर रखी गयी)	44
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1993 (सदन के पटल पर रखी गई)	44-45
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	45
प्रदेश से बिक्रीकर समाप्त किये जाने विषयक आज के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न–2 से संबंधित दी गयी नियम 49 की सूचनाओं पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार करने की सूचना	45-46
उत्तर प्रदेश म्युनिस्पैलिटीज नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1993 (पारित)	46-52
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	52-102
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	102

विषय	पृष्ठ संख्या
दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को सदन में घटी हिंसक घटना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	102
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	102-103
मंत्रि-परिषद में विश्वास का प्रस्ताव (स्वीकृत)	103-107
दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को सदन में घटी हिंसक घटना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	107-109
कार्यसूची की शेष मदों को समाप्त किये जाने की सूचना	109
सदन के संचालन में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापन	110
सदन को अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	110-111

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 1993

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अरविन्द कुमार, श्री ललितपुर

2–चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री फर्रुखाबाद

3–जगरनाथ चौधरी, श्री जौनपुर

4–जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर

5–महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री आगरा

6–राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद

7–राजबीर सिंह, श्री अलीगढ़

8–रानी देव लता, श्रीमती सहारनपुर

9–राम कुमार शुक्ल, श्री लखनऊ

10–राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री फर्रुखाबाद

11–राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती

12–विक्रमा सिंह, श्री बलिया

13–वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री अलीगढ़

14–संग्राम सिंह यादव, श्री बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 दिसम्बर, 1993

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

नियम 315 के अन्तर्गत श्री कल्याण सिंह द्वारा विधान सभा की सदस्यता की शपथ ग्रहण

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 315 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं पहले एक जानकारी सदन को दे दूं।

श्री अध्यक्ष–

पहले माननीय गुप्त जी को बोलने दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप नियम 315 देखें। सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्य की सापेक्ष अग्रेता

श्री महबूब अली–

मान्यवर, पहले सारे नियमों को निलम्बित करते हुए मेरी बात सुन लें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी तथा अध्यक्ष के अन्यथा निदेश के अधीन रहते हुए सदन के समक्ष विभिन्न वर्गों के कार्यों की, जो नीचे निर्दिष्ट किये गये हैं सापेक्ष अग्रेता निम्नलिखित क्रमानुसार होगी सबसे पहले शपथ अथवा प्रतिज्ञान लिया जायेगा। मान्यवर, नेता विरोधी दल माननीय कल्याण सिंह आज यहां आ गये हैं और इस समय वह आपके चैम्बर में विराजमान हैं। मैं नियम 315 के अधीन आपसे प्रार्थना करता हूं कि पहले आप श्री कल्याण सिंह को शपथ दिला दें।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 315 के अन्तर्गत और परम्परा के अनुसार भी कार्यवाही प्रारम्भ होने से पहले शपथ दिलाई जा सकती है। अतः मैं माननीय कल्याण सिंह जी को शपथ लेने के लिए आमंत्रित करता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

(भा० ज० पा० के सदस्यों ने अपने स्थान पर खड़े होकर जय श्री राम और कल्याण सिंह जिन्दाबाद के नारे लगाये)

(श्री अध्यक्ष ने माननीय नेता विरोधी दल श्री कल्याण सिंह को शपथ दिलाई)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(शपथ के उपरान्त श्री कल्याण सिंह जिन्दाबाद, कल्याण सिंह तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, झूठे मुकदमें वापस लो आदि नारे लगाये गये जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को उठाने का प्रयास

श्री महबूब अली–

मान्यवर, पहले सारे नियमों को शिथिल करते हुए मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हो जाने दें उसके बाद मैं आपकी बात सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री महबूब अली–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपसे कहा है कि पहले प्रश्न हो जाने दें । माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उसे कार्यवाही में लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुकदमा फर्जी था तब यह सरकार क्या करती हम तो चाहते थे कि मुकदमा वापस लेकर ससम्मान वापस करना चाहिए था ।

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष–

मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न–1 को ले रहा हूं । (व्यवधान)

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न)

राज्य सरकार द्वारा गांवों में सोलह घण्टे बिजली दिये जाने की कार्य योजना

**1–श्री हृदय नारायण तथा श्री बालेश्वर त्यागी–(अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांवों को 18 घंटे बिजली देने की नई सरकार की घोषणा को क्रियान्वित करने के लिये कोई कार्य योजना नई सरकार ने बनाई है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

राज्य सरकार ने किसानों को 16 घंटे विद्युत की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। इस हेतु जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को दो समूहों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक समूह को आठ घंटे दिन व आठ घंटे रात्रि में विद्युत की आपूर्ति की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विद्युत उत्पादन में वृद्धि की जा रही है तथा पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है।

(सहकारिता एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री द्वारा अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पढ़ा गया)

श्री महबूब अली–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

बिना मेरी अनुमति के जो कुछ भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। चूंकि प्रश्नकर्ता सदस्य नहीं है अतः मैं अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या –2 ले रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में लिखा नहीं बिक्रीकर के विकल्प की जानकारी जायेगा।

श्री जगदम्बिका पाल, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री नरेश अग्रवाल, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री प्रमोद तिवारी, श्री अमित अग्रवाल, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री बदन सिंह, श्री अम्बिका सिंह तथा श्री श्याम देव राय चौधरी–

**2–क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश से बिक्री कर समाप्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा ? बिक्री कर समाप्ति से हुये राजस्व की क्षति की भरपाई सरकार कहां से करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करते हुए बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। उसके प्रारूप पर शीघ्र विचार किया जायेगा।

नोट :–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि नयी सरकार के गठन,.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, पहले इनकी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं लिखा जायेगा । प्रश्नों के बाद मैं इनकी बात सुन लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

[x x x]

श्री अध्यक्ष–

नहीं, मेरी अनुमति के बिना कुछ नहीं लिखा जायेगा । प्रश्नों के बाद मैं इनकी बात सुन लूंगा ।

(श्री महबूब अली सदन के फ्लोर पर आकर अपनी बात कहने लगे कि सारे नियमों को निलम्बित कर पहले मेरी बात सुन ली जाय)

[11 बजकर 10 मिनट]

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप प्रश्नकाल के तुरन्त बाद इनकी बात सुन ले ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने पहले ही नेता, जनता पार्टी से निवेदन कर लिया है कि यह प्रश्न जैसे ही समाप्त होंगे, मैं इनको सुन लूंगा ।

(श्री महबूब अली अपने स्थान पर वापस गये)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था, वह व्यापारियो से सीधे-सीधे जुड़ा सवाल है, जनजीवन से जुड़ा सवाल है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं इस सरकार ने चुनाव से पूर्व व्यापारियों से वायदा किया था कि हम जिस दिन सत्तारूढ़ होंगे, इस प्रदेश में बिक्रीकर को समाप्त कर देंगे और इसके लिये नेता सदन मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश के व्यापारियों का आह्वान किया कि आप लोग नवम्बर से प्रदेश में बिक्रीकर देना बन्द कर देंगे और दिसम्बर से हम पूरे प्रदेश में बिक्रीकर समाप्त कर देंगे, लेकिन जो प्रश्न का उत्तर आया है, उसको मान्यवर, आप देखें, कितने हल्के ढंग से सरकार ने उत्तर दिया है और कहा है कि "राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करते हुये बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके वैकल्पिक

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

व्यवस्था की जायेगी । उसके प्रारूप पर शीघ्र विचार किया जायेगा ।" इस प्रकार मान्यवर, इन्होंने वर्तमान व्यवस्था समाप्त करके राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित करने पर ज्यादा जोर दिया है, इसका मतलब यह हुआ कि जब तक राजस्व प्राप्ति सुनिश्चित नहीं हो जायेगी, तब तक बिक्रीकर समाप्त नहीं होगा तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती, बिक्रीकर समाप्त करने के संबंध में इस सरकार की नीति क्या है ? दूसरी बात कही गयी कि प्रारूप पर शीघ्र विचार किया जायेगा, यह यथाशीघ्र, अतिशीघ्र, शीघ्रातिशीघ्र से कैसे काम चलेगा । मान्यवर, बिक्रीकर समाप्त करने का मुद्दा इनके घोषणा-पत्र में प्रमुख रूप से है, मेरे पास इनका घोषणा-पत्र भी है । मैं सरकार से स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूं कि बिक्रीकर कब तक समाप्त कर दिया जायेगा और क्या यह सरकार कोई समय सीमा निर्धारित करके इसके लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार ने क्या नीति तैयार की है या अद्यतन क्या कार्यवाही की है, इसके संबंध में सरकार स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, बिक्रीकर प्रदेश की राजस्व का प्रमुख स्रोत है । वर्तमान बिक्रीकर व्यवस्था से होने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये तथा व्यापारियों की सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राजस्व को सुनिश्चित करते हुये बिक्रीकर की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जायेगी जिससे कर दाताओं को कठिनाई न हो ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सरकारी नोट पढ़ रहे हैं । (व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, सरकारी नोट नहीं पढ़ा जायेगा तो क्या गैर सरकारी नोट पढ़ा जायेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जगदम्बिका पाल के नाम के बाद मेरा नाम प्रश्न के क्रमानुसार है ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो भी उत्तर आया है, उसके सम्बन्ध में माननीय पाल जी ने जो स्पष्ट किया कि सरकार की नीयत पहले इस बात पर है कि राजस्व हम सुनिश्चित कर लें, उसके बाद हम बिक्रीकर समाप्ति की बात करें, यानि योजना के प्रारूप पर विचार किया जायेगा । मैं केवल दो बातें आपसे पूछना चाहूंगा, पहली यह कि समाचार पत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री बनने से पूर्व यह बात कही थी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद 45 मिनट के बाद बिक्रीकर समाप्त नहीं कर दें तो मेरा.....

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या सरकार अपने उस वायदे से मुकर गयी है ? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी ने नवम्बर में बिक्रीकर समाप्त करने का जो वायदा किया था और व्यापारियों से सार्वजनिक रूप से यह कहा था कि 1 नवम्बर

से बिक्रीकर देना बन्द कर दो ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 1 नवम्बर, 1993 से जो बिक्रीकर जमा किया गया है, क्या सरकार उस बिक्रीकर को जिन व्यापारियों द्वारा जमा किया गया है, उन व्यापारियों को वह बिक्रीकर वापस करेगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

माननीय, सदस्य ने बड़ा लम्बा-चौड़ा सवाल कर दिया । एक तो अखबारों को संज्ञान नहीं लिया जाता, अखबारों का संज्ञान हम नहीं लेते और दूसरे अब सरकार जो है माननीय मुलायम सिंह यादव की है, कल्याण सिंह की नहीं । हम झूठा पोस्टर नहीं लगाते हैं कि "जो कहा सो किया ।" हम जो कहते हैं, सो करते हैं । श्रीमन् 6 महीने के अन्दर, जो हमारे चुनाव घोषणा-पत्र में है उसके अनुरूप बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था इस प्रदेश में लागू कर दी जायेगी, राजस्व को सुनिश्चित करते हुये ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कब से लागू कर दिया जायेगा । मेरे दो प्रश्नों में एक का भी उत्तर नहीं आया । मैंने कहा था कि क्या नवम्बर.....

(कई स यों के एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

यह विचार कब ; होता रहे , कोई समय-सी ा निर्धारित नहीं की गयी । पता नहीं कब तक विचार होता रहेगा ? दो में से किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आया, मान्यवर, उत्तर दिलवा दें । क्या पैसा वापस होगा और कब तक ?

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से....

श्री रवीन्द्र शुक्ल–

आप सरकार की रक्षा कर रहे हैं, श्रीमन् ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं सरकार से बहुत छोटे-छोटे तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं । पहला श्रीमन्, मुलायम सिंह यादव जी ने चुनाव के दौरान यह घोषणा की थी, कि एक नवम्बर से कोई व्यापारी बिक्रीकर जमा नहीं करेगा ? इसमें दो सवाल उठते हैं । जिन व्यापारियों ने बिक्रीकर जमा कर दिया है, क्या उनका बिक्रीकर सरकार लौटायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? दूसरा, जिन व्यापारियों ने इनकी घोषणा के अनुसार बिक्रीकर जमा नहीं किया है, क्या सरकार इस बात की घोषणा करेगी कि उनसे बिक्रीकर नहीं लिया जायेगा ? तीसरा, जैसा कि अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने यहां पर कहा, कि वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है । स्वाभाविक भी है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बिक्रीकर को नहीं हटाया जा सकता है । मैं अनावश्यक रूप से सरकार पर संदेह नहीं करना चाहता हूं, हो सकता है सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर रही हो । परन्तु मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि बिक्रीकर को किस निश्चित तिथि तक समाप्त करने की सरकार घोषणा करेगी ? क्या सरकार इसे

चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगी, यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ? दूसरा, क्या सरकार इसे एक साथ समाप्त करेगी, यदि ऐसा है तो कब तक इसे समाप्त कर देगी ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल पहली बार इस आदरणीय सदन में आये हैं। कदाचित् उनको याद होगा, जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे तो उनका जो चुनावी घोषणा पत्र था.....

(शोर/व्यवधान)

हम अनुशासित होने का सार्टिफिकेट नहीं रखते, पर अनुशासित रहते हैं। चुनावी घोषणा-पत्र आपने भी दिया था परन्तु आपकी सरकार चली गई और घोषणा-पत्र के अनुरूप कोई कार्यवाही नहीं कर पाये बिक्रीकर के संबंध में। परन्तु मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी का जो चरित्र है, वह जो कहते हैं, उसे करते हैं। पता नहीं आप किस चुनावी घोषणा-पत्र की बात कर रहे हैं ? हमने अपने चुनावी घोषणा-पत्र के अनुरूप पहले ही दिन श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शपथ लेने के बाद यह घोषणा की थी कि 6 महीने के अन्दर राजस्व को सुनिश्चित करते हुए बिक्रीकर की वैकल्पिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हुए हम 6 महीने के अन्दर इसे लागू कर देंगे।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, मैंने तीन बिन्दु उठाये थे। दो बिन्दु शेष रह गये हैं, जिनका उत्तर नहीं आया है। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की सार्वजनिक घोषणा के अनुसार जिन व्यापारियों ने 1 नवम्बर से बिक्री कर जमा नहीं किया है, क्या सरकार यह घोषणा करेगी कि उनसे बिक्रीकर नहीं लिया जायेगा, उन्हें माफ कर दिया जायेगा ? दूसरा, यह कि जिन्होंने जमा कर दिया है, उनका पैसा वापस कर दिया जायेगा। क्योंकि आपकी घोषणा को विश्वास में लेकर व्यापारियों ने यह निर्णय लिया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में जो कहा है वही हमारी नीति है और वही हमारी घोषणा है।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं और साथ ही यह सचेत भी करना चाहता हूं कि जब श्री कल्याण सिंह जी यहां कुर्सी पर बैठे थे तो मैंने उन्हें विधान सभा की कार्यवाही को दिखाया था, जब वह यहां पर बी० जे० पी० के नेता थे, उन्होंने कहा था कि बिक्रीकर को समाप्त किया जाना चाहिये, परन्तु अपने घोषणा-पत्र में बिक्रीकर के सरलीकरण की बात कहने लगे थे। इन्होंने जो कहा वह कभी किया नहीं। इसी वजह से 16 महीने के अन्दर इनकी यह दशा हो गई कि इन्हें वहां से यहां पर बैठना पड़ा। सत्य बात तो ये कभी धोखे से भी नहीं बोलते थे। मैं अब आपसे जानना चाहता हूं..... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से दो सवाल स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। आप जो वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, क्या बिक्रीकर को उत्पादन-कर कर देंगे या टर्नओवर टैक्स कर देंगे और

मैं चाहूंगा उसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं और व्यापारियों को दोनों को मिले । सिर्फ उसका लाभ व्यापारियों को ही न मिले और दूसरा यह कि एक निश्चित तारीख बता दें कि किस दिन से बिक्रीकर यह अदा नहीं करेंगे ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी तो इस पर विचार किया जा रहा है माननीय प्रमोद तिवारी एक वरिष्ठ सदस्य है और कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं । (व्यवधान) पूरी बात सुन लीजिये इसका जो भी प्रारूप तैयार होगा उसमें प्रमोद तिवारी जी की राय निश्चित रूप से लेंगे और भी माननीय सदस्यों की राय आयेगी और वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने के लिये, विचार कर लिया जायेगा । जो निश्चित तारीख की बात है मैं कह रहा हूं कि 6 महीने के अन्दर इस वैकल्पिक व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री बिक्रीकर को समाप्त करने की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर रहे हैं । इसका लाभ न व्यापारियों को और न किसानों को और न ही उपभोक्ताओं को मिलेगा यह वही कर रहे हैं जो पहली बार बी० जे० पी० ने किया और न इन्होंने बताया कि नवम्बर में जो बिक्रीकर दे दिया है वह वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा । ऐसा लगता है उस कुर्सी का असर आप पर भी आ गया है । यह लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं यह सच तो कभी बोले ही नहीं आप भी वही कर रहे हैं । इस बात के विरोध में मैं और मेरा कांग्रेस दल स्पष्ट उत्तर न आने के कारण सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी, अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राम आसरे वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कष्ट करेंगे कि जिस वैकल्पिक व्यवस्था की बात आपने की है उस वैकल्पिक व्यवस्था की दिशा में अभी तक किसी भी तरह के उपायों की कार्यवाही की गयी है या नहीं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अभी दो सप्ताह हुये सरकार को गठित हुये तो इस प्रकरण पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं आपसे भी सुझाव आ जायेंगे उनको देखा लिया जायेगा ।

प्रश्नकाल के शेष समय में अनुपूरक प्रश्नों के लिए समय की मांग

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर काफी विचार आ गये हैं । नियम 311 पर नेता जनता पार्टी बोल रहे थे । आप ग्राह्यता पर अपने विचार रखें ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

प्रश्नकर्ता के रूप में मेरा नाम है तो मेरा मौलिक अधिकार है प्रश्न करने का ....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता जनता पार्टी श्री महबूब अली 311 में ग्राह्यता पर बोलें ।

(व्यवधान)

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, यह तो सरासर अन्याय है हमें और प्रश्न पूछने हैं । (व्यवधान) आपने कहा था कि मैं किसी को अपने आचरण से दुखी नहीं होने दूंगा । आप सरकार को संरक्षण दे रहे हैं । (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

प्रश्न काल का अभी काफी समय बाकी है इस सवाल पर काफी माननीय सदस्यों की रुचि है ...

(व्यवधान)

श्री महबूब अली–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या काण्ड के अभियुक्तों (व्यवधान) को क्यों अदालत में नहीं प्रस्तुत किया ?

(कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांत रहें । श्री कल्याण सिंह जी खड़े हैं उन्हें बोलने दें ।

नेता, विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं और आशा है कि मा० संसदीय कार्य मंत्री जी भी उससे सहमत हो जायेंगे । कुल मिलाकर प्रश्नोत्तर काल के लिए एक घण्टा 20 मिनट है और अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के लिये इसमें 20 मिनट है । आज प्रश्न केवल दो हैं और पहला सवाल शोरगुल में चला गया और उत्तर भी नहीं सुन सका । दूसरा प्रश्न बिक्रीकर का है जो महत्वपूर्ण है । मा० सदस्य कुछ प्रश्न सरकार से कहना चाहते हैं और 10 लोगों के नाम दिये गये हैं । मेरी प्रार्थना है चूंकि अभी प्रश्नोत्तर काल 12.20 तक चलेगा, तो जो प्रश्न करना चाहते हैं उन्हें करने दें । इससे तो सरकार को अच्छा मौका मिलेगा अपना दृष्टिकोण रखने का, इसलिये प्रार्थना है कि इस पर प्रश्न करने की अनुमति दें चूंकि समय काफी बाकी है ।

श्री अध्यक्ष–

मा० नेता विरोधी दल की बात मैंने सुनी । इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न में 10 लोगों के नाम दिये गये हैं लेकिन अगर 100 लोग इस प्रश्न पर हस्ताक्षर कर दें तो क्या सभी को बुलाया जा सकता है । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों का समय 20 मिनट हुआ करता है लेकिन आधा घंटा व्यतीत हो गया है ।

यदि आप प्रश्न के महत्व पर बल देना चाहते हैं और अधिक कहना चाहते हैं तो बहुत से नियम हैं उनके अन्तर्गत दे देंगे तो मैं देख लूंगा और सुन भी लूंगा ।

अयोध्या काण्ड के वरिष्ठ अभियुक्तों को न्यायालय में न ले आने तथा उन्हें बिना शर्त रिहा किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

* श्री महबूब अली–

मान्यवर, मैं सदन का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अयोध्या काण्ड के 7 वरिष्ठ मुल्जिमों को न्यायालय में क्यों नहीं ले जा सकी ? हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख गृह सचिव, श्री सुरेन्द्र मोहन ने श्री वर्मा जी की अदालत में यह क्यों लिखकर भेजा कि उन्हें लाने में असमर्थ हैं ? इस प्रदेश की आबादी, मान्यवर, 14 करोड़ है । इसलिये हर व्यक्ति सरकार से जानना चाहता है कि जब यह 7 आदमियों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो प्रदेश की 14 करोड़ जनता की यह सरकार क्या सुरक्षा कर सकती है ?

मान्यवर, अयोध्या कांड के इन मुल्जिमों की यह घृणित कार्यवाही थी, इसलिये इस कार्य के लिये उनको सजा देने की कार्यवाही करने का सरकार आश्वासन दे ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने गंभीर प्रश्न उठाया है कि नियम 311 के अन्तर्गत, इसलिये सत्ता पक्ष से उम्मीद की जाती थी कि अयोध्या काण्ड के जितने अभियुक्त हो सकते हैं, वह चाहे राज्य के हों या केन्द्र के हों, उन सबको कटघरे में खड़ा करेगी राज्य के अभियुक्तों को तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन केन्द्र के जो अभियुक्त थे, उनको कटघरे में खड़ा करने के बजाय दूसरे अभियुक्तों को भी वहां से मुक्त कराने में इन्होंने भागीदारी की है । क्या यह बात प्रदेश की जनता से छुपी रहेगी कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच सांठ-गांठ के तहत ही इस प्रकार की कार्यवाही की गई है ? इस तरह से यह राज्य सरकार...

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी मंशा मैं समझ गया अब आप बैठिये (व्यवधान) मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई ऐसी बात न कहें..(व्यवधान) अध्यक्ष को यह अधिकार होता है...

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम आसरे वर्मा–

आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, अनुमति से मैं बोल रहा हूं, जब तक में अपनी बात न समाप्त कर लूं, किसी को बीच में बोलना ठीक नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात और शेष रह गई है ? रह गई हो तो वह भी कह दीजिए । वैसे आपकी बात पूरी हो गई ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि राज्य सरकार से उम्मीद की जाती थी कि केन्द्र सरकार में बैठे हुए जो अभियुक्त हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा करने का काम किया जायेगा, लेकिन अन्य जो अभियुक्त थे भी उनको कटघरे से निकालने का काम राज्य सरकार और इनके अधिकारियों ने किया है । यह पूरे प्रदेश ही जनता के साथ खिलवाड़ करना है, संविधान की भावना से खिलवाड़ करना है । यह जो साजिश मिलजुल कर की गई है, उसके लिए न तो जनता राज्य सरकार को माफ करेगी और न इनके अधिकारियों को बख्शेगी । इसलिए जो यह नियम 311 में विषय है, उसको आप स्वीकार कर इसे उठाने की अनुमति देने की कृपा करें, ताकि सारी बातें जनता के सामने लाई जा सकें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

(व्यवधान) इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अभियुक्त बम्बई में बैठे हैं, दिल्ली में नहीं बैठे है । यदि आज भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिली है तो जनता दल नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसे यह ताकत दी है ।

(श्री रामआसरे वर्मा, श्री जगदम्बिका पाल एवं उनके दलों के सदस्य एक साथ बोलने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री राम आसरे वर्मा–

जिसने संविधान की हत्या की है, वह सबसे बड़े अपराधी थे..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय सदस्य जगदम्बिका पाल जी कि अभी उन्होंने राव साहब का नाम ला दिया तो आपकी तरफ से आपत्ति आ गई...(व्यवधान) ..मैं आपसे आशा करूंगा कि

(व्यवधान)

आप मेरी बात तो सुन लीजिए । आप कुछ भी नहीं कहने दे रहे हैं । मैं जो कह रहा हूं, उसको सुनियेगा तो, उसके बाद आप कहियेगा । जब एक बात उस दिन तय हो गई कि जो माननीय सदस्य हमारे सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके संबंध में कोई बात नहीं उठाई जा सकती है, तो आप ही उस निर्णय का उन्मूलन क्यों कर रहे हैं ?

मैं आशा करूंगा, कि इस तरह की बात कभी सदन में नहीं आनी चाहिए, जिससे इस तरह का कोई चर्चा का विषय बने । मैं अब श्री मित्रसेन जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपनी बात कहें ।

* श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, 311 के अन्तर्गत जो सूचना आपको दी गई है उसके बारे में निवेदन करना है कि जिस घटना को लेकर पूरे देश, प्रदेश के अन्दर माहौल इतना बिगड़ा, कितना खून-खराबा और आर्थिक क्षति हुई जिससे मान्यवर, देश के अन्दर दरार पड़ गई और दुनिया में हिन्दुस्तान का मस्तक नीचा हुआ । उस घटना में चाहे केन्द्र या प्रदेश के जो भी लोग दोषी रहे हों, उन सब को इस सरकार की शिथिलता के कारण छोड़ दिया गया । आज कोई चोरी करता है तो उसे पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है यह सरकार कहती है कि कानून सबसे बड़ा है, कानून के ऊपर कोई नहीं है । कोई बड़ी से बड़ी ताकत कानून के तहत बच नहीं सकती है । मान्यवर, 6 दिसम्बर की घटना के दोषी लोगों को छोड़ने की जिम्मेदारी किसकी है ? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकार जो कहे उसे करे । जो अधिकारी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए । मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस सूचना का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप आज का एजेण्डा देखें इसमें बीसवां मद जो लगा है वह इसी विषय से संबंधित है । उसके तहत इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा नियम–49 के अन्तर्गत स्वीकार की गई है । इस विषय में जो कुछ भी चर्चा होनी है वह इस आधे घंटे में विस्तार से हो सकती है इसलिये इस विषय को यहीं पर समाप्त कर दिया जाय । दूसरी एक बात मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं । कृपया वे इसे ध्यान से सुन लें । आज विपक्ष के नेता माननीय कल्याण सिंह जी यहां सदन में आये हैं, उनका स्वागत है । आज उनके चेहरे पर जो नमक और लावण्य दिखाई दे रहा है उसके संबंध में मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्हें जेल में रखा गया था या किसी ऐसी जगह भेज दिया था जहां उनके चेहरे पर नूर चमक रहा है । उनको क्या खिलाया है, कृपया इतना बता दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 में यह जो प्रकरण उठाया गया है उसे निरस्त कर रहा हूं और इसमें जो दूसरा प्रकरण है उस पर आगे चर्चा हो ही जायेगी । अब मैं आगे की मद लेता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 36 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए ग्राह्यता के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गई–श्री चेतराम, श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री राम बिशुन आजाद, श्री अरिमर्दन सिंह, श्री विश्राम सिंह यादव, श्री निरवेन्द्र कुमार ''मुन्ना'', श्री बिजेन्द्र सिंह, श्री बैजनाथ रावत, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री महेन्द्र सिंह माहरा, श्री अवनीश कुमार सिंह, श्री हरदेव सिंह, डा० सरजीत सिंह डंग, श्री तेजभान सिंह, श्री मित्रसेन यादव, श्री मुनीश गौड़, श्री बदन सिंह, श्री मयंकर सिंह, श्री बची सिंह रावत, श्री जयराम कुशवाहा, श्री ओम प्रकाश, श्री अजय कुमार पोइया, श्री महबूब अली, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री राम खेलावन, श्री जगदम्बिका पाल, श्री मुक्तिनाथ यादव, श्री विनय कुमार पाण्डेय, श्री बनवारी सिंह यादव तथा श्री रमेश पोखरियाल निशंक की सूचना को नियम 301 के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है और जो श्री मन्नूलाल कुरील, श्री चन्द्र विजय सिंह, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री किशन लाल दिलेर, श्री इरशाद तथा श्री शराफतयार खां, इनकी सूचनाएं व्यक्तिगत थीं, इसलिये इनको अस्वीकार किया गया है ।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयी ।)

जनपद शाहजहांपुर के तहसील पुवांया के किसानों का धान निर्धारित दर पर क्रय किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चेतराम–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र पुवांया के किसानों की तरफ से उनकी समस्याओं को आपके पास आपके संज्ञान में ला रहा हूं :–

तहसील पुवांया जनपद शाहजहांपुर अनाज-उत्पादन में उत्तर प्रदेश में अग्रणी रहा है । लेकिन किसानों को अपनी फसल का समुचित लाभ नहीं मिल पाता है ।

वर्तमान समय में पुवांया तहसील में धान खरीद केन्द्र नहीं और न ही लगाये गये हैं जिस कारण मजबूर होकर किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित दर से काफी कम दर पर अपनी तैयार फसल धान को बिचौलियों के हाथ बेचना पड़ रहा है । खुले रूप से किसानों का शोषण हो रहा है तथा किसानों में काफी आक्रोश है ।

अतः आपके माध्यम से मैं इस जनहित के अविलम्बनीय प्रश्न के माध्यम से सदन के संज्ञान में यह बात ला रहा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कृपया अपने स्तर से सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें, कि तत्काल किसानों को निर्धारित दर पर धान खरीदें जाए ।]

जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा, मुस्कारा कबरई में बनरोजों द्वारा किसानों की फसल नष्ट करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल–

[मान्यवर, जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड कुरारा मुस्करा तथा कबरई में हजारों बनरोज किसानों की सम्पूर्ण फसल नष्ट कर देते हैं । किसान खेतों से बीज भी नहीं ले जा पाते हैं । अतः माननीय सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि या तो बनरोजों का सफाया करा दिया जाय या इन्हें पकड़वाने की व्यवस्था की जाय । क्षेत्र के किसान बनरोजों के उत्पात से बहुत ही परेशान एवं अन्दोलित हैं ।]

जनपद गोण्डा में बभनान शुगर मिल के गन्दे पानी से किसानों की क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दिये जाने की मांग के संबन्ध में 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम बिशुन आजाद–

[मान्यवर, बभनान शुगर मिल जनपद गोण्डा का गन्दा पानी विगत कई वर्षों से विकास खण्ड छपिया के बभनी और माहरा गौरा गांव के किसानों के खेतों में फैल रहा है जिससे दोनों फसले रबी और खरीफ बुरी तरीके से नष्ट होती है । जिससे छोटे-छोटे किसानों को फसल क्षति पूर्ति का मुआवजा न मिलने से भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं ।

वर्ष 1990 के पहले कृषकों को मिल द्वारा दोनों फसलों के क्षति का मुआवजा मिल द्वारा दिया जाता रहा है परन्तु विगत 1990-91 और 1991-92 , 1992-93 में हुए फसल के नुकसान का क्षतिपूर्ति अभी तक कृषकों को मिल द्वारा नहीं दी गई है ।

आपको यह भी अवगत करा रहा हूं कि हुए कृषकों की फसल के नुकसान की सूची एस० डी० एम० द्वारा बनायी गई है । तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाने की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद हमीरपुर की तहसील महोबा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अरिमर्दन सिंह–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं :–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हमीरपुर जनपद की तहसील महोबा बहुत ही पिछड़ी हुई है जहां पर विद्युत की आपूर्ति की स्थिति कतिपय अधिकारियों की मनमानी के कारण अत्यन्त गंभीर बनी हुई है। सरकार द्वारा देहातों में विद्युत कटौती न करने के आदेश हैं इसके बावजूद महोबा में विद्युत आपूर्ति सिर्फ–2 घंटे से अधिक नहीं होती है जिसके कारण वहां के समस्त उद्योग धन्धे बन्द हो गये हैं। वहां की जनता में भंयकर रोष व आक्रोष व्याप्त है।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि उक्त जनपद में विद्युत की आपूर्ति 16 घंटा निश्चित कराने का कष्ट करें।]

जनपद हरदोई में विभिन्न मार्गों पर बसों की कमी तथा परिवहन विभाग द्वारा बसें चलायी जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम सिंह यादव–

[मान्यवर, हरदोई जनपद में परिवहन विभाग का डिपो है जहां से हरदोई बिलग्राम वाया सांडी तथा हरदोई फर्रुखाबाद वाया हरपालपुर बसें चलती है परन्तु इन्हीं सड़कों से संबद्ध सांडी बिलग्राम वाया जरौती नेवादा तथा हरपालपुर से खरगपुर व हरपालपुर से चौसार व हरपालपुर से महितापुर पक्की डामर रोड बनी है परन्तु इन सड़कों पर बसे नहीं चलती है जिसके कारण इन इलाकों से प्रतिदिन चलने वाले हजारों यात्रियों को तहसील मुख्यालय बिलग्राम तथा जिला मुख्यालय हरदोई व उन्नाव कानपुर फर्रूखाबाद लखनऊ शाहजहांपुर सीतापुर की ओर आने-जाने में काफी कठिनाई व परेशानी होती है जिससे आम जनता में काफी आक्रोश है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद लखीमपुर खीरी की कोतवाली तिकोनिया अन्तर्गत ग्राम अमीर खां का पुरवा निवासी श्री अब्दुल गफ्फार व श्री मैकूलाल पर अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

* श्री निरवेन्द्र कुमार ''मुन्ना''–

[मान्यवर, जनपद लखीमपुर खीरी का थाना कोतवाली तिकोनिया अन्तर्गत स्थित ग्राम अमीर खां का पुरवा निवासी श्री अब्दुल गफ्फार खां व अनुसूचित जाति के श्री पुत्तूलाल पुत्र श्री मैकूलाल को गत दिनांक 14 दिसम्बर, 1993 को तिकोनिया थाने में तैनात दो कांस्टेबलों की सलाहउद्दीन व श्री मोहनलाल द्वारा उन्हें अवैध रूप से पकड़कर उनकी पिटाई करने के बाद फर्जी मुकदमें में फंसा देने की धमकी देकर उनकी जेबों से क्रमशः दो सौ पचास व दो सौ रुपये वसूल लिये थे। इस प्रकार की घटनाएं वहां लगभग नित्यप्रति ही घटित होती रहती है।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस प्रकरण में तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करके कृत कार्यवाही से अवगत कराने का कष्ट करें।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास के अन्तर्गत हाथरस ब्रांच नहर की पटरी कटने से कतिपय गांवों की भूमि जल प्लवित होने तथा मुआवजे की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिजेन्द्र सिंह–

[मान्यवर, वर्तमान समय में प्रदेश का किसान रबी की बोवाई में व्यस्त है वह अपनी फसल के अच्छे उत्पादन के लिये बेहतर सिंचाई की व्यवस्था करना चाहता है । इस समय अलीगढ़ जनपद के इगलास तहसील की हाथरस ब्रान्च नहर की पटरी कटने के कारण गुरसेना चिरौली, गिदौली, करथला, इगलास लालपुर, कैम्थल, विशनपुर आदि गावों की लगभग 500 एकड़ जमीन जलप्लावित हो गयी है । किसानों की फसल में करीब 3 फुट पानी में डूब चुकी है । जिससे किसानों की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है । खेत पानी में डूबने के कारण यदि किसान पुनः रबी फसल की बोवाई भी करना चाहे भी, तो वह विवश है । भविष्य में किसानों के समक्ष भुखमरी का संकट पैदा हो जाने का गम्भीर खतरा पैदा हो गया है । सिंचाई विभाग एवं जिला प्रशासन से किसानों को कोई आर्थिक सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । यदि किसानों को शासन से नुकसान हुये फसल की क्षतिपूर्ति नहीं की गयी, तो भविष्य में वहां का किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच जायेगा ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार किसानों को प्रति एकड़ क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाय तथा सभी वसूली तत्काल रोकी जायं जो लोग नहर के काटने में दोषी हैं उन्हें दण्डित किया जाय उक्त प्रस्ताव पर एक वक्तव्य दिलाने की मांग करता हूं ।]

दस्युग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु प्राविधानिक धनराशि का उपयोग न होने तथा अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बैजनाथ रावत–

[1] मान्यवर, दस्युग्रस्त क्षेत्रों के ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु 1992-93 में प्राविधानित रुपया दो करोड़ की राशि उपयोग न हो पाने के कारण पत्रांक 1415पी–1/93-23 दिनांक 31-3-93 द्वारा समर्पित की गयी है । इसी प्रकार ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति विषयक विशेष सचिव, ऊर्जा की टिप्पणी दिनांक 29-8-92 द्वारा मुझे एवं संयुक्त सचिव, ऊर्जा की टिप्पणी दिनांक 21-11-92 द्वारा ऊर्जा मंत्री को प्रस्तुत पत्रावलियों एवं अभिलेखों से स्पष्ट हुआ, कि इनमें तथ्यों से परे व असंगत टिप्पणी प्रस्तुत की गयी है । ऊर्जा विभाग द्वारा नियमों व सचिवालय मैनुअल तथा सक्षम स्तर तक अनुमोदन से कार्यवाही नहीं की गयी है । 1-4-91 को श्री वी० पी० वर्मा के इस समिति का अध्यक्ष नामित होने तक इसके पूर्व गठन को समाप्त/विघटित किये जाने या इसके नवीन/पुर्नगठन की कार्यवाही अधिसूचना जारी नहीं की गयी पत्रावली संख्या 209पी./85 में सृजित समिति के पदों को समिति समाप्त होने तक प्रतिवर्ष निरन्तरता प्रदान करने का प्राविधान है तथा समिति के वेतन बिल सितम्बर, 1990 में इंगित पद को 28-2-90 के बाद निरन्तरता प्रदान करने व संबंधित आदेश प्रतीक्षित रखे जाने की टिप्पणी भी देखी थीं । तदनुसार टिप्पणी सहित कार्यवाही हेतु दोनों पत्रावलियां वापस की थीं । इस संबंध में समिति अध्यक्ष श्री वी० पी० वर्मा द्वारा दिनांक 29-4-91, 6-5-91, 5-6-91 को सचिव ऊर्जा तथा मेरे द्वारा पत्र दिनांक 26-4-93 श्री राज्यपाल एवं पत्र दिनांक 17-12-93 माननीय मुख्य मंत्री व प्रमुख सचिव ऊर्जा को भेजे गये हैं ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस सूचना के माध्यम से उपरोक्त पत्रावलियों में की टिप्पणी तथा पत्रों पर विभागीय कार्यवाही की जानकारी एवं दिनांक 11-12-89 से 31-3-90 तक इस समिति के विभिन्न विषयों पर ऊर्जा विभाग की कार्यवाही अधिसूचनाएं विवरण सहित उपलब्ध कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर की पट्टी चौरास में जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल का कार्यपूर्ण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मातवर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर की पट्टी चौरास में जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल का कार्य धनाभाव के कारण अधर में लटका हुआ है । इस परियोजना में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी धनाभाव के कारण अपने कर्तव्य का पालन पूर्णरूप से नहीं कर पा रहे है । करोड़ों रुपया इस परियोजना पर खर्च हो चुका है आधे से ज्यादा कार्य किया जा चुका है । इस परियोजना को सरकार द्वारा कई वर्षों से अधर में लटकाया हुआ है कभी सरकार इस परियोजना को व्यक्तिगत संस्था को सौंप कर अपना पल्लू झाड़ना चाहती है । किन्तु प्राइवेट सेक्टर में यदि इस परियोजना को दिया गया तो सरकार को काफी हानि उठानी पड़ेगी साथ कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी बेरोजगार हो जायेंगे । छंटनी शुरू होगी ।

अतः सुझाव है कि जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल को सरकार को किसी हालत में प्राइवेट सेक्टर में नहीं देनी चाहिए बल्कि परियोजना के कार्य को पूर्ण करने हेतु धन आवंटित करना चाहिए । इसी में जनहित है ।]

जनपद पिथौरागढ़ में अतिवृष्टि से उत्पन्न दैवी आपदा से प्रभावित लोगो को राहत पहुंचाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

[मान्यवर, तिब्बत चीन तथा नैपाल की सीमा में स्थित जनपद पिथौरागढ़ का 11/12 सितम्बर, 1993 को हुई अतिवृष्टि से देश के अन्य भागों से सम्पर्क टूट गया था लगातार 17 दिनों तक सड़क सम्पर्क नहीं हो पाया था, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश रास्ते नहरे पेयजल की लाइने, विद्यालय भवन व निजी चल अचल सम्पत्ति का ही नुकसान नहीं हुआ वरन् अनेकों जाने भी गई । कई दिनों तक शासन और प्रशासन का संबंध विच्छेदन भी बना रहा, सामाजिक राजनैतिक कार्यकर्ताओं एवं प्रशासन द्वारा बार-बार आग्रह करने के उपरान्त ही महामहिम राज्यपाल महोदय ने सितम्बर, 1993 में हवाई सर्वेक्षण करके जनपद के चम्पावत तहसील मुख्यालय में जनता के मध्य 8 करोड़ रुपये की राहत शीघ्र देने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक कुछ भी राहत नहीं मिल पायी है जिससे जनता में व्यापक रोष व्याप्त है । और शासन से विश्वास हट रहा है क्यों कि ऐसी दैविक आपदाओं में सम्पूर्ण देश में हमेशा तुरन्त राहत बांटी जाती रही है लेकिन इस सीमान्त जनपद की उपेक्षा की गई है यह आपदा उत्तरकाशी में आये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भूकम्प से भी अधिक भयंकर थी, परन्तु सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैये से स्थिति और भी गम्भीर व विस्फोटक बनी हुई है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री से इस दैविक आपदा को दूर करने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं के विकास खण्ड दातागंज अन्तर्गत राम गंगा नदी के किनारे शीघ्र पक्का बांध बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अवनीश कुमार सिंह–

[मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान एक अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र दातागंज, जनपद बदायूं के ग्राम रूपुमपुर में राम गंगा नदी के किनारे सन् 1991-92 में मिट्टी के बांध का निर्माण किया गया था, जिस स्थान पर बांध का निर्माण हुआ था वहां बरसात में राम गंगा नदी के जल स्तर बढ़ने से पानी निकल जाता था जिसके कारण विकास खण्ड समरेर व विकास खण्ड दातागंज के लगभग 50 ग्राम बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं इस वर्ष माह सितम्बर में कालागढ़ बांध से एकाएक पानी छोड़े जाने से राम गंगा नदी में भीषण बाढ़ के कारण यह मिट्टी का बांध कट गया जिससे इन ग्रामों के अधिकांश मकान बाढ़ के पानी से गिर गये तथा फसलें पूरी तरह से चौपट हो गयीं है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को दृष्टिगत रखते हुए मेरी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि इस बांध को युद्ध स्तर पर ठीक कराया जाये तथा इसको पत्थर लगाकर पक्का किया जाये जिससे कि आगामी बरसात में इन सभी गांवों की फसलों तथा मकानों की रक्षा हो सके ।]

ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के अध्यक्ष पद पर नामित श्री वी० पी० वर्मा के यात्रा भत्ता आदि के भुगतान में ऊर्जा विभाग की लापरवाही एवं अनियमितताओं के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरदेव सिंह–

[मान्यवर, सम्मानित सदन का ध्यान ऊर्जा विभाग की लापरवाही एवं अनियमितताओं की ओर दिलाना चाहूंगा । 1980 में गठित ग्रामीण विद्युतीकरण समन्वय समिति के अध्यक्ष पद पर 1-4-91 को नामित श्री वी० पी० वर्मा के यात्रा भत्ता, स्टाफ कार के मेटिनेंस व पेट्रोल व्यय तथा कार्मिकों के अवकाश नकदीकरण, पुनरीक्षित वेतनमान, वेतन व अन्य अवशेष वर्षों से विलम्बित हैं जबकि मार्च 93 व पूर्व में भुगतान की कार्यवाही की गयी है तथ्यहीन सूचनाओं के कारण उत्पन्न परिस्थिति में अप्रैल 1991 के अन्तिम सप्ताह में सचिव, ऊर्जा और श्री वी० पी० वर्मा की वार्तानुसार, समिति में अन्य कोई कार्मिक न होने के कारण विशेष कार्याधिकारी, श्री राजेश कुमार को पूर्ववत कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था । तदनुसार विशेष कार्याधिकारी द्वारा बीजक व वांछित सूचनाएं विभाग को उपलब्ध करायी गयीं । इस संबंध में सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा को प्रेषित श्री वर्मा द्वारा पत्र दिनांक 29-4-91, 6-5-91, 5-6-91, 13-1-92, 25-9-93, 7-12-93 तथा स्टाफ आफिसर, सलाहकार के पत्रांक 1669 दिनांक 30-9-93 एवं माननीय नगर विकास मंत्री के पत्रांक 16 नविम दिनांक 8-12-93 विचाराधीन हैं ।

ऊर्जा विभाग द्वारा उपरोक्त पत्रों व सही तथ्यों को दबाने एवं उच्च स्तर पर गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है ।

अतः इस सूचना के माध्यम से मैं भुगतान में विलम्ब की जांच तथा शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद मिर्जापुर में गंगा नदी की धारा द्वारा कटान से कतिपय विकास खण्डों में तबाही एवं खतरा उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* डा० सरजीत सिंह डंग–

[मान्यवर, मिर्जापुर जनपद में गंगा की धारा द्वारा कटाव से ग्राम बबुरा विकास खण्ड छानवे से लेर विकास खण्ड कोन तथा नगर क्षेत्र में विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी है ।

गंगा की धारा कटाव के कारण जहां बबुरा ग्राम का अधिकांश भाग गंगा की धारा में विलुप्त होता जा रहा है वहीं विंध्याचल में घाटों को गंगा छोड़ती जा रही है और वहां गंदा जल एकत्र होकर महामारी का कारण बन सकता है ।

नगर के क्षेत्र के ऐतिहासिक तथा प्रसि पक्का घाट, सुन्दर घाट, बरिया घाट, बाबा घाट इत्यादि कट-कट कर नदी में गिर रहे हैं । घाटों पर स्थित आवासीय भवनों में से कई कगार नष्ट हो चुके हैं तथा यह प्रक्रिया भी जारी है ।

पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर के आवास को जाने वाली सड़क को गंगा से कटाव न रोका गया तो आने वाले 5 वर्षों में गंगा जी में समा जायगी तथा इस मार्ग से होकर जिन ग्रामों और मुहल्लों में जमा हो जाता है पूर्णतया अलग होकर कट जायेंगे ।

सिंदरपुर एवं फतहों की मल्लाह एवं हरिजन बस्ती भी कटाव के कारण आंशिक रूप से गंगा की भेंट चढ़ चुकी हैं ।

लोक महत्व के इस प्रश्न पर मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए इस पर चर्चा/कार्यवाही का अनुरोध करता हूं ।]

जनपद सुल्तानपुर में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दुधारु पशुओं के क्रय हेतु दिये जाने वाले ऋण वितरण में घोर अनियमितताओं के संबंध में नियम 301के अन्तर्गत सूचना

*श्री तेजभान सिह–

[मान्यवर, जनपद सुल्तानपुर में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दुधारु पशुओं की खरीद के लिये लाभार्थियों को दिये जाने वाले ऋण के संबंध में घोर अनियमिततायें बरती जा रही हैं । लाभार्थी को जो ऋण उपलब्ध होता है उसके बदले लाभार्थी के बिना मरजी हरियाणा प्रदेशों के पशु खरीद कर उपलब्ध कराये जाते हैं । हरियाणा आने जाने की कठिनाई तथा मूल्य वृद्धि तथा सरकार का वहां से यहां लाने में एक हजार का खर्च निरर्थक रूप से व्यय होता है । किसान अपनी मरजी माफिक पशु भी नहीं खरीद पाता है तथा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की जलवायु एक न होने के कारण लाये गये पशु यहां पर जलवायु के अनुकूल न ढल पाने के कारण दूध देने में भी बेकार साबित होते हैं । उपरोक्त क्रम में

स्थानीय अधिकारियों, दलालों की भरमार होने से तथा लाभार्थी को न सुने जाने से बड़ा ही असंतोष तो व्याप्त है ही सरकार की योजना भी खटाई में पड़ती जा रही है जबकि पड़ोसी जिले लखनऊ, बाराबंकी एवं रायबरेली में सीधे लाभार्थी को पैसा दिया जाता है ।

उक्त सूचना देते हुये आदरणीय सदन से अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल उच्च स्तरीय जांच सदन के माध्यम से करायी जाये तथा इस कृत्य में लिप्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर तहसील स्थापित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मित्रसेन यादव–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना आदरणीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं । जनपद फैजाबाद के मिल्कीपुर विधान सभा क्षेत्र में एक कृषि विश्वविद्यालय, 2 डिग्री कालेज, एक दर्जन इण्टर कालेज, तीन विकास क्षेत्र, 28 न्याय पंचायतें, 270 गांव सभाएं एवं कई लाख आबादी और हजारों किमी० क्षेत्रफल निहित है वर्ष 1980 एवं 1985 की विधान सभा में ब्लाक प्रमुख कमलासन पाण्डेय, रामचन्द्र यादव, चौधरी महेन्द्र प्रताप सिंह, राम कुमार अवस्थी, हरिलाल यादव एवं ब्रह्मानन्द प्रधान आदि ने एक याचिका विधान सभा में प्रस्तुत की थी जिस पर विचारोपरान्त शासन ने जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्रेषित तहसील मिल्कीपुर स्थापित करने का प्रस्ताव विगत 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और तहसील खोलने के सभी मानक और अर्हताएं पूर्ण हैं । हमारा आपसे अनुरोध है कि जनहित में तहसील मिल्कीपुर स्थापित करने की घोषणा करने का शासन को निर्देश देने की कृपा करें ।]

चिकित्सा विभाग की विद्युत सेल अभियंत्रण सेवा में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुनीश गौड़–

[मान्यवर, चिकित्सा विभाग की विद्युत सेल अभियंत्रण सेवाओं में कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचारों के विरुद्ध लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं ।

विभाग की विद्युत सेल लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कर्मचारियों के आर्थिक/मानसिक उत्पीड़न पर किसी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से या कम से कम विद्युत सेल से असम्बन्धित अधिकारी से जांच कराकर रोक लगायी जाय । जांच में कम से कम लखनऊ कार्यरत कर्मचारियों एवं राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ, लखनऊ के मुख्यालय एवं जनपद इकाई को तथा राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, पटुवाडांगर, नैनीताल को भी सुना जाय । गत 7-8 वर्षों में अनेक कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिल आहरण करके विद्युत सेल प्रभारी द्वारा भुगतान नहीं किया गया है या बिलों को दबा दिया गया है तथा अनेक बिलों को खजाने तक में प्रेषित ही नहीं किया जा रहा है । श्री देव सिंह रावत सहित

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अनेक दैनिक वेतन भोगी अस्थाई वर्कचार्ज कर्मचारियों का वर्षों का वेतन आहरण करके भुगतान न करके दबा दिया गया है तथा कुछ अवधि का बिल ही नहीं बनाया जा रहा है कर्मचारी की शिकायतों पर जांच की जा रही है । विद्युत सेल प्रभारी के गुट के लोगों को शासन स्तर से अनावश्यक रूप से सचिवालय प्रवेश पत्र जारी कराने में तीन चार वर्षों से भारी अनियमितता की जा रही है उच्च स्तरीय जांच एवं भविष्य के लिये रोक लगाना जरूरी है शासन स्तर में व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति एवं सांठगांठ बनाये रखने हेतु मात्र एक व्यक्ति विशेष श्री मुजीबुर्रहमान, अवर अभियन्ता को 9 वर्षों से प्रतिनियुक्ति के नियमों के विरुद्ध रोक रखा है । विभाग द्वारा वापस बुलाने पर मूल विभाग में वापस नहीं भेजा जा रहा है । क्योंकि टेक्नोलोजिस्ट के अनेक पद सेवा आयोग के नाम पर रिक्त पड़े हुए हैं परन्तु मुजीबुर्रहमान के बदले दूसरा आदमी बुलाने की कार्यवाही न करना भी सुनियोजित है जिसे समाप्त कराया जाय । कर्मचारियों के गत पांच वर्ष के भुगतान हेतु बकाया यात्रा भत्ता प्रवेश पत्रों के तीन वर्षों का वितरण श्री रावत की कार्य अवधि व उन्हें भुगतान एवं आहरित वेतन तथा बकाया वेतन का वितरण की इस सूचना के उत्तर के साथ अवगत कराया जाय ।]

जनपद आगरा के कस्बा कामारौल के 33 के० वी० ए० सब स्टेशन पर शीघ्र ट्रान्सफार्मर उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बदन सिंह–

[मान्यवर, जनपद आगरा के कस्बा कामारौल के 33 के० वी० ए० सब स्टेशन विद्युत का ट्रान्सफार्मर दिनांक 18 दिसम्बर, 1993 को अचानक फुक गया है अकोला मलपुरा, जैगारा और खेरागढ़ क्षेत्रों के सैकड़ों गांवों की लहाव गेहूं की फसल सूख रही है और क्षेत्र के सभी उद्योग बन्द हो गये हैं असामाजिक तत्व अंधेरे का फायदा उठाकर ग्रामों में जनजीवन को खतरा पहुंचा रहे हैं । किसान और उद्यमियों में बेचैनी फैल गयी है । आगरा का विद्युत प्रशासन निष्प्रभ बैठा हुआ है और अभी तक ट्रान्सफार्मर नहीं पहुंच पाया है ।

यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न उठाकर शासन से मांग करता हूं कि जनपद आगरा के कागारौल कस्बे के 33 के० वी० ए० स्टेशन पर ट्रान्सफार्मर शीघ्र ही रख दिया जाय, ताकि खेती सूखने से बचाई जा सके और उद्योग पुनः शीघ्र जारी कर दिये जायें ।]

जनपद बहराइच के हुजूरपर ब्लाक के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का पक्का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मयंकर सिंह–

[मान्यवर, बहराइच जनपद में हुजूरपुर ब्लाक के अन्तर्गत रमवापुर से सिसवा व प्रेमी दास कुटी से चिलवरिया रेलवे स्टेशन तक (वाया हरिहरपुर) पक्के मार्ग का निर्माण नितान्त जनहित में आवश्यक है, यह मार्ग भारी यातायात का है लगभग पांच लाख की आबादी आधा विकास खण्ड प्रभावित है, विगत वर्षों से इस मार्ग के ऊबड़ खाबड़ होने के कारण एक इक्का पलट जाने से लगभग चार लोगों की मृत्यु हो गयी थी । इस महत्वपूर्ण मार्ग के निर्माण से तीन ब्लाक पयागपुर, हुजूरपुर, चित्तौरा आपस में जुड़ जायेंगे । इसके निर्माण न होने से व्याप्त जन असन्तोष है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर उपरोक्त मार्ग के निर्माण हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व तहसील भिकियासैंण के अन्तर्गत कतिपय इण्टर कालेजों में प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री बची सिंह रावत–

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में अविलम्बनीय लोक महत्व की निम्नलिखित सूचना लाना चाहता हूं :–जनपद अल्मोड़ा की तहसील रानीखेत व तहसील भिकियासैंण में स्थित राजकीय इण्टर कलेजों क्रमशः रा० इ० का० झीका, रा० इ० का० पैसिया, रा० इ० का० बांगाधार, रा० इ० का० पेटाचामी, रा० इ० का० खीडा, रा० इ० का० मौनखाज, रा० इ० का० सराईखतो, रा० इ० का० महरोकी, रा० इ० का० कलैराला, रा० इ० का० मानित्वा, रा० इ० का० स्याल्दे, रा० इ० का० महाकालेश्वर, रा० इ० का० सिबोर महादेव, रा० इ० का० जावली, रा० इ० का० दुबालोखेत, तथा रा० इ० का० चौनकिया में प्राचार्यों के पद खाली हैं तथा प्रवक्ताओं के इन उपरोक्त कालेजों में करीब 150 पद रिक्त हैं ।

शिक्षा सत्र आधे से अधिक व्यतीत हो चुका है तथा इन राजकीय इण्टर कालेजों में प्राचार्य व प्रवक्ताओं के पद रिक्त रहने से पठन-पाठन का कार्य पूरी तरह ठप्प है, जिससे छात्रों व जनता में क्रोध व रोष व्याप्त है ।

अतः मान्यवर, इस संबंध में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही का निर्देश देने की कृपा करें ।]

जनपद गाजीपुर में थाना गहमर की पुलिस चौकी बारा द्वारा पंचायत भवन एवं कोआपरेटिव भवन पर अवैध कब्जों के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयराम कुशवाहा–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा की पुलिस चौकी बारा, थाना गहमर के तरफ लाना चाहता हूं पुलिस चौकी बारा द्वारा पंचायत भवन और कोआपरेटिव की मकान पर अवैध जबरजस्ती कब्जा कर लिया गया है । जिससे जनता भी भयभीत है जबकि पुलिस चौकी को अपना अलग से मकान लेकर कार्य करना चाहिए इससे जनता में काफी आक्रोश है कि जब पुलिस तंत्र ही दूसरे की मकानों पर अवैध कब्जा कर ले रहा है तो आम जनता की क्या बात है । जनता भयभीत है ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा के अन्तर्गत ग्राम सभा गोड़सरा में विद्युत तार की चोरी की समस्या होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड भदौरा के गांव सभा गोड़सरा के तरफ लाना चाहता हूं वहां पर आये दिन विद्युत तार की चोरी की जाती है । जिससे जनता में व्यापक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

रोष है वहां पर बिहार का बार्डर है, चोरों के प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जाती है विद्युत व्यवस्था ठप्प रहती है । इससे जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और जनता में रोष है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं । विद्युत विभाग द्वारा थाने में एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कराने से उससे अवांछनीय तत्वों को और प्रोत्साहन मिलता है इससे विद्युत विभाग की निष्क्रियता साफ दिखाई देती है ।]

जूनियर हाई स्कूल, अमेठी, जनपद लखनऊ के जीर्ण-शीर्ण भवन की मरम्मत एवं निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

जूनियर हाई स्कूल, अमेठी, जनपद लखनऊ के विद्यालय भवन के पांचों कमरों की छतें गिर गयी है दीवालों का प्लास्टर टूट गया है तथा बरामदे की छत भी गिर गई है । विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण होने के कारण असुरक्षित हो गया है इसलिये विगत वर्षों की तुलना में वर्तमान सत्र मे छात्रों की संख्या कम हो गई है ।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उक्त विद्यालय भवन का पुनः निर्माण यथाशीघ्र कराया जाय ।]

जनपद मुरादाबाद में विकास खण्ड मुरादाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा गोधी के प्रधान, श्री मुबारक अली द्वारा सरकारी धन का गबन एवं दुरुपयोग किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महबूब अली–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि प्रधान, ग्राम सभा गोधी, विकास खंड मुरादाबाद, श्री मुबारक अली ने साप्ताहिक बाजार व नखासा की आय वर्ष 1988-89 से 90-91 तक का तीन लाख, सोलह हजार रुपये का अपहरण कर लिया है । इस प्रधान ने सक्षम अधिकारी से धन के व्यय की अनुमति नहीं ली, तथा पंचायत राज एक्ट के नियम–154वीं का उल्लंघन किया, यह मामला पूर्व विधायक माननीय रिजवानुल हक ने नियम 301 के अन्तर्गत दिनांक 12-5-92 को विधान सभा में उठाया था, जिस पर शासन ने आश्वासन दिया कि जांच के दौरान ग्राम प्रधान उपरोक्त के साथ-साथ लेखपाल तथा ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से दोषी पाये गये हैं परन्तु उक्त आश्वासन का अनुपालन आज तक सुनिश्चित

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नहीं किया गया, न ही दोषी को दण्डित कर रिकवरी की गयी । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कर गबने किये गये सरकारी धन की वसूली करवाने की कृपा करें ।]

शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर बाईपास बनाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[मान्यवर, शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर पिछले 20 वर्ष से बाई पास बनना प्रस्तावित है परन्तु किन्हीं कारणों से टलता रहा । इस मार्ग पर प्रतिदिन 20 हजार वाहनों का आवागमन होता है तथा एक लाख लोगों से अधिक यात्रा करते हैं । बाई पास न होने के कारण शाहजहांपुर नगर में लगभग प्रत्येक घण्टे के बाद रास्ता जाम हो जाता है जिससे यात्रियों को काफी असुविधा होती है । जनहित में शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर बाई पास बनना अत्यन्त आवश्यक है ।

मेरी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस संबंध में अविलम्ब समस्त औपचारिकताएं पूरी करवाकर बाई पास का निर्माण प्रारम्भ करवाये ।]

जनपद हरदोई में सिंचाई विभाग के शारदा सहायक निर्माण खण्ड हरदोई लखनऊ ब्रांच पर पिलखिनी माइनर की टेवा गूल ग्राम दमगड़ा तक तत्काल बढ़ाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम खेलावन–

[मान्यवर, हरदोई जनपद में सिंचाई विभाग के शारदा सहायक निर्माण खण्ड हरदोई लखनऊ ब्रांच पर सरेहरी रजबहा से पिलखिनी माइनर का पानी पिलखिनी तालाब में गिरने से ग्राम पिलखिनी नन्द खेड़ा, दमगड़ा, पल्लेपार व पड़री की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी है । दूसरी ओर ग्राम दमगड़ा व पल्लेपार की सैकड़ों एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित रह जाने के कारण सैकड़ों परिवारों के लिए रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

अतः मैं सदन का ध्यान इस लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुए पिलखिनी माइनर की टेल गूल ग्राम दमगड़ा तक तत्काल बढ़ाये जाने की मांग करता हूं ।]

प्रदेश में चीनी मिलों के विस्तारीकरण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदम्बिका पाल–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य चीनी निगम की अत्यन्त कम पेराई क्षमता पुरानी जर्जर एवं अनुपयोगी चीनी मिलों के विस्तारीकरण का निर्णय लिया था । क्योंकि उन क्षेत्रों में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता आज भी है । इस दिशा में प्रदेश की राज्य चीनी निगम की 18 चीनी मिलों के विस्तारीकरण पर कार्य प्रारम्भ हुआ था जिसके अन्तर्गत प्रत्येक यूनिट पर करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है लेकिन अगस्त, 1991 में भा० ज० पा० की सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के पांच चीनी मिलों में जहां विस्तारीकरण का कार्य चल रहा था उसे पूर्णतया बन्द कर दिया । परिणामस्वरूप क्षेत्र के गन्ना कृषकों में

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

गहरी निराशा उत्पन्न हुई । इन पांच चीनी मिलों ने बस्ती जनपद की मुन्डेरवा चीनी मिल के कार्य आशय पत्र सं० 494/88, दिनांक 29/8/88 द्वारा स्वीकृति के आधार पर शुरू हुआ था जिसके ऊपर 3 करोड़ 40 लाख रुपये खर्च हो चुका है मुन्डेरवा इकाई 1992 में स्थापित हुई थी पूर्णतः जर्जर होने के कारण क्षेत्र का समस्त गन्ना पेरा नहीं जा पा रहा है विस्तारीकरण के लिये 40 एकड़ भूमि खरीद कर सिविल कार्य काफी हद तक पूरा किया जा चुका है इसके साथ चीनी गोदाम, प्रयोगशाला भवन, डी० जी० सेट, वी० टी० पम्प फैक्ट्री के फाउन्डेशन, बाउन्ड्रीवाल एवं उत्प्रवाह, शुद्धिकरण संयत्र तैयार हो चुका है विगत दिनों प्रदेश के राज्यपाल वोरा जी ने स्वयं मिल का निरीक्षण करके विस्तारीकरण के कार्य को पूरा करने की घोषणा की थी ।]

अतः इस लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सदन में एक वक्तव्य एवं चर्चा की मांग करता हूं ।

उत्तर प्रदेश राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मुक्ति नाथ यादव–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान आयुर्वेद यूनानी सेवा में उत्तर प्रदेश के तरफ लाना चाहता हूं इस विभाग में आरक्षण कोटा शून्य के बराबर है । उ० प्र० राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में भी आरक्षण कोटा शून्य के बराबर है और वहां पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को जगह रिक्त होने पर नियुक्त नहीं किया जा रहा है कर्मचारियों का शोषण हो रहा है बाहर से लाकर मृतक आश्रितों और बाहर से तदर्थ लिपिक कर्मचारियों को जगह रिक्त होने पर लगातार समायोजित किया जा रहा है । इससे दैनिक वेतन लिपिक कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है यहां यह भी उल्लेखनीय है कि फार्मेसी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिये जाने के संबंध में 20 जनवरी 92 को एक आदेश श्रम अनुभाग से हुआ उसी के तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है जबकि स्टेट फार्मेसी लखनऊ के अधीक्षक द्वारा लिखकर निदेशालय को भेजा गया है और स्वीकार किया गया है इन कर्मचारियों का ई० एस० आई० का पैसा काटा जाता है अनुमति दी जाय कि इनका भुगतान करें परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । इससे दैनिक लिपिक कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और आक्रोश है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद गोण्डा में बलरामपुर चीनी मिल लिमि० द्वारा गन्ना किसानों का शोषण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय कुमार पाण्डेय–

[मान्यवर, जिला गोण्डा में स्थित बलरामपुर चीनी मिल लि०, बलरामपुर द्वारा गन्ना किसानों का शोषण एक लम्बे अर्से से हो रहा है ।

गन्ने की घटतौली का आलम ये है कि किसानों की शिकायत पर मैंने स्वयं अनेक किसानों के साथ दिनांक 11-12-93 को मिल पर जाकर बैलगाड़ियों एवं ट्रालियों की तौल कराई ।

अपने समक्ष घटित घटना को निजी जानकारी के आधार पर इस आदरणीय सदन के संज्ञान में ला रहा हूं कि बैलगाड़ी में 1.70 कुन्तल व ट्राली में 1.12 कुन्तल का अन्तर पाया गया है ।

इस बीच जनाक्रोश बढ़ता ही जा रहा था । मिल प्रबन्धक ने अपनी गलती स्वीकार की और उपस्थित अधिकारियों एवं किसानों व मेरे हस्ताक्षर में समझौता के अन्तराल प्रबन्धक ने 25-11-93 से घटतौली से पकड़े जाने वाले दिन तक का अन्तर की किश्त किसानों को भुगतान का आश्वासन दिया ।

परन्तु अब उक्त मिल के प्रबन्धतंत्र ने बात बदल दी है कि घटतौली की बात ही गलत है और घटतौली की घटना से संबंधित किसान और सब लोग स्वार्थी हैं इस बात को लेकर किसानों में फिर आक्रोश बढ़ रहा है ।

अतः विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का हो गया है इसलिए इसे आदरणीय सदन की जानकारी में लाकर शासन के तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहा हूं ।]

जनपद बदायूं के नगपालिका बबराला में बालिका इण्टर कालेज एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बनवारी सिंह–

[मान्यवर, जनपद बदायूं के नगर पालिका बबराला में एक बालिका इण्टर कालेज और प्रा० स्वा० केन्द्र नहीं है इससे वहां की जनता को काफी परेशानी होती है और जनता में काफी रोष है ।

इस संबंध में कई बार मांग कर चुका हूँ । परन्तु ऐसा नहीं हुआ है मरीजों को काफी दूर जाना पड़ता है । बालिकायें पढ़ने में असमर्थ हो जाती हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ आदरणीय सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री राज्यपाल द्वारा की गयी घोषणाओं के कार्यान्वयन पर रोक लगाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री प्रमोद तिवारी जी और श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने नियम–300 में एक सूचना दी है, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के दौरान श्री राज्यपाल द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अनुरोध करूंगा कि वह संक्षिप्त रूप से ग्राह्यता पर बोलें।

* श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन् 6 दिसम्बर को इस प्रदेश में संविधान का अनुपालन न करने के कारण महामहिम राज्यपाल ने इस प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया। प्रदेश की सरकार को भंग करने में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि महामहिम राज्यपाल ने स्वतः जनता के उत्तरदायित्व निहित हो गए। श्रीमन् प्रदेश में कोई सरकार नहीं थी तो इस प्रदेश का बजट संविधान के अनुच्छेदों के अन्तर्गत भारत की पार्लियामेंट ने पास किया और उन मदों के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रदेश की जनता के हित में कुछ घोषणायें कीं जिसमें कुछ तो लागू हो गईं और कुछ लागू नहीं हो पाई थीं। मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि बदले की भावना से नयी सरकार ने गठन होने के बाद जनता के उन हितों को नहीं समझा महामहिम राज्यपाल ने जनता के हितों के लिए जो घोषणाएं कीं उन पर रोक लगा दी। श्रीमन् जब तक अनुपूरक मांगें रखी गईं तो उसको देख लें। महामहिम ने जिले-जिले में जाकर जो घोषणाएं कीं उनका कहीं उल्लेख नहीं है। बदले की भावना से ऐसा किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे नहीं हैं वह एक तरफ तो यह घोषणा करते हैं कि बदले की भावना से काम नहीं करेंगे और दूसरी तरफ जनता के अहित का काम करते हैं, बदले की भावना से जनता के हितों को अनदेखी करते हैं जो घोषणायें महामहिम द्वारा की गई थीं उनको रोकने से जनता में क्षोभ पैदा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री जी आप गलत फहमी में न रहिए कि आप सत्ता में बैठकर जनता को अनदेखा कर देंगे यदि आपने जो घोषणायें की हैं उनको लागू करने की घोषणा नहीं की तो, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी।

(शोरगुल)

उन घोषणाओं का क्रियान्वयन होना चाहिए, जो महामहिम राज्यपाल ने की हैं उनको तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर को महामहिम राज्यपाल ने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण 356 के अन्तर्गत इस सरकार को बर्खास्त कर दिया। जो संवैधानिक दायित्व के निर्वहन में असफल ही नहीं हुई बल्कि उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे भारत का सिर उसने नीचा कर दिया। इसके बाद संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। महामहिम राज्यपाल जी ने यहां का शासन संभाला और प्रदेश के दैनिक कार्यों के संचालन के लिए और प्रदेश का विकास करने के लिए भारत की संसद ने उसका बजट भी पारित किया। महामहिम श्री राज्यपाल जी ने पूरे प्रदेश का सघन दौरा किया। दौरा करने के उपरान्त जो पिछली सरकार के कार्यकाल में जो श्री कल्याण सिंह की सरकार थी उसके अकल्याणकारी कार्यों को कल्याणकारी कार्यों में बदलने का कार्य किया। मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि आज जब से कल्याण सिंह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जी सदन में आये हैं कुछ [चमचागीरी] ज्यादा ही हो रही है । इन [बन्धुआ मजदूरों] को चुप कराया जाय । (व्यवधान) मेरा समय समाप्त होने वाला है आप लोगों का ही समय आने वाला है आप जितना चाहें बोलें ।

मान्यवर, किसी लोकप्रिय सरकार के न रहने पर राज्यपाल ही प्रदेश का मुखिया होता है । सारे विकास के कार्यों से संबंधित जिम्मेदारी उन्हीं की होती है । विकास के संबंध में जो धनराशि लगती है उस पर संसद की मंजूरी होती है । तद्नुसार बहुत सी चीजों की प्रत्याशा में ही जो शासनाध्यक्ष होता है मंजूरी की प्रत्याशा में ही बहुत सी घोषणाएं करता है । यह घोषणाएं श्री राज्यपाल ने उन्हीं मदों के अन्तर्गत की हैं जो भारत की संसद द्वारा पारित हैं और बहुत सी इस प्रत्याशा में कि वह जनहित में हैं । उन्हें पूरा किए जाने की परम्परा रही है, नैतिकता रही है कर्तव्यपरायणता रही है । मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से उन परम्पराओं, उन गरिमाओं के बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि वह माननीय राज्यपाल की घोषणाओं को पूरा करें । यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि वह महामहिम राज्यपाल के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित नहीं कर रहे हैं । इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कि आप कल्याण सिंह की सरकार के अकल्याणकारी कृत्यों को कल्याणकारी कार्यों में बदलने की राज्यपाल की घोषणाओं को पूरा करने का प्रयास करें । (व्यवधान) (शोर गुल के मध्य)

माननीय राज्यपाल जी ने पिथौरागढ़ में आये भूकम्प के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की थी लेकिन 8 महीने के बाद आज तक वह धनराशि प्राप्त नहीं हुई है । (व्यवधान)

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, जो प्रश्न माननीय नरेश अग्रवाल जी ने उठाया है और माननीय प्रमोद तिवारी जी ने उठाया है उसका उत्तर देने का दायित्व शासन का है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो भी उसका उत्तर दें, पर दो-तीन बातें आ गयीं हैं इस नाते मुझे खड़ा होना पड़ा है । एक तो नरेश अग्रवाल जी ने कहा, कि यह सरकार राज्यपाल द्वारा की गयी घोषणाओं को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश की जनता उनको माफ नहीं करेगी । प्रदेश की जनता से पहले मैं उनसे जरूर जानना चाहूंगा कि क्या नरेश अग्रवाल जी और उनकी पार्टी, यदि यह सरकार श्री राज्यपाल की घोषणाओं को पूरा नहीं करती है तो क्या इस सरकार को माफ करेंगे या नहीं करेंगे । एक दूसरी बात माननीय तिवारी जी ने कही कि भा० ज० पा० के लोग आज चमचागीरी कर रहे हैं । भा० ज० पा० में चमचागीरी की प्रथा नहीं है लेकिन यह समूची कांग्रेस पार्टी आज इस सरकार की चमची बनी हुई है । आज इनका दो तरह का आचरण हो रहा है । एक ओर सरकार की आलोचना कर रहे हैं और दूसरी ओर इस सरकार को टिकाये रखने की पूरी-पूरी कोशिश हो रही है । एक बात अभी तक यह कही गयी कि कल्याण सिंह के जमाने में बड़े अ-कल्याणकारी कार्य हुये । मैं स्पष्ट कर दूं कि जब मैं उधर बैठता था और जब मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार घोषणाओं की संस्कृति में विश्वास नहीं करती थी, मेरी सरकार कार्य संस्कृति में विश्वास करती थी ।

पिछले मुख्य मंत्रियों की सारी घोषणाओं को, जिसमें ऊर्जा विभाग, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग की घोषणायें निकलवायीं थीं । जो घोषणायें थीं उनको पूरा करने के लिये 11310 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ती । खाली घोषणायें तो की जाती रहीं लेकिन उनके लिये पैसे की स्वीकृति नहीं हुयी । एक हमारी सरकार थी कि जिस दिन शिलान्यास करते उसी दिन धन की स्वीकृति का भी आदेश कर देते थे । इस नाते मैं जरूर चाहूंगा कि माननीय तिवारी जी और माननीय नरेश अग्रवाल जी जरूर इस बात पर विचार करें कि क्या अगर राज्यपाल महोदय की घोषणाओं का सम्मान वर्तमान शासन नहीं करता है तो उस शासन को माफ करेंगे या चुप बैठ जायेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, चूंकि मेरा नाम ले लिया है इसलिये मुझे स्पष्टीकरण का अधिकार प्राप्त हो गया है ।

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के माध्यम से माननीय नेता विरोधी दल को बताना चाहूंगा कि यह दिन है रात नहीं है । उनको दिन में सपने आ रहे हैं तो वह दिन में सपने देखना बन्द कर दें । हमने मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को जो समर्थन दिया है वह इसलिये कि आपने जो साम्प्रदायिकता का नाग पैदा किया है उसको कुचलने के लिये समर्थन दिया है । जब तक वह कुचलते रहेंगे हमारा समर्थन पूरी शक्ति के साथ मुलायम सिंह यादव जी की सरकार को रहेगा । विकास हमारी प्राथमिकता है लेकिन विकास से ज्यादा साम्प्रदायिकता के नाम पर जो देश को तोड़ने वाले कलंकित कदम हैं उनको रोकना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है । मुझे संकोच नहीं है यह कहने में कि माननीय नेता विरोधी दल आपके शासनकाल में साम्प्रदायिकता का जहर फूला, पनपा और वटवृक्ष बनकर प्रदेश को कलंकित किया ।

जब तक उस कलंक को धोने के लिये मुलायम सिंह यादव जी की सरकार काम करती रहेगी, हमारा ही नहीं, जितनी धर्म निरपेक्ष ताकतें हैं जो यहां बैठी हैं उनका समर्थन रहेगा, मजबूती के साथ और ताकत के साथ रहेगा । आप अगर यह समझते हैं कि येनकेन प्रकारेण आप नेता बनेंगे तो यह तो उसी दिन स्पष्ट हो गया था जब 176 की संख्या में आकर राज्यपाल के दरवाजे पर धरना देकर बैठ गये थे कि सरकार बनायेंगे । लेकिन जब राज्यपाल जी ने सूची मांगी तो आप भाग खड़े हुए । उसी दिन आपकी सत्ता लोलुपता इस प्रदेश में जाहिर हो गयी थी । तो कम से कम नैतिकता की बात करने का अधिकार आपको नहीं है । माननीय कल्याण सिंह जी आप भूल जायं आप अब कभी यहां बैठ नहीं पायेंगे जब तक धर्म निरपेक्ष ताकतें हैं । मिर्जापुर के जंगलों में तपस्या करके बहुतों को सद्बुद्धि आ गयी, आपको सद्बुद्धि आ गयी हो तो साम्प्रदायिकता को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता का रास्ता अख्तियार कर लीजिये वरना आप जहां बैठे हैं वहां आप अकेले बैठे नजर आयें या न आयें लेकिन यह आपके चमचे बैठे नजर नहीं आयेंगे ।

श्री कल्याण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं । माननीय नेता कांग्रेस दल, थोड़ा सा आप निरीक्षण कर लें, एक बार, पिछली बार यह गलती हुई थी, आप 47 से घटकर 28 पर आ गये हैं । मैं आग्रह कर रहा हूं, यह गलती बार-बार दोहरायेंगे, तो अगली बार 28 से 18 तक रह जायं । भारतीय जनता पार्टी को आज भी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता ने चुनकर भेजा है ।

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, क्या यह चर्चा हो रही है ?

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई चर्चा का विषय नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिये मैंने अनुमति मांगी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह व्यक्तिगत वाद-विवाद की इजाजत आप दे रहे हैं, वह किस नियम के अन्तर्गत दे रहे हैं । अगर इसी में सारा समय लगा देंगे, तो दूसरों के अधिकारों का हनन होगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, यह मैं प्रयास कर रहा हूं । नेता विरोधी दल जब खड़े हो गये, तो उनकी भी बात सुननी आवश्यक थी ।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, थोड़ा विषय से परे हो गये थे । माननीय नरेश अग्रवाल जी ने नियम 300 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया कि राष्ट्रपति शासन काल में की गयी घोषणाओं का अनुपालन यह सरकार नहीं कर रही है। मैं आपके जरिये माननीय कांग्रेस पार्टी के नेता प्रमोद तिवारी जी को बताना चाहता हूं कि सदन की यह आदर्श परम्परा रही है और नियम भी है कि श्री राज्यपाल का संदर्भ लेकर यहां कोई चर्चा नहीं की जा सकती है और हम लोग जो यहां पर सरकार में बैठे हुए हैं, हमारे प्रमुख श्री राज्यपाल ही हैं । हम आज भी जो कुछ कर रहे हैं, श्री राज्यपाल की ओर से ही कर रहे हैं । श्री राज्यपाल तब भी शासन में थे और आज भी शासन में हैं और हम यह आपको आश्वासन देते हैं कि हम अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह जिम्मेदारी के साथ करेंगे । हम संविधान को इज्जत देने वाली सरकार में आये हैं, आप उसका समर्थन दे रहे हैं । इसलिये संविधान के अपराधियों को जनता ने सजा दे दी । जहां तक 6 दिसम्बर की बात उठायी गयी है, उसके बाद जो देश तोड़ कार्यवाही हुई थी, हमारे प्रदेश में.....

(व्यवधान)

पहले सीखो । उन्होंने जो अपराध किया था, उसकी सजा जनता ने दे दी । अभी महबूब अली जी ने कहा, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जनता ने सजा दे दी और अदालत भी सजा देगी, लेकिन

उसकी चर्चा यहां पर करना उचित नहीं है । जो अधिकारी भी रियायत देने का काम करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और नरेश अग्रवाल ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उस पर माननीय सदस्यों के विचार काफी विस्तार से आ गये और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के भी विचार आ गये । इससे मैं निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है ।

जनपद फतेहपुर के अधिकारियों द्वारा पूर्व शासनादेश का उल्लंघन करके सार्वजनिक भवनों का शिलान्यास किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

श्री राम आसरे वर्मा ने नियम 300 के अन्तर्गत सूचना दी है । शासनादेश के बावजूद जनपद फतेहपुर के अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक भवनों का शिलान्यास किये जाने के संबंध में है । मा० वर्मा जी ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, किसी उद्घाटन समारोह या समापन समारोह में मुख्य अतिथि की हैसियत से भाग लेने का अधिकार किसी अधिकारी को शासन द्वारा नहीं दिया गया है । इस संबंध में शासन द्वारा एक परिपत्र भी जारी किया गया है और उसके अनुपालन के लिये समय-समय पर रिमाइन्डर भी जारी किये जाते रहे हैं । मान्यवर, कार्मिक अनुभाग का परिपत्र सं० 3 ए०क्यू०/कार्मिक-1.1988, दिनांक 21-4-1988 की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है कि उद्घाटन अथवा शिलान्यास समारोहों अथवा योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण की धनराशि अथवा ऐसे ही अन्य समारोहों अथवा सहायता शिविरों में सामग्री वितरण किये जाने अथवा ऐसे ही अन्य समारोहों में अधिकारियों द्वारा मुख्य हैसियत से भाग न लेने संबंधी शासन के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । मान्यवर, यह परिपत्र शासन के समस्त सचिव/विशेष सचिव तथा समस्त विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख विभागाध्यक्षों को सम्बोधित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा शिलान्यास और समापन समारोहों में भाग लिया गया है । यह शासनादेश का खुला उल्लंघन है और मान्यवर, राष्ट्रपति शासन के दौरान तो इस संबंध में होड़ सी लग गयी । अधिकारी मिल जुल कर इन समारोहों में भाग लेते रहे । जनपद फतेहपुर की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

जहांनाबाद विधान सभा क्षेत्र में स्वतंत्रता संगाम सेनानी स्थल बावन इमला पारादान का शिलान्यास जिलाधिकारी द्वारा, सठिगवां बिरनई आदि अनेक गांवों के पाठशालाओं की इमारतों के शिलान्यास तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा किये गये । खेलावन पाठशाला इमारत का शिलान्यास सी० डी० ओ० द्वारा किया गया । अधिकारियों ने भी मिल जुल कर यह तय किया कि किस स्तर के काम का समापन और उद्घाटन किस स्तर का अधिकारी करेगा । मैं चाहूंगा कि सरकार स्पष्ट रूप से पुनः निर्देशित करे कि जो शासनादेश हुआ है, उसका पालन सुनिश्चित किया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये । कम से

कम इतनी तो कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिए कि उनकी चरित्र पंजिका में इस प्रकार की बात अंकित कर दी जाये ।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना नियम 300 की ग्राह्यता की कोटि में नहीं आती है इसलिये निरस्त की जाती है । लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है ।

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी वरिष्ठ सदस्य हैं, यह सूचना नियम 300 के इर्द गिर्द आती ही नहीं है लेकिन जो प्रश्न उठाया गया है उसको विधिक दृष्टि से देख लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ही बता दें कि फिर कौन सी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत आती है । कुछ अपवादों को छोड़कर कोई भी सूचना फिर नियम 300 में नहीं आती है ।

[12 बजकर 10 मिनट]

कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के विपरीत नियम 300 व 301 की सूचनाओं को लिये जाने पर आपत्ति

* श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि आज नियम 300 और नियम 301 की कोई सूचना न दी जाय इसलिये हमारे दल के किसी सदस्य ने कोई सूचना नहीं दी। इस तरह से यह तो गलत हो रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल यह निश्चय हुआ था कि जो कल सूचनाएं प्राप्त हुई थीं उन्हें निरस्त किया जा रहा है लेकिन इन्हें कल भी लिया जा सकता है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, कल के समिति के निर्णय के अनुसार ही हम लोगों ने सूचना नहीं दी । यह तो पक्षपात वाली बात हो रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह बात कही जा रही है कि जो सूचनायें आ गयी हैं उन पर संक्षेप में अपनी बात रख लें । जिससे सदन का अनावश्यक समय न गुजरे । माननीय वर्मा जी की सूचना के संदर्भ में मैंने कह दिया था कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आती है लेकिन फिर भी शासन का ध्यान नियमानुसार कार्यवाही हेतु आकर्षित किया जाता है ।

विधान सभा सत्र के दौरान बेसिक शिक्षा अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल द्वारा जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक बुलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, यह बार-बार निर्णय हुआ है कि जब सदन चल रहा हो तो जिला स्तर, मण्डल स्तर पर जिसमें विधायक भी सम्मिलित हों इस तरह की कोई बैठक न लगाई जाय । लेकिन 15 तारीख को पौड़ी गढ़वाल में शिक्षा समिति की बैठक निर्धारित कर दी गई जिसमें तमाम बेसिक व जूनियर हाईस्कूलों के आवंटन की कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया । मान्यवर, यह एक षड़यंत्र के तहत किया गया है । मान्यवर, जिलाधिकारियों और समस्त अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये जायें कि सदन के चलते इस तरह की बैठकें न हों । 15 दिसम्बर को पौड़ी गढ़वाल में जो बैठक हुई है उसको निरस्त करके पुनः बैठक लगाई जाय ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत इसको अस्वीकार किया जाता है । लेकिन फिर भी यह कहा जा रहा है कि इस संबंध में अध्यक्ष पीठ से जो समय-समय पर निर्णय दिये गये हैं उनका कड़ाई से अनुपालन कराया जाय । इस संबंध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को सदन में घटी घटना के संबंध में औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, बड़े खेद का विषय है कि 16 दिसम्बर, 1993 का जो दिन था.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, उस संदर्भ में ऐसा है कि वह बात हो चुकी है अभी थोड़े समय बाद वह बात आ जायेगी, उस संबंध में कुछ कहियेगा नहीं ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, मैं यह स्वीकार कर रहा हूं .....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उस पर मत बोलियेगा ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, 2 मिनट का समय आपने दिया है, मैं 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप उस संबंध में कुछ नहीं कहियेगा । (व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह नेताओं की मीटिंग में तय हो चुका है, जो आप कह रहे हैं यह लिखा नहीं जायेगा । यह कार्यवाही का अंश नहीं बनेगा, आप कहते रहिये ।

विधान सभा सत्र के दौरान मुख्य मंत्री द्वारा कृषि मजदूरों की दैनिक मजदूरी में वृद्धि की घोषणा सदन से बाहर किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने नियम 300 में एक औचित्य का प्रश्न दे रखा है । मान्यवर, ऐसे प्रश्न इसके पहले भी इस सदन के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं । मान्यवर, आप और पूरा सदन सर्वविदित है कि यदि सत्र चल रहा है तो सरकार के किसी मंत्री या मुख्य मंत्री जी को किसी नीतिगत निर्णय की घोषणा सदन के ही अन्दर करनी चाहिये । यह इसलिये भी है कि आज चाहे सत्तारूढ़ दल के माननीय विधायक हों या प्रतिपक्ष के हों या सहयोगी दल के हों, किसी भी दल के विधायक हों, उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता ने विश्वास दिया है, निर्वाचित किया है तो उनकी अपेक्षा है कि अगर विधान सभा में या उत्तर प्रदेश में सरकार कोई कानून बनाती है तो उस लोकप्रिय कानून को बनाने में वह भी भागीदार हों । यदि कोई कल्याणकारी कार्यक्रम की घोषणा होगी तो किसी भी दल को विश्वास में लेकर सरकार के मंत्री और मुख्य मंत्री सदन में घोषणा करेंगे । मान्यवर, अगर किसी योजना का प्रारूप उनके मन में हैं जिसको वास्तविकता के धरातल पर लाकर वह कार्य करना चाहते हैं तो उसकी सरकार को सदन में घोषणा करनी चाहिए लेकिन जिस दिन से यह सरकार निर्वाचित हुई है माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही 20 मिनट में एक घोषणा की, जो उनका वायदा भी था, नकल विरोधी अध्यादेश को 45 मिनट में समाप्त करने का ।

मान्यवर, उनकी घोषणाओं के बाद तो इस मंत्रिमंडल के मंत्रियों को यह लगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिस तरीके से घोषणा कर रहे हैं तो उसी तरह से उन सब लोगों ने भी अपने विभाग की नीतिगत घोषणायें जनपदों और दूसरी सभाओं में करना शुरू कर दिया है और पिछले दिनों लगातार यह हुआ है आपने मान्यवर, समाचार पत्र पढ़ा होगा । तमाम विभागों के नये मंत्रीगण अपनी नीतिगत घोषणायें बाहर कर दिये हैं । यही नहीं मान्यवर, ऐसे मंत्रियों के अतिरिक्त जो जिम्मेदार मंत्री हैं जैसे नगर विकास मंत्री हैं उन्होंने कहा कि जो हमने स्वायत्तशासी संस्थाओं का समय बढ़ाया है यह समय तो

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ा दिया है अब विधेयक के रूप में जब सत्र चल रहा हो तो मैं अध्यादेश लाकर उसका समय के पूर्व ही चुनाव करा सकता हूं। इसकी घोषणा उन्होंने सदन के बाहर कर दी। इसी तरह से समाज कल्याण और दूसरे मंत्रियों ने भी किया है। इसको सभी दल के नेताओं ने और माननीय ऊदल जी ने भी कहा है।

मान्यवर, समय-समय पर चाहे लोक सभा में चाहे इस विधान सभा में तमाम हमारे दल के सम्मानित नेतागण ऐसी शिकायतों को कभी विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में, कभी औचित्य के प्रश्न के रूप में या विभिन्न नियमों के अन्तर्गत इसको सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर चुके हैं। मान्यवर, हर बार यह निर्णय हुआ कि यह प्रश्न विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है, उसकी अवहेलना का प्रश्न नहीं बनता, औचित्य का प्रश्न नहीं बनता, लेकिन यह अनुचित है, सदन का सत्र चल रहा हो तो उस समय सदन के बाहर, किसी प्रकार की नीतिगत घोषणा सरकार को नहीं करनी चाहिए। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन (1979–84) है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके पृ० 259 पर निर्णय 478 में है —मंत्रि-परिषद् के नीति संबंधी निर्णय का सदन में आने के पूर्व प्रकाशन परम्पराओं के विरुद्ध और अनुचित होते हुए भी विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान का प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। इसमें माननीय श्री देव बहादुर सिंह जी ने 23 मार्च, 1979 को बात उठायी थी, इस पर कहा गया कि सत्र जब चल रहा हो तो नीतिगत विषयक कोई घोषणा सदन के अन्दर ही करनी चाहिए। इसी तरह से जिस समय विधान सभा उपवेशन में हो मंत्रियों द्वारा शासन की नीति संबंधी घोषणायें सदन के अन्दर न करके बाहर करना विशेषाधिकार की अवहेलना नहीं, अपितु वह मात्र शिष्टाचार या औचित्य का प्रश्न हो सकता है। यह प्रश्न माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने, जो आज भी इस सदन के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के उप नेता हैं, उन्होंने 7 जुलाई, 1980 को इसे विशेषाधिकार प्रश्न के रूप में रखा था उस पर माननीय पीठ से यह निर्णय हुआ कि जब सत्र चल रहा हो तो सदन के चलते समय नीति संबंधी घोषणा सदन के अन्दर होनी चाहिए।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में तो इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन पीठ ने इसे अनुचित भी माना है। मान्यवर, जब इस तरह की नीतिगत घोषणाओं को सदन के बाहर करने पर समय-समय पर पीठ ने अनुचित माना है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के तमाम खेतिहर मजदूरों के संबंध में एक घोषणा सदन के बाहर कर दी, यद्यपि हम घोषणा का स्वागत करते हैं कि प्रदेश के खेतिहर मजदूरों को पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिन्हें 25 रु० मिलता था, उन्हें 35 रु० दिये जाने की घोषणा की और पूर्वी मध्य तथा बुन्देलखण्ड इलाकों के मजदूरों को जिन्हें 23 रु० मिलता था उनके संबंध में 33 रु० की घोषणा की। मान्यवर, इस घोषणा को, सदन के चलते, सदन के अन्दर होना चाहिए था। माननीय सदस्य भी इस पर अपने कुछ बहुमूल्य सुझाव देते। आप यहां दलितों का प्रतिनिधित्व करने आये हैं, आप कहते कि 25 रु० खेतिहर मजदूरों को जो मिल रहा था, उसमें सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत जो देय है उसको दिलाया जा रहा है। आज मजदूरों को खेतिहर मजदूरों को संगठन के अभाव में 25 रु० भी नहीं मिल रहा है, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 रु० भी नहीं मिल रहा है। आज तमाम सदस्य बेगारी की बात करेंगे। आज उन तमाम मजदूरों और खेतिहर मजदूरों का

शोषण हो रहा है । आप उस व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात कहते जिसमें उन लाखों करोड़ों मजदूरों को जो वास्तव में देय होना चाहिए उस देय के संबंध में सुनिश्चित व्यवस्था की बात कहते, उस संबंध में कोई प्रभावी कार्यवाही की बात कहते ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पाल साहब अब बैठ जायें, आपका भाषण काफी लम्बा हो रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, उन तमाम खेतिहर मजदूरों के संबंध में आज पूरे प्रदेश में घोषणा हो चुकी है कि उनकी मजदूरी में 10/- की वृद्धि की जायेगी । इसका नुकसान भी होगा, अगर वह खेतिहर मजदूर, जिनके यहां काम करते हैं, वह 10/- की वृद्धि नहीं करेंगे, तो उत्पीड़न की कार्यवाही ही करेंगे । मान्यवर, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पर इस आदरणीय सदन और लोक सभा में तमाम बार निर्णय हो चुका है कि सदन के चलते नीतिगत घोषणा सदन के बाहर न की जाय ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

माननीय पाल जी ने पूरा बोलने का अवसर प्राप्त किया यह नियम 300 के अन्तर्गत आता नहीं । जो घोषणा हुई वह नीतिगत घोषणा नहीं है । यह सही है कि नीतिगत घोषणा सदन के चलते सदन के बाहर नहीं होनी चाहिये, लेकिन यह नीतिगत घोषणा नहीं है, नीति हमारी यह है कि न्यूनतम मजदूरी उनकी तय की जाय, उनमें वृद्धि करेंगे, यह कोई नीतिगत घोषणा नहीं है । खेतिहर मजदूरों के न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत न्यूनतम वेतन निर्धारण का प्रश्न शासन के विचाराधीन था । शासन ने अन्य प्रदेशों में स्वीकृत न्यूनतम वेतन को देखते हुए, मूल्यों में वृद्धि को देखते हुए तथा पुनरीक्षण देय होने के कारण प्रदेश में कार्यरत खेतिहर मजदूरों के वेतन में वृद्धि किया जाना आवश्यक समझा ताकि खेतिहर मजदूरों में किसी प्रकार का असंतोष न हो ।

मा० मुख्य मंत्री जी ने श्रम मंत्री के रूप में मजदूरी की दरों में रु० 10 की वृद्धि सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसकी विधायी स्वीकृति अपेक्षित नहीं थी । अतएव नीतिगत प्रश्न न होने के कारण सदन में घोषणा किया जाना आवश्यक नहीं था । इस विषयक अधिसूचना आपत्ति एवं सुझाव हेतु दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 को जारी हो चुका है जिस पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का परामर्श प्राप्त कर मजदूरी की नयी दरें लागू की जायेंगी । मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न नहीं है फिर भी मैंने इसकी पूरी जानकारी दे दी है । उत्तर प्रदेश में गरीब लोगों की चुनी हुई सरकार आयी है इसलिये उनके हितों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कर्तव्यों का पालन किया, अपने दायित्वों का निर्वहन किया और सदन के बाहर जो घोषणा की गयी वह नीतिगत नहीं थी ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। चूंकि अब यह सदन की सम्पत्ति बन गया है। क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो खेतिहर मजदूरों को न्यूनतम वेतन निर्धारण किया गया है उसके इनफोर्समेंट के लिये क्या प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया है, यदि हां, तो वे क्या हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

जब आप सरकार में थे तो इनफौर्समेंट नहीं करा पाये। अक्षम सरकारें क्रियान्वयन नहीं करा पाती हैं। हम लोग सक्षम हैं और इसका क्रियान्वयन करायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने साफ-साफ यह पूछा था कि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में क्या सोचा है ? इनको नीति बतानी चाहिए थी, अगर कोई कार्यवाही की गयी है, तो वह क्या है। मान्यवर, यह केवल मेरा सवाल ही नहीं है, यह सदन की सम्पत्ति बन गया है। पूरा सदन इस बात को जानना चाहता है। मेरा प्रश्न बहुत ही स्पष्ट है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसका स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। इन्होंने जनता को गुमराह करने के लिये पैसा बढ़ाने की घोषणा कर दी लेकिन जो बड़े काश्तकार हैं उनके साथ इनकी सांठगांठ है। गरीबों को उनका हक मिले इसलिये मैंने यह पूछा है कि इसके क्रियान्वयन के बारे में सरकार ने कोई फैसला किया है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, गुप्ता जी हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, विद्वान भी हैं हम उनकी बातों का उत्तर अवश्य देंगे। हम घोषणाओं में यकीन नहीं करते हैं बल्कि उसको क्रियान्वित भी करते हैं। उसका अनुपालन हम सख्ती से करायेंगे यह हमारा विश्वास है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप हमारे हितों का संरक्षण करें। मान्यवर, हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है। जो मैंने प्रश्न किया है उसका समाधान नहीं हुआ है और न ही मैं उससे सहमत हूं। यदि आप सहमत हों तो कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष–

अभी माननीय सदस्य, पाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न रखा है और जो अध्यक्ष पीठ से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संकलन 1979–84 का हवाला दिया है, जिसमें उन्होंने नियम–364 का उल्लेख भी किया है, उन सारी बातों को सुनने के पश्चात् अध्यक्ष पीठ से औचित्य का प्रश्न अस्वीकार किया जाता है। जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है, वह काफी विस्तार में कहा है और इसमें अब कोई बात शेष नहीं रह गई है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

''तुलसीदल'' नामक पुस्तक में प्रकाशित जातक कथाओं को लेकर जनपद फैजाबाद में हिंसात्मक आन्दोलन होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री मित्रसेन यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने आपको औचित्य के प्रश्न पर जो सूचना दी है, उसकी ग्राह्यता के जो भी मापदण्ड हैं, उसके अन्तर्गत यह आती है । हमारे लोकतंत्र में लोगों को भाव अभिव्यक्ति करने का, पत्र निकालने का, पत्रिकाओं में लिखने का पूरा अधिकार है । आज हमारे प्रदेश के जनपद फैजाबाद में कुछ लोग ऐसे प्रकाशन को लेकर आन्दोलन चला रहे हैं । बेहतर होता, यदि माननीय नेता विरोधी दल यहां मौजूद होते, क्योंकि उनसे संबंधित प्रकरण है । मान्यवर, फैजाबाद जिले में एक तुलसीदल नामक पुस्तिका प्रकाशित हुई है, जिसमें जातक कथाओं का उद्धरण हैं, इसी को लेकर कुछ राजनीतिक दल और संगठन ऐसा हिंसात्मक आन्दोलन खड़ा किये हुए हैं और उसके पदाधिकारियों को दण्डित कर रहे हैं, पुतले जला रहे है ।

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान में वर्तमान नेता विरोधी दल, भूतपूर्व मुख्य मंत्री अध्यक्ष रहे हैं और आज जो मुख्य मंत्री हैं, वह इसके अध्यक्ष हो जायेंगे । तो इन्हीं तत्कालीन अध्यक्ष के समय का एक प्रकाशन ''काकादीन रामायण'', उसमें भी निवेदन के रूप में इनका नाम है और उस निवेदन में वह सारी चीजें प्रकाशित हैं जो आज तुलसीदल में जातक कथाओं का प्रकाशन होने के कारण आज आपत्ति की जा रही है और उसके खिलाफ आन्दोलन चलाया जा रहा है, उसके पदाधिकारियों के खिलाफ हिंसात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं, लेकिन वही जातक कथायें उस वक्त प्रकाशित हुई हैं, जिस समय नेता विरोधी दल मुख्य मंत्री थे और इनके हस्ताक्षर से वह प्रकाशित हुई हैं, उस समय इन्होंने आन्दोलन क्यों नहीं किया ? इसका मतलब क्या है, अगर उसे यह छू लें तो पवित्र है और अगर दूसरा छू ले तो वह अपवित्र हो जाता है । मान्यवर, विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब यह होता है कि हम बातों के द्वारा शास्त्रार्थ करें न कि शस्त्रों के द्वारा । अगर इनमें शास्त्रार्थ करने का साहस नहीं है तो विहिप के लोग आपत्ति क्यों उठा रहे हैं ?

मान्यवर, एक और उदाहरण देना चाहता हूं । गोरखपुर का एक और प्रकाशन है ''कल्याण'' यह धार्मिक जगत की एक मुख्य पत्रिका है, इसका वार्षिक विशेषांक भी निकलता है, इसमें आज तक कोई विज्ञापन नहीं छपा और यह पत्रिका एक लम्बी अवधि से निकल रही है, आपत्तिजनक लेख इसमें भी प्रकाशित हुए हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण तथा अन्य तमाम लोगों के बारे में प्रकाशित हुए हैं, वह पत्रिका भी इनके जरिये चलाई जाती है, उस पर इन्हें आपत्ति नहीं है, तब विहिप, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोई आन्दोलन खड़ा नहीं किया ।

इसी प्रकार एक विवेकानन्द राक मेमोरियल सोसाइटी है, जिसमें इनके संघ परिवार के लोग सम्बद्ध है, उसके चार सम्पादक हैं, डा० लोकेश चन्द्र, देवेन्द्र स्वरूप, शीतला राम गोयल आदि और इसके संरक्षक हैं, विहिप के अध्यक्ष श्री विष्णु हरि डालमिया । इसके द्वारा प्रकाशित ''इन्डियाज इन्स्टीट्यूट टू दि वर्ल्ड थाट एण्ड कल्चर'' के पेज 182-183 पर भी जातक कथाओं का विस्तृत विवरण है, यह पत्रिका

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी इन्हीं के जरिये संचालित होती है, उस पर विहिप के लोग आन्दोलन क्यों नहीं करते ? आज तुलसीदल पत्रिका में इन्हीं जातक कथाओं का प्रकाशन होने पर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आपत्ति उठा रहे हैं, अब कहते हैं कि यह प्रकाशित नहीं होनी चाहिये ऐसा करके इन लोगों ने रामायण मेला जो है, उसको अवरुद्ध किया है । मान्यवर, इसके अलावा डा० भीमराव अम्बेडकर की एक पुस्तक है "रिडिल्स आफ हिन्दुइज्म" । इसका बहुत दिनों तक इन्होंने विरोध किया । आज उसका यह समर्थन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ? डा० अम्बेडकर की फोटो आज भगवान राम के बगल में लगा रहे हैं । यह किसी धर्म के और सम्प्रदाय के पोषक नहीं हैं । आज वोट बैंक कहां है, हिन्दू के नाम पर वोट बैंक मिलेगा तो उसे उछालेंगे और अगर आज दलित-पीड़ित लोग डा० अम्बेडकर से जुड़ गये हैं तो उनको तोड़ने के लिये डा० अम्बेडकर को आज यह पूजने लगे हैं । ये ऐसे हिन्दू हैं, ऐसे साम्प्रदायिक हैं जो कि केवल वोट बैंक बनाना चाहते हैं, जिसका स्वयं ये सब कुछ करने के बाद और उस चीज के दोषी होने के बाद आज दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं । इसलिये इन्होंने रामायण मेले को भंग करने की कोशिश की और उसमें जो लोग शामिल थे, उनके साथ हिंसात्मक कार्यवाही करने का इन लोगों ने पाखण्ड रचा है । उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये । इस तरह से हमारे देश-प्रदेश के नागरिकों के मूलाधिकार पर आघात होता है और मान्यवर, एक हमारे प्रतिष्ठित पत्रकार श्री शीतला सिंह और डा० राम शंकर त्रिपाठी, उनके घरों पर ताला लगाया गया, उनके पुतले जलाये गये, इसलिये कि "तुलसी दल" पत्रिका में जातक कथाओं का जिक्र आ गया ।

श्री अध्यक्ष–

यादव जी समाप्त कीजिये, समय कम है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, जब इनकी अनुमति से पत्रिकायें निकलीं और उनमें जातक कथाओं का उद्धरण रखा तो कोई आन्दोलन नहीं हुआ और अब यह इस मामले को उछाल रहे हैं । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं चाहूंगा कि इसमें बहस आगे न चले । क्या माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे ?

(विपक्ष के कई मा० सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, नियमों का बहाना लेकर इस सदन में जिस तरह की बातें कही गयीं । उनको कहने देना और न कहने देना यह तो निर्णय आपका है । लेकिन मान्यवर, मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है और हिन्दू समाज का ताल्लुक है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ, हिन्दू देवताओं के खिलाफ जो हिन्दू भावनाओं को आहत करने का जानबूझकर एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चल रहा है उसको मान्यवर, किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा, यह साफ बताना चाहता हूं । मान्यवर, विचारधारा अपनी जगह है । हो सकता है कि हमारे उनके मतभेद हो,

लेकिन मान्यवर, जहां तक धर्मनिरपेक्षता के आवरण में जो राष्ट्रवाद को कलंकित करने का कुप्रयास किया जायेगा, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगी । अनर्गल और आप्रसंगिक बातें यहां पर कही गयीं । मान्यवर, जो अयोध्या में हुआ वह भारतीय जनता पार्टी और हिन्दू समाज के लिये असहनीय है, इसलिये इसका भारतीय जनता पार्टी ने और हिन्दू समाज ने विरोध किया है, साधु-सन्तों ने विरोध किया है । मान्यवर, लांछन लगाया गया उसकी हम घोर निन्दा करते हैं ।

मान्यवर, आपत्ति तो मैंने कल ही उठायी थी और यह कहा था कि यह आयोजन शासकीय व्यय पर सांस्कृतिक कार्य विभाग द्वारा कराया गया और यह कहा जाता है कि उस पत्रिका के लिये पैसा नहीं दिया । मान्यवर, यह तो उसी प्रकार हुआ देहात में एक कहावत है "हडिया होट, डवआ पाटा" एक संस्था को इस कार्य के लिये पैसा दिया गया और उस संस्था के तत्वावधान में एक अनर्गल प्रचार करने वाली पत्रिका का प्रकाशन किया गया, यह मैं कहना चाहता हूं । मान्यवर, वहां के सरकारी अधिकारियों ने शांति व्यवस्था कायम करने के लिये सही कदम उठाये । उनको प्रताड़ित करके सरकार स्वयं यह संदेश देना चाहती है कि हमने जानबूझकर इन हिन्दू देवी-देवताओं को अपमानित और हिन्दू भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया था । मान्यवर, यह हिन्दू भावनायें, हिन्दू भावनायें न होकर राष्ट्र भावना है और इसे आहत करने का प्रयास किया गया है । इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में जो बात यहां पर कही गयी हैं, उसे सदन की कार्यवाही से स्पन्ज किया जाय । यदि यह नहीं हो सके तो आप इस पर पूरी चर्चा कराने की कृपा करें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह एक साधारण प्रश्न था, जिसे श्री गुप्त जी ने बड़े ही जोशीले तरीके से यहां पर उठाया । ऐसा लग रहा था कि वह कोई सार्वजनिक सभा में बोल रहे हैं । ऐसा जोशीला भाषण देकर उन्होंने उत्तेजना फैलाने का काम किया । इसलिये मेरा आपके माध्यम से श्री गुप्त जी से अनुरोध है कि वह यहां पर संयत भाषा का प्रयोग करें । माननीय श्री मित्रसेन यादव जी ने बड़ी खोज करके आपको कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया है । यदि आप उसका तर्कसंगत उत्तर देते तो हम भी उससे संतुष्ट होते । आपके लोगों ने डा० भीमराव अम्बेदकर जी के बारे में गलत टिप्पणी की, भगवान राम के बारे में गलत टिप्पणी की तथा अन्य देवी-देवताओं के बारे में गलत टिप्पणी की । जहां पर राजनैतिक लाभ होता हं वहां पर आप दूसरों पर दोषारोपण कर देते हैं और कहीं आप स्वयं इस तरह के उत्तेजनात्मक साहित्य छपवा कर, उसे बटवांकर लोगों में साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश करते हैं ।

मैं यह नहीं कहता कि यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है । यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता है । यहां पर लोग संविधान के अनुरूप चुनकर आये हैं । आखिर यह देश व समाज चलेगा कैसे ? अगर हिन्दू-हिन्दू की बात करेगा और मुसलमान मुसलमान की बात करेगा तो । हिन्दू धर्म के आप ही ठेकेदार नहीं हैं, आप से ज्यादा हिन्दुओं की तादाद तो इधर बैठे लोगों की है । आज बहुसंख्यक हिन्दू हमारे साथ हैं । आज हमें प्रयास करना चाहिये कि जो हिन्दुओं में जो ऊंच-नीच की बात है, उसे खत्म किया जाय । इस पर हमें विचार करना चाहिये । इसी ऊंच-नीच की भावना ने हिन्दू समाज को कमजोर किया है । यदि आप उसी रूढ़िवादी परम्परा को कायम करना चाहते हों तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब रूढ़िवादी परम्परा खत्म होकर मानवतावादी परम्परा कायम होकर रहेगी । आप लोग

हिन्दू समाज का झण्डा लेकर चलते हो और हमें हिन्दू धर्म का विरोधी बताते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि हिन्दू हमारे साथ हैं। गरीब, दलित, शोषित, पिछड़े आदि अपने अधिकार लेकर रहेंगे। अब वह आपके इन डरावने वाले शब्दों में आने वाले नहीं हैं और न ही वह अब वोट बैंक बन सकेंगे। वैसे यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। फिर भी श्री मित्रसेन यादव जी को सरकार आश्वस्त करना चाहती है कि इस समाज को बनाने वाले पत्रकारों, साहित्यकारों तथा समाज सेवियों को जो भी कठिनाइयां आयेंगी, उन कठिनाइयों को दूर करने का हर सम्भव प्रयास सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री मित्रसेन यादव जी ने नियम 300 के अन्तर्गत जो सूचना प्रस्तुत की है, वह नियम 300 की परिधि में नहीं आती है, अतएव इसे अस्वीकार किया जाता है।

आबकारी विभाग में सहायक आबकारी आयुक्तों की पदोन्नति में आरक्षित पदों पर नियुक्ति न किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

(श्री ऊदल जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री ऊदल जी की नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना है। आप उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे, इसलिये मैंने उसे निरस्त कर दिया है। अब आप इसे औचित्य के रूप में उठा सकते हैं, मैं इसे बाद में सुन लूंगा।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं अपनी बात एक मिनट में समाप्त कर लूंगा। मैं तो यहां पर सुबह से ही बैठा था। मैं समझता था आपकी निगाह मुझ पर पड़ेगी, इसी कारण मैं स्वयं खड़ा नहीं हुआ। मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में कहना चाहता हूं, वैसे आपने जो निर्देश दिये हैं, वह शिरोधार्य हैं, कि आबकारी विभाग में 38 पदों पर सहायक आयुक्तों को प्रोन्नति देनी थी। अगस्त, 1992 में जब श्री गुप्ता जी की सरकार थी तो जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उनमें से 31 को तो प्रमोशन दे दिया गया था परन्तु 7 पदों पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को आज तक प्रमोशन नहीं दिया गया है। श्रीमन्, कल हमारे पास कुछ लोग आये थे, मैमोरंडम भी दिये हैं। तो मैं समय ज्यादा न लेते हुए सरकार से जानना चाहता हूं इस तरह से इस मामले में डेढ़ वर्ष हो गया है यह अनुसूचित जाति जनजाति की सरकार है, हम लोग भी इसके समर्थन में हैं। अगर इस तरह से अधिकारियों के द्वारा भेदभाव किया जायेगा हम उनको कैसे संरक्षण दे पायेंगे। यह आबकारी विभाग में भी हो रहा है और विभागों में भी हो रहा है। आगे क्या करेंगे अगर आगे जगह होगी तो उसके साथ इसको भी मिलायेंगे तब 18 प्रतिशत निकालेंगे तो अनुसूचित जाति के लोग इस लाभ से वंचित हो रहे हैं। मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं कि इसमें टाइम निश्चित कर दें और जो बाधा प्रोन्नति में हो रही है उसे दूर कर 15 जनवरी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनवरी तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के 7 पद रिक्त हैं, विभाग में लोग मौजूद है, पात्रता भी रखते हैं, तो उनको प्रोन्नति दे देंगे ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय ऊदल जी जिन्होंने यह प्रकरण रखा है इस सदन के वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं यह नियम 300 के अन्तर्गत तो नहीं आता है लेकिन महत्वपूर्ण जरूर है हम इसको विधिक दृष्टि से दिखवा लेंगे जो भी संभव कार्यवाही होगी करेगे और आपको भी अवगत करा देंगे ।

श्री ऊदल–

यह मेमोरंडम है इसको मैं माननीय मंत्री जी को देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊदल जी की सूचना नियम 300 की परिधि में नहीं आती है, अतः अस्वीकार की जाती है । परन्तु आश्वासन जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है कार्यवाही हो जायेगी ।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति+

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के असाधारण गजट में प्रकाशित :–

(1) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1223/ग्यारह-9(94)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–92, दिनांक 31 मार्च, 1992,

(2) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1225/ग्यारह-9(94)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–92, दिनांक 31 मार्च, 1992, को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

(3) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1226/ग्यारह-9(94)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–92, दिनांक 31 मार्च, 1992 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–घ की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापी नहीं गई ।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अगस्त, 1992 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1अगस्त, 1992 के असाधारण गजट में प्रकाशित (1) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-3096/ग्यारह-9(94)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–92, दिनांक 31 मार्च, 1992,

(2) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-3097/ग्यारह-9(94)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–92, दिनांक 31 जुलाई, 1992,

(3) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-3099/ग्यारह-9(94)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–92, दिनांक 31 जुलाई, 1992 एवं

(4) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-3100/ग्यारह-9(94)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–92, दिनांक 31 जुलाई, 1992 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां +

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 अप्रैल, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित :–

(1) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-805/ग्यारह-7(1)–91–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–93, दिनांक 16 मार्च, 1993,

(2) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1007/ग्यारह-9(50)–93–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–93, दिनांक 3 मार्च, 1993, विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 29 मई, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति †

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 29 मई, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1920/ग्यारह-7(32)–90–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–93, दिनांक 28 मई, 1993, विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

+ छापी नहीं गई।

+ छापी नहीं गई।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 सितम्बर, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति †

समाज कल्याण मंत्री (श्री राज बहादुर)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 सितम्बर, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-3056/ग्यारह-7(32)–90–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–93, दिनांक 31 अगस्त, 1993,को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 30 सितम्बर, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्तियां +

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 30 सितम्बर, 1993 के असाधारण गजट में प्रकाशित–

(1) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-3366/ग्यारह-9(186)–92–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–93, दिनांक 28 सितम्बर, 1993,

(2) विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-3369/ग्यारह-9(124)–90–उ० प्र० अधि०–15-48–आदेश–93, दिनांक 30 सितम्बर, 1993, को उत्तर प्रदेश बिक्रीकर ऐक्ट, 1948 की धारा 3–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली 1993 †

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मत्री (डा० मसूद अहमद)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या वि० क०–2-2652/ग्यारह-9(605)–92–ऐक्ट, 74-56–नियम–57–संशोधन (प्रथम)–1993, दिनांक 31 जुलाई, 1993, के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश केन्द्रीय बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली 1993 †

माध्यमिक तथा बेसिक शिक्षा मंत्री (डा० मसूद अहमद)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या वि० क०–2-3055/ग्यारह-9(605)–92–उ० प्र० अधि०–15-48–नियम–48, संशोधन (2)–1993, दिनांक 31 अगस्त, 1993, के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1993 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–8 इसमें कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–9 इसमें भी कोई प्रश्न नहीं है ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 दिसम्बर, 1993 की बैठक में दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 के सदन द्वारा स्वीकृत तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

22 दिसम्बर

1–उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 128 के द्वितीय परन्तुक के प्राविधानों को शिथिल करते हुए "उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993" पर विचार एवं उसका पारण––आधा घण्टा ।

2–श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अंतिम दिन) ।

अब मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से प्रस्ताव के लिये कहता हूं ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में श्री अध्यक्ष ने आज जो सूचना दी है, उससे यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, यह सदन उससे सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ ।)

प्रदेश से बिक्रीकर समाप्त किये जाने विषयक आज के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न–2 से संबंधित दी गयी नियम 49 की सूचनाओं पर आधे घन्टे चर्चा स्वीकार करने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक सूचना मैं सदन को दे रहा हूं, प्रदेश से बिक्रीकर समाप्त करने के प्रारूप आदि विषयक आज दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को पूछे गये अल्पसूचित प्रश्न संख्या–2 नत्थी (क) के संबंध में श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल तथा श्री सरजीत सिंह डंग द्वारा दी गयी सूचनाओं पर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा मैंने स्वीकार की है । इस विषय पर चर्चा आज की कार्यसूची की मद संख्या–20 के उपरान्त सदन में प्रारम्भ होगी ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 11 में कुछ नहीं है । अब मद संख्या 12 ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, इसमें यह हमारी औपचारिक जिम्मेदारी है और मैं उसका यहां निर्वहन कर रहा हूं । चूंकि म्युनिसपैलिटी के चुनाव नहीं हुए और वहां अल्पकालिक व्यवस्था लागू है, उस व्यवस्था का समय बढ़ाने के लिये हम आपसे 6 महीने का समय और चाहते हैं, और प्रयास यह करूंगा कि 6 माह में उनके चुनाव करा दिये जायें ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया, जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे । समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे ।

यह संशोधन विधेयक जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, देखने में छोटा लगता है, लेकिन सैद्धान्तिक दृष्टि से यह बहुत गम्भीर बात है । बहुत से बोर्ड्स हैं जो सरकार के अधीन चल रहे हैं, वहां पर निर्वाचित सदस्य नहीं हैं । इसमें सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि बहुत पहले वहां चुनाव हुए थे, उसके बाद यह बोर्ड्स भंग कर दिये गये और सरकार के अधीन आ गये । अब वहां पर जनता के शहरों में उनकी समस्याओं में कितना परिवर्तन हुआ होगा, इसलिये अब यह आवश्यक है कि वहां पर जनप्रतिनिधि आकर उन बोर्डों के कार्य का संचालन करें । मान्यवर, इसमें 6 माह का समय बढ़ा दिया गया, अच्छा यह होता कि इसके बीच में सरकार शीघ्र चुनाव करा देती । इसके लिये जितने समय की उसे आवश्यकता होती, वह देने में हमें कोई आपत्ति नहीं होती । उससे सरकार की मंशा मालूम होती कि सरकार का इरादा चुनाव करा देने का है । लेकिन 6 महीने का समय बढ़वाकर, इसलिये बढ़ाया है कि आपको अधिकार था–जो अधिकतम समय का प्राविधान नियमों में है, उसका लाभ उठाकर आपने इसको रख दिया है और मैंने प्रवर समिति की बात भी इसलिये कही है कि इन बोर्डों के बारे में प्रवर समिति में जाने के बाद यह जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर सकें । इस तरह से इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नगर महापालिकाओं के बारे में शासन को ध्यान देना चाहिये । इनके कर्मचारियों के वेतन संदाय की जिम्मेदारी शासन को अपने ऊपर ले लेनी चाहिये क्योंकि कई बोर्डों की फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें । कर्मचारी तो कर्मचारी है । सरकारी कर्मचारी भी उनके बगल में काम करता है । पालिका कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह सुविधा देते हैं । अगर इनको साल-साल भर तक वेतन नहीं दिया जाता है तो यह भूखे पेट कैसे काम करेंगे ? इससे इनका कार्य प्रभावित होता है । लगभग एक वर्ष हो गया है कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राष्ट्रपति शासन में भी इस बारे में कहा गया और वर्तमान सरकार को भी लिखकर दिया गया कि इन कर्मचारियों को वेतन दिया जाय। शासन को इस बारे में विचार करना चाहिये ताकि इन लोगों को समय से वेतन मिल सके। अगर इनके वित्तीय स्रोत इस तरह के नहीं हैं कि यह अपने कर्मचारियों को वेतन दे सकें तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को ग्रहण करनी चाहिये।

मान्यवर, जब हमारी सरकार थी तो हमने अपने समय में इनके काफी समय से लम्बित ऐरियर्स तक का भुगतान किया था। मान्यवर, मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं जनपद सीतापुर से चुनकर आता हूं वहां के नगर महापालिका कर्मचारियों को ही नहीं आप देखें प्रदेश की जितनी भी नगर पालिकायें हैं वहां कर्मचारियों को कितने महीनों से वेतन नहीं मिला है ? ऐसे में कर्मचारी कार्य कैसे कर सकते हैं जब उनका पेट खाली हो। मान्यवर, यह बात हो सकती है कि कहीं पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं लेकिन अब यह भी नहीं है कि उनकी छंटनी कर दी जाय। 240 दिन जो काम कर चुका हो उसको स्थायी करने के आदेश हैं। स्थायीकरण के आदेश भी जारी हो गये परन्तु स्थायी कर देने से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। वेतन वितरण के बारे में भी शासन अपनी नीति स्पस्ट करें। मान्यवर, चुनाव कराने की जो बात कही गई है उसके बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि यह इतना आश्वासन जरूर दें कि चुनाव कब तक कराये जायेंगे ?

चुनाव प्रक्रिया में जितना समय लगना है उतने समय के भीतर ही चुनाव करवाने की व्यवस्था करेंगे ? नियमों में संशोधन भी हुआ है। केन्द्र सरकार ने भी कुछ संशोधन किया है। कार्य-काल समाप्त हो जाने पर चुनाव कराये जाने चाहिये। मान्यवर, यही दो-तीन बातें हैं जिनके कारण मैं इसे प्रवर समिति में भेजे जाने की बात कह रहा हूं। इसमें तीस दिन का समय मिल जायेगा और इतने समय में इस विषय पर सुझाव भी प्राप्त हो जायेंगे और आगे क्या कार्यवाही होगी इसकी भी जानकारी प्राप्त हो जायेगी। मान्यवर, मैं इस बात पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं कुछ माननीय सदस्यों को इस विषय पर अपने विचार रखने हेतु आमंत्रित कर रहा हूं।

* श्री रमेश कान्त लवानिया–

मान्यवर, सन् 1976 के बाद म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया है जहां अभी तक निर्वाचन नहीं हुआ है। 1977 में अधिनियम–13 के द्वारा जिला अधिकारियों के हाथ में दे दिया गया कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा। इस अधिनियम के तहत भी 31 दिसम्बर, 1993 में इनका कार्य-काल समाप्त हो रहा है। अब पुनः यह प्रस्तुत किया गया है इसका कार्यकाल मई, 1994 तक करने का प्रस्ताव है हम इस बात को समझ सकते हैं क्योंकि 31 दिसम्बर तक चुनाव कराना सम्भव नहीं है इसलिये समय बढ़ाया जाये, ऐसा कहा गया है लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि 6 महीने के लिये क्यों कार्यकाल बढ़ाया जाए ? मान्यवर, माननीय गुप्ता जी ने संशोधन रखा है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए यह सही है। इसमें विशेषज्ञों की राय ले ली जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप जल्दी समाप्त करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रमेश कान्त लवानिया–

मान्यवर, आपकी निगाह तो केवल तीन-चार लोगों पर ही जाती है नये सदस्यों को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। नौकरशाही के हाथ में प्रबन्ध चला जाता है तो भावनाओं को ठेस लगती है यदि राष्ट्रपति शासन अधिक दिनों चले तो विधान सभा के सदस्यों को कैसा लगेगा, तो कहा जाएगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लाया जाए। टाउन एरिया और नोटीफाइड के जो नागरिक हैं उनकी जो आवश्यकतायें हैं उनको वह किससे कहें उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जिलाधिकारी के पास इतने कार्य हैं डिस्ट्रिक्ट प्लान हैं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के कार्यों से ही उन्हें फुरसत नहीं है। जनता उनसे जाकर एप्रोच नहीं कर सकती है। चुनाव होगा तो पूरे क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी होगी नागरिकों को सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी। जो विधायक चुने जाते हैं सांसद चुने जाते हैं उनको अनुभव होगा वहां के लागे उनसे कहते हैं कि काम नहीं होता है राशन दिलवा दीजिए, नल लगवा दीजिए, जबकि यह हम लोग नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, यह तो लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है यदि पहली सीढ़ी मजबूत नहीं होगी तो लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पर पहुंचे बिना आप कैसे लोकतंत्र चला सकते हैं। कैसे उसको सुचारु रूप से चला सकते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि चुनाव यथा-शीघ्र कराए जाएं। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, प्रवर समिति की रिपोर्ट एक माह के अन्दर प्राप्त हो सकती है। हो सकता है प्रवर समिति, तीन माह में चुनाव कराए जाएं, यह कहे।

श्री अध्यक्ष–

गुप्ता जी आप कुछ कहना चाहेंगे या मैं इसको समाप्त कर दूं।

श्री रमेश कान्त लवानिया–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आधे घण्टे का समय तय किया गया था वैसे जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लें, कुछ नये सदस्य भी सुझाव देना चाहते हैं यदि आप सुन लें तो कृपा होगी।

* श्री जगदीश मुनि–

श्रीमन्, आपने मुझे बालेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, नगरपालिका के चुनाव के लिये समय बढ़ाने का प्रस्ताव आया है यह जनता के हितों को देखते हुए उचित नहीं है क्योंकि जो जिलाधिकारी होते हैं वह अपने क्षेत्रों के अन्दर रहते हैं, जनता की बात को वह नहीं सुन पाते हैं। लोकतंत्र के माध्यम से जनता प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचा सकती है चुनाव को आगे बढ़ाया जायेगा तो नगर के निकायों के प्रबन्ध का कार्यकाल बढ़ जायेगा। इसलिये निवेदन हैं कि उप नेता विरोधी दल ने जो प्रवर समिति में इसको भेजने का प्रस्ताव रखा है जो एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, मैं संशोधन के विषय पर कहना चाहता हूं। आज नगरपालिका और टाउन एरिया की स्थिति सारे प्रदेश में खराब हो गयी है। हम लोग लखनऊ जैसे महानगर में जहां हम जैसे विधायकगण रहते हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा रहा है, तो वहां जो नागरिक रहते हैं उनकी समस्याओं को आप समझ सकते हैं। मान्यवर, जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है कि सरकार चुनाव कराये उससे नागरिकों की समस्यायें हल होंगी। नागरिक जो अपेक्षा करते हैं उनको दुःख-दर्द में सहयोग मिलेगा। आज नागरिकों की स्थिति इतनी बदतर हो गयी है कि उसे जनप्रतिनिधियों को झेलना पड़ रहा है। जनता की आवाज को उठाना हमारा काम है। नगरपालिका के सदस्य का काम सीधे-सीधे सांसद और विधायक को करना पड़ रहा है।

मान्यवर, हमारे यहां लखीमपुर खीरी में गोला गोकरनाथ एक धार्मिक स्थल है.....

[1 बजकर 10 मिनट]

प्रतिमाह वहां लोग इकट्ठा होते हैं। उस समय नगरपालिका के लोग वहां की व्यवस्था कराने में सफाई आदि कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हैं। इस व्यवस्था को लागू कराने का जिनका कर्तव्य होता है वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तथा इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं। इस सबको ध्यान में रखकर जो माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है और वह समिति एक माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे दे उसका मैं समर्थन करता हूं। क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है इससे पूरे प्रदेश की जनता के हित जुड़े हुए हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री नवल किशोर–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। और इतना निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो चुंगी समाप्त करने का आधार माना गया है वह 1988-89 का आधार माना गया है जबकि मेरा इस संबंध में यह कहना है कि इसको 1989-90 को आधार बनाना चाहिए। मान्यवर, नगर पालिकाओं में जो वेतन दिया जाता है वह 4–4, 6–6, 8–8 महीनों तक के वेतन कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। यह सामने जो सरकार बैठी हुई है वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों की मसीहा होने का दावा करती है लेकिन हमारे जो बाल्मीकि भाई हैं उनको 6–6 महीनों से वेतन नहीं मिला है और वह रोटी तक के लिए मोहताज हैं इसलिए मेरा निवेदन यह है कि तनख्वाहों की जिम्मेदारी सरकार ने ली है तो उसका पालन किया जाय और जितने भी कर्मचारियों का वेतन बकाया है उनका तुरन्त भुगतान किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कई माननीय सदस्यों ने मेरे इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये मैं उन सभी का आभारी हूं । मुझे कोई नई बात नहीं कहनी है मुझे केवल इतना ही कहना है कि अगर आप यह आश्वासन देने की कृपा करें कि चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कल से आरम्भ कर दी जायगी और जो 6 महीने का समय है इसको कम कर दिया जायगा तो मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा । दूसरी बात यह आश्वासन चाहूंगा कि आप यह आदेश जारी कर दें कि वर्क चार्ज के अन्तर्गत जो सफाई कर्मचारी होते हैं, इस संबंध में आप यह सुनिश्चित कर लें कि उनको 15 दिन के अन्दर एरियर का भुगतान कर दिया जायगा, तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

महोदय, मैं कदाचित यह बताना भूल गया था कि सभी लोगों ने जो शंका जाहिर की है कि 6 महीने कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव है लेकिन यह 31 दिसम्बर, 1993 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नहीं यह मई तक बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

तो भी 5 महीने ही होते हैं इतना समय तो चुनाव की तैयारियों में ही लग जायगा । अभी तो हमारी सरकार पदारूढ़ हुई है । अभी जो माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं उनका ध्यान हम जरूर रखेंगे । मैं भी यही चाहता हूं कि इन निकायों पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का नियंत्रण रहे न कि अफसर शाही का । कर्मचारियों को वेतन देने के मामले में भी जो अपेक्षित कार्यवाही कर सकते हैं उसे जरूर करेंगे इस मामले में हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी । चाहे सफाई कर्मचारियों को वेतन देने का मामला हो चाहे दूसरे कर्मचारियों को वेतन देने का मामला हो मैं समझता हूं कि इस लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है । माननीय गुप्त जी ने काफी विचार इस पर व्यक्त कर दिये हैं उनके विचारों पर हमें चिन्ता है और हम भी चाहते हैं कि जन प्रतिनिधियों के हाथ में इनको दिया जाय, वहां पर बोर्ड बने । यह जो समय मांगा गया है यह बहुत अधिक नहीं है । मैं गुप्त जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस ले लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, शायद यह पहला मौका होता जब मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा करता लेकिन मुझे अफसोस है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरे दूसरे प्रश्न के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया । मैंने आश्वासन चाहा था कि नगर पालिकाओं में कार्यरत प्रथम रूप से सफाई कर्मचारियों और दूसरे अन्य कर्मचारियों के जो एरियर्स हैं उनको देने की घोषणा मंत्री जी करते । मुझे अफसोस है कि दलित, पिछड़े वर्ग के इन कर्मचारियों के बारे में मंत्री जी ने कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1993 कहा जायेगा । — संक्षिप्त नाम

2–उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1993" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 मई, 1994" रख दिये जायेंगे । — उत्तर प्रदेश अधिनियम सं०-13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1993" के स्थान पर शब्द और अंक "31 मई, 1994" रख दिये जायेंगे । — धारा 3 का संशोधन

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व खण्ड 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1993 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) †

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान किया ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, इसके पहले कि आप अपनी बात प्रारम्भ करें मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह अपना भाषण 3 मिनट के अन्दर ही समाप्त कर दें जिससे अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त हो सके ।

श्री बची सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह उत्तरांचल का पिछड़ा क्षेत्र है जिसके संबंध में 25 नवम्बर, 1992 को उत्तरांचल सेवा संवर्ग का गठन किया गया था । इसका गठन इसलिए किया गया था कि वहां पर जितने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति पर जाते हैं वह साल या 6 महीने में अपना ट्रान्सफर करवाकर मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं । लेकिन यह खेद का विषय है कि राष्ट्रपति के शासन के दौरान 25 नवम्बर, 92 को जो निर्णय लिया गया था उस नियमावली को अभी तक लागू नहीं किया गया है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में जहां उत्तरांचल के विकास को गति देने की बात कही है, तो मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम यदि वह 25 नवम्बर, 1992 को शासन के निर्णय के अनुसार जारी की गयी उत्तरांचल सेवा संवर्ग नियमावली को तत्काल कड़ाई से लागू करने के आदेश करें, तो यह जो हमारी सरकार उत्तरांचल के विकास की प्रतिबद्धता की बात कह रही है, उनकी जानकारी में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि उत्तरांचल में जो अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति पर जाते हैं, वे वहां पर भौगोलिक कठिनाइयों के कारण अपना स्थानान्तरण मैदानी क्षेत्र में करा लेते हैं, जिसके कारण वहां पर पद रिक्त हो जाते हैं और वहां पर विकास कार्य अवरुद्ध हो जाता है । इस प्रकार से वहां के स्थानान्तरण से वहां पर विकास

---

† दिनांक 17 दिसम्बर, 93 की कार्यवाही से ।

कार्य प्रभावित होते हैं। इसी को देखते हुए यह उत्तरांचल सेवा संवर्ग लागू किया गया था, जिसे राष्ट्रपति शासन के दौरान निष्प्रभावी कर दिया गया है।

सरकार अपनी विश्वसनीयता का परिचय देते हुए शीघ्र लागू करा दे। अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि कल जब यहां पर वर्तमान सरकार द्वारा उत्तराखण्ड पृथक राज्य बनाने की बात कही गयी थी, तो कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य ने मेज थपथपाकर इसका समर्थन किया था, परन्तु मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि 10 मई, 1993 को जब भा०ज०पा० द्वारा लोक सभा में उत्तरांचल राज्य का निजी विधेयक प्रस्तुत किया गया था और उस पर मतदान कराया गया, तो यही कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भा०ज०पा० के अलग राज्य के विधेयक के विरुद्ध मतदान किया था तथा अन्य दलों ने मतदान का बहिष्कार किया था। उत्तराखण्ड विकास विभाग बनाने की बात कही गयी है, तो मैं इसमें कहना चाहता हूं कि इसमें केवल तीन जिले चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ शामिल हैं। इसे मिलाकर चीन के युद्ध के बाद उत्तराखण्ड कमिश्नरी बनायी गयी थी और आज भी उत्तरांचल क्षेत्र में एक भूमि संबंधी कानून लागू है, जिसे कूजा ऐक्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ कुमायूं एण्ड उत्तराखण्ड जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट है। इसमें भी कुमायूं और उत्तराखण्ड को अलग-अलग बताया गया है। अतः कुमायूं, गढ़वाल के जिलों को मिलाकर उत्तराखण्ड राज्य बनाने की बात कानूनी तौर पर भी सम्भव नहीं है, क्योंकि उत्तराखण्ड एक छोटे से तीन जिलों के भाग को प्रदर्शित करता है, जबकि उत्तरांचल के नौ जिलों को मिला कर पृथक राज्य बनाना प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड व्यवहारिक रूप से भी उचित नहीं है, क्योंकि आजादी के बाद नये राज्य जैसे हिमांचल और अरुणांचल बने हैं, उसी प्रकार उत्तरांचल नाम अधिक सार्थक है। खण्ड नाम से किसी भी राज्य का गठन आज तक नहीं किया गया है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पौराणिक और ऐतिहासिक रूप में उत्तरांचल क्षेत्र को हिमवन्त काराजल, कूर्वांचल, उत्तराद्वीप और ब्रह्मपुर नामों से पुकारा गया है। उत्तराखण्ड नाम इसका कभी नहीं रहा। अगर वास्तव में पृथक राज्य की पक्षधर स०पा० ब०स०पा० और कांग्रेस है, तो 12 अगस्त, 1991 को जो पृथक राज्य उत्तरांचल का प्रस्ताव लोक सभा में पत्रावली सहित सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भेजा गया था और जो प्रस्ताव आज भी केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, उसे स्वीकृत कराने के लिए अपने-अपने संसद सदस्यों से निवेदन करें, तो उत्तरांचल राज्य बनने में कोई कठिनाई नहीं होगी, अन्यथा केवल राज्य का नारा लगाने से कोई लाभ नहीं है। इस संबंध में मुझे यह भी कहना है कि पृथक राज्य बनाने का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार का नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार का है। आज प्रमोद तिवारी जी यहां पर नहीं बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे दिल्ली में बैठे अपने पार्टी सांसदों को यदि उत्तरांचल के विचाराधीन प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहें, तो उनका स्वागत होगा। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र में प्राइमरी से महाविद्यालय स्तर तक अध्यापकों के पद रिक्त हैं, नहरों एवं पेयजल योजनायें ठप पड़ी हैं, मोटर मार्ग बन्द पड़ा है, स्कूल भवनविहीन हैं, बेरोजगारी बढ़ गयी है। इस दिशा में भी ठोस उपाय किये जाने चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं, आपकी कृपा के लिए कि आपने मुझे अवसर दिया और मैंने बहुत ही धीरज के साथ माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को सुना और कई बार उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जनादेश तो उन्हें प्राप्त हुआ है। श्रीमन्, जनादेश यदि इन्हें प्राप्त हुआ है, तो फिर यह कैसी विडम्बना है कि वह वहां पर बैठे हुए हैं और हम यहां पर बैठे हुए हैं। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जनादेश हमें दिया है और उत्तर प्रदेश की बागडोर माननीय मुलयम सिंह यादव जी के हाथों में आयी है और सारी गांव-गली की आवाज को यहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार में पहुंचाया गया है और माननीय मुलायम सिंह के हाथों में यह बागडोर सौंपी गयी है। आप इस बात पर आत्म विश्लेषण करें कि थोड़े ही समय में आपको उधर बैठने के लिए विवश क्यों होना पड़ा ? सत्ता दल में जब आप थे तो दो तीन बातें आपके सामने थीं। एक तो आपके सामने धर्म संसद थी। आपका वर्तमान संसद में विश्वास नहीं है। आप धर्म संसद की बात करते थे। डा० अम्बेदकर ने जिस संविधान को बनाया, उसमें आपका विश्वास नहीं है। माननीय कल्याण सिंह जी उधर बैठे हैं, नेता विरोधी दल की सीट पर बैठे हैं, मेरी उनके प्रति अच्छी धारणा रही है। मैं 20 वर्षों से उनको जानता हूं, मुझे उनके साथ बैठने का अवसर मिला है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो फैसला किया है, उस पर उनको आत्म विश्लेषण करना चाहिए। जो उन की धर्म संसद है, उसके तहत वह नहीं चाहते थे कि वह गरीब अपने अधिकार को प्राप्त कर सकें। उनका विश्वास सड़ी गली और पुरानी तथा मनुवादी व्यवस्थाओं में रहा है। वह पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं, लेकिन वह धर्म संसद की बात करते हैं, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है।

मैं समझता था कि जल्दी ही लाल बत्ती हो जायेगी। मान्यवर, मैं बहुत जल्दी ही अपनी बात को समाप्त करता हूं। मान्यवर, 6 दिसम्बर की घटना है। मस्जिद गिरायी गयी और आप उसको रोक नहीं पाये। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के इतिहास में यह एक ऐसा कलंक है, जो कभी समाप्त नहीं होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने 6 दिसम्बर की तारीख ही क्यों चुनी गयी। 6 दिसम्बर बाबा साहेब अम्बेदकर का निर्वाण दिवस है और चाहते थे कि उसी दिन उनका बनाया हुआ संविधान टूट जाये, बिखर जाये। इस प्रकार से यह बड़ी शर्मनाक बात की गयी। इसके लिए आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी। मैं कालिदास जी के एक श्लोक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं –

अनन्त रत्न प्रभवस्य यस्य,
हिमं न सौभाग्य विलोपि जातम्
एकोहिदोषा गुण सन्निपाते,
निमज्जतीन्दोः किरणेयुवाकः।

वह हिमालय जिसकी गोद में अनन्त रत्न भरे पड़े हैं, दोष खोजने वाले लोग उसमें भी दोष ढूढ़ते हैं और कहते हैं कि उसकी चोटियां बर्फ से आच्छादित रहती हैं। गुणों के समूह में एक दोष चन्द्रमा की किरणों में उसकी कालिमा की तरह लुप्त हो जाता है।

आप मस्जिद के नाम पर बिदकने लगते हैं। तो आप यह मानें, कि आपने मंदिर गिराया है, मंदिर तोड़ा है और आपको मंदिर तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। जनता ने आपको मंदिर तोड़ने की इजाजत नहीं दी है। किसी चीज को देखने का नजरिया अपना होता है। आधे भरे हुए गिलास को कोई कहता है कि आधा भरा है और कोई कहता है कि आधा खाली है तो अपना-अपना नजरिया किसी चीज को देखने का अलग-अलग होता है। मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि गांवों की जो सड़के हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और पेयजल की व्यवस्था के बारे में ध्यान देना चाहिए। और आने वाला वक्त बतायेगा और अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिये में जान होगी वही दिया रह जायेगा। तो जिस दिये में जान थी वही दिया रह गया और जिस दिये में तेल कम हो गया है वह विपक्ष में बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अब जान लिया है कि भा०ज०पा० गरीबों की हितैषी नहीं है, शोषितों और दलितों की शुभचिन्तक नहीं हैं इसीलिए मैं यह कहता हूं कि

गर ये कयामत का सामान लिये बैठे हैं
तो हम भी मर मिटने का अरमा लिये बैठे हैं।
दर्दे दिल सोजे जिगर चाके गरीबा की कसम,
अपनी हर आह में तूफान लिये बैठे हैं।
गर तड़फ उठे तो बदल जाये जमाने का निजाम
गो लाख हाल हम परेशान लिये बैठे हैं।
काफिले वालों सम्भलकर न भटक जाना कहीं।
कितने हरगाम पर यह बी०जे०पी० के लोग शैतान लिये बैठे हैं॥

इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देता हूं और आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

* श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, इस प्रदेश में पूरा जल स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। मान्यवर, प्रदेश का जल स्तर गिरने से इस प्रदेश का आर्थिक नुकसान हो रहा है।

(इस समय 1 बजकर 31 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अशोक बाजपेयी पीठासीन हुये)

ट्यूबवेल में पानी नहीं रह गया है बिजली और सिंचाई की समस्याएं गम्भीर होती जा रही हैं लेकिन मान्यवर, इस सरकार का कोई भी ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। मैं सरकार का ध्यान अपनी इस बिन्दु की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश के गिरते हुए जलस्तर को ऊंचा करने के लिये इनको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रयास करना चाहिए और उस प्रयास के न होने पर हम यह देखते हैं कि प्रदेश का जलस्तर गिरने पर हमारे ट्यूबवेल नहीं बन रहें हैं और न ही हमारे हैण्डपम्प लग रहें हैं। जलस्तर बहुत नीचा चले जाने के कारण हमारे यहां पानी की समस्या पैदा हो गयी है। दूसरा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बरसाती पानी की अमूल्य सम्पदा प्रदेश की बहती हुई नदियों के द्वारा, नालों के द्वारा चला जा रहा है। इस अमूल्य सम्पदा को रोकने के लिए किसी सरकार ने आज तक कोई कार्य नहीं किया है और न ही कोई प्रयास किया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह सम्पदा बहती रही तो इससे बरसात का कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को यह चाहिए कि इसके लिए बांध बनाये और तालाबों के पानी को रोकने के लिए उनमें जल संग्रह करे। मान्यवर, खेत का पानी खेत में और धान का पानी धान में, इसको ध्यान में रखकर बरसात के पानी को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। अगर यह बेकार चला जायेगा तो नदियों के किनारे का जलस्तर नीचे चला जायेगा। यदि नदियों में पानी रोका गया, पानी का संग्रह किया गया तो यह जलस्तर ऊपर आ जायेगा और हमारे प्रदेश को इससे लाभ होगा।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं इस प्रदेश में 63 जिलों में से 42 जिलों का पानी आंशिक रूप से खारा हो गया है इसको रोकने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि नदियों में और तालाबों में जल स्तर बनाये रखा जाय। मान्यवर, हमारा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी राजस्थान से मिला हुआ है। हमारे क्षेत्र में 300 छोटे बड़े कुएं हैं जिसमें से 268 कुओं का पानी खारा है। 80 प्रतिशत खारा पानी होने के कारण, मान्यवर उस खारे पानी से न तो खेती की पलेवट हो सकती है, अगर पलेवट कर भी ली जाय तो गेहूं और दूसरे अनाजों की जर्मीनेशन नहीं हो सकती है। पेयजल का संकट गम्भीर रूप से वहां बना रहता है। मान्यवर, मैंने पूर्व में भी इस विधान सभा में संकल्प दिया था। उस संकल्प के अनुसार गर्वनमेंट ने उन्नाव, रायबरेली, आगरा और मिर्जापुर में इन चार जिलों में वाटर टेकनोलाजिकल मिशन सेन्टर के अन्तर्गत वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 में 2 करोड़ 74 लाख रु० आगरा को दिये गये। उस रुपये का प्रयोग खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने की सम्भावनाओं की खोज हेतु करना था कि कौन-कौन से प्लान्ट लगाये जायं ? परन्तु, मान्यवर उस पैसे का सदुपयोग न कर दुरुपयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी आगरा को तमाम बार लिखे जाने के बावजूद अभी तक उस पैसे को नहीं निकाला गया है। मान्यवर, आप सामने बैठी हुई सरकार को आदेश दें कि प्रदेश में खारे पानी को मीठे पानी में परिवर्तित करने हेतु जो धन आवंटित कर टेक्नोलाजिकल मिशन सेन्टर को भेजा गया है, आगरा में भेजा गया है, मिर्जापुर, उन्नाव में भेजा गया है, रायबरेली में भेजा गया है, उसको देखे कि उसका सही उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। जो इतनी भारी रकम दी जा रही है वाटर टेक्नोलाजिकल मिशन को उसका सदुपयोग सुनिश्चित करायें।

मान्यवर, आगरा में भारी पेयजल संकट व्याप्त है। आगरा की जनता को प्रदूषित पानी पीना पड़ता है, गत वर्ष कई मौते इस प्रदूषित पानी के उपयोग से हो गयी। माननीय मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने अपने पूर्व मंत्रिमंडल काल में बैराज मण्डल निर्माण की स्थापना की थी उस पर 2 लाख रु० प्रतिमाह खर्च हो रहा है मैं चाहूंगा कि आगरा में यमुना नदी पर वहां के पेयजल संकट को दूर करने के लिये बैराज बनाने की घोषणा करने का कष्ट करें। मान्यवर, ग्राम समूह पेयजल योजना में सम्मिलित किसी गांव में पानी वहां नहीं जा रहा है आगरा के देहात के लोग प्यासे मर रहे हैं जितनी भी ग्राम समूह

पेयजल योजना हैं उन योजनाओं को छोटा-छोटा कर दें, उनमें 70 एल०पी०सी०डी० की योजना करवायें अन्यथा ग्रामीण जनता प्यासी मरती रहेगी ।

मान्यवर, मैं अन्त में कहना चाहूंगा कि जो सुझाव मेरे द्वारा दिये गये हैं कृपया उन पर विचार कर उनको अमलीजामा पहनाये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ।

श्री राम दास पाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय नेता सदन में प्रदेश के किसानों, निर्बल वर्गों, पिछड़ों, कर्मचारियों, बेकार नौजवानों, महिलाओं के लिये जो कल्याणकारी योजनायें दी हैं जो घोषणायें की गयी हैं उसके लिये इस सदन में जितनी उनकी प्रशंसा की जाय वह कम हैं । लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है हिन्दुस्तान की आजादी के पहले किसानों की बेहतरी के लिये जो सपना आजादी के लड़ने वालों ने देखा था आज वह सपना हिन्दुस्तान में पूरा होता नजर नहीं आ रहा है ।

हमारे नेता, माननीय नेता सदन, किसान के बेटे हैं और किसानों के लिये उन्होंने अनेक घोषणायें की हैं आज प्रदेश में करोड़ों-करोड़ों की योजना बन रही है । तमाम घरों में आज भी एक समय रोटी खाने के लिये नहीं है । करोड़ों महिलायें एक ही साड़ी से अपना जीवन बसर करती हैं । कई बार तो यह भी होता है कि अगर बहू साड़ी पहनकर बाहर जाती है तो बेटी घर में ही रहती है और यदि बेटी साड़ी पहनकर बाहर जाती है तो बहू घर में ही रहती है । मैं चाहता हूं कि आज सदन में जितने नेता बैठे हुए हैं उनके ऊपर यह दायित्व है कि वे किसानों के बारे में सोचें और जो भारत का सपना था, गांधी जी का सपना था, नेहरू जी का सपना था, डा० लोहिया का सपना था, चौधरी चरण सिंह जी का सपना था, किसानों के विषय में, जो आधा अधूरा रह गया है, उसे पूरा करें । कल्याणकारी योजनाओं को पूरा किया जाये । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनिवार्य फसल योजना की बात कही है वह बहुत ही स्वागत योग्य बात है । आज किसानों की हालत यह हो गयी है कि जब बाढ़ आ जाती है या उनके ऊपर कोई संकट आ जाता है तो इससे उनको बहुत लाभ मिलेगा ।

मान्यवर, जो विद्युत के सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि गांवों में 16 घन्टे बिजली की आपूर्ति की जायेगी आज तक शायद ही हिन्दुस्तान में इस तरह की व्यवस्था की गयी हो । जो पांच सितारा होटल में लोग बैठते हैं जिन्हें 24-24 घन्टे बिजली मिलती है और जो वहां का खर्चा बर्दास्त कर पाते हैं, उनको पूरी सुविधा दी जाती है लेकिन जो बेचारा गरीब किसान है, खेतों में काम करने वाला आदमी है आज तक उसको बिजली नहीं मिल पाती थी, मगर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने 16 घन्टे बिजली देकर एक स्वागत योग्य कदम उठाया है । इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 27 प्रतिशत आरक्षण की बात कही है, पिछड़े वर्गों के लिए, इस पर न जाने कितने नौजवानों ने अपनी कुर्बानी दी, कितनों ने बर्बादी का घर देखा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, आज नेता सदन ने जो निषाद और कहार जाति के लोगों को पट्टे दिये हैं उनका जीवन स्तर को उठाने के लिये और जो समता मूलक

समाज की स्थापना की बात कही गयी है इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं हमारे साथी जो प्रतिपक्ष में बैठे हुए हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने देश की आजादी के बाद हजारों-हजार वर्ष तक जिन लोगों का शोषण किया, उनको वोट देने का अधिकार छीन लिया था, हमारे विधान सभा क्षेत्र डेरापुर में सन् 47 के बाद से करीब 7 हजार लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैलेट पेपर पर अंगूठा छापा हैं और उनको वोट देने का अधिकार है; जो भारतीय जनता पार्टी से चुनकर आते थे उन्होंने बन्दूक के बल पर, गोलियों के बल पर वोट लिये थे, ने आज वोट दिया है। जो शोषित थे, पीड़ित थे, सर्वहारा जाति के थे। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र से चुनकर आया हूं।

मान्यवर, हमारा विधान सभा क्षेत्र डेरापुर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहां पर पीने के लिये पानी नहीं, है, कई दर्जनों कुएं ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं मगर फिर भी उनमें पानी नहीं है, वहां पर सड़क के नाम पर सिर्फ चार ही सड़क हैं। मान्यवर, जो पिछली सरकार में वहां से चुनकर आये थे उन्होंने कागजों में फर्जी सड़कें बनायी हैं। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें पूरा किया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। बहुत लम्बा हो गया है।

श्री राम दास पाल–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूं। मान्यवर, मैं उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रतिष्ठानों में श्रमिकों की भागीदारी की बात कही है उसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें आपने बहुत कुछ कह दिया है।

(शोर/व्यवधान)

श्री राम दास पाल–

अन्त में मैं माननीय हृदय नारायण जी द्वारा जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं।

विपक्ष के अनेक सदस्यों द्वारा स्वयं को बोलने का मौका दिये जाने का अनुरोध करने पर – शोर)

(व्यवधान के मध्य श्री राम प्रसाद, सदस्य का प्रारम्भ का भाषण सुना नहीं जा सका)

श्री रवीन्द्र प्रताप मल्ल–

माननीय अधिष्ठाता जी, सदन में मंत्रि परिषद् के संसदीय कार्य मंत्री उपस्थित नहीं है, मुख्य मंत्री जी भी उपस्थित नहीं हैं, उन्हें बुलवाया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्रि परिषद् के और सदस्य उपस्थित हैं, इसलिये कोई कठिनाई नहीं है।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें बोलने का समय दिया। मान्यवर, आज उस पर्वतीय विकास परिषद् का बुरा हाल हो गया है, आये दिन उसका नाम बदल दिया जाता है। वित्तीय अधिकार की आवश्यकता है। आज वहां पर छोटे-छोटे जिलों की जरूरत है। वर्तमान सरकार ने भी उत्तराखण्ड की बात तो कही है, लेकिन वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, जिला, ब्लाक, तहसीलों की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र में छोटे-छोटे जिले बनाये जायें और विशेष कर बागेश्वर को इसी वर्ष जिला घोषित किया जाय। मान्यवर, वहां पर पर्यटन की दृष्टि से विश्वविख्यात पर्यटन केन्द्र पिन्डारी ग्लेशियर, कौसानी स्थित है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। आज वहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, वहां पर पूरे विश्व के पर्यटक घूमने आते हैं, लेकिन वहां पर यातायात का एकमात्र साधन बसे जो हैं, वह एकदम खटारा हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वहां पर्यटकों की सुविधा को देखते हुये अच्छी किस्म की बसें लगाई जायें। इसके अतिरिक्त वहां अन्य कई अच्छे-अच्छे पर्यटन केन्द्र भी हैं, वहां भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये रज्जू मार्ग बनवाये जायें, जिससे कि लोगों को पर्यटन में सुविधा हो सके साथ ही बागेश्वर में रोडवेज डिपो की अच्छे किस्म की बसों सहित खोले जाने की आवश्यकता है। पर्यटकों व आम जनता की सुविधा व शराब तस्करी रोकने के लिए पूर्व की भांति पुनः शराब के लाइसेन्स व ठेके से खुली बिक्री कराई जाय।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम प्रसाद टम्टा–

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वहां कोल्ड स्टोरेज के अभाव में तमाम कृषि उत्पाद की मिट्टी के मोल किसानों को बेचना पड़ता है, वहां नये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाय। कृषि में भांग की खेती को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता तथा ऐसे से चटाई बोरे आदि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा साथ ही बीज हस्डे होना कृषकों द्वारा सब्जी में मसाले का उपयोग होगा और कृषकों की आय के साथ राजस्व भी बढ़ेगा।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो चुका है।

(विपक्ष के कई सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री राम प्रसाद टम्टा–

मान्यवर, हमारा क्षेत्र भूतपूर्व सैनिकों का क्षेत्र हैं, उनके पुनर्वास के लिये, कल्याण के लिये नई योजनायें बनाई जायें। उनको व्यवसाय लगाने हेतु कच्चे माल की व्यवस्था की जाय। पर्वतीय क्षेत्र के

शिल्पकारों व लघु उद्योगों के हित में कच्चा माल के बाजार की व्यवस्था करायी जाय ताकि मेरे क्षेत्र की बेरोजगारी में कमी आ सके ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो चुका है, आपका नहीं लिखा जायेगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य, शान्ति बनाये रखें, सभी का नम्बर आयेगा ।

श्री वीरेन्द्र मोहन सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मुझे समय दिया । मैं तराई के पूरनपुर इलाके से आया हूं और तराई के अन्दर इस सरकार से बहुत अपेक्षायें हैं क्योंकि यह सरकार किसानों की सरकार मानी जाती है, पर जो राज्यपाल का अभिभाषण है उनके अन्दर तराई के लिए दो ऐसे बिन्दु हैं जो कि किसानों की सरकार होने के नाते इसमें कोई उल्लेख नहीं है । मैं आपके सामने दो बिन्दु रखना चाहता हूं, वह यह कि यह सरकार जो अपने को किसानों की सरकार बताती है, किसानों के समर्थन में क्या कर रही है ? अगर यह किसानों की सरकार है तो उसके किसानों के बेहतरी के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए । पूरे तराई क्षेत्र के अन्दर धान बहुत पैदा होता है । किसानों के लिए एक समर्थन मूल्य होता है । धान का समर्थन मूल्य 310 रुपये प्रति कुन्टल है । लेकिन पूरनपुर और खासतौर से पीलीभीत के अन्दर 230–240 रुपये प्रति कुन्टल तक धान बेचा गया है और उसका फायदा व्यापारियों ने उठाया है, गल्ले के व्यापारी हैं, उन्होंने उठाया है । इस सरकार को तीन हफ्ते हो गये हैं ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपनी बात माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं । इस चीज को आपको देखना है कि किसानों को समर्थन मूल्य मिले अगर समर्थन मूल्य नहीं मिलता है तो किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है । किसानों का जो 70–80 रुपये का घाटा हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है ? आपने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर दंगा होता है तो उसके लिए डी० एम० को दोषी ठहराया जायेगा, लेकिन जो किसानों के साथ दंगा होता है उसके लिए आप किसको दोषी ठहरायेंगे, यह स्पष्ट नहीं है । इसके अलावा एक और निवेदन मैं माननीय मुख्य मंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं जो सिख समुदाय के लोग टाडा में बन्द हैं, तराई में जब आतंकवाद फैला था तो तमाम लोग उसके शिकार हुए, लेकिन आज की तारीख तक सरकार से कोई घोषणा नहीं हुई है कि जो निर्दोष हैं, उनको कब तक छोड़ा जायगा, दो साल हो गया । अभी तक चालान भी पेश नहीं हुए । जो दोषी हैं उनको चाहे कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, लेकिन जो निर्दोष हैं उनके लिए आप एक कमेटी बनायें, उसकी जांच करायें और अगर निर्दोष हों तो उनको रिहा करने के आप निर्देश दें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हरक सिंह रावत–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने राज्यपाल के अभिभाषण का बड़े गौर से अध्ययन किया । मुझे बड़े खेद के साथ आपके माध्यम से उल्लेख करना है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो इसी सदन के माध्यम से 12 अगस्त, 1991 को उत्तरांचल राज्य का प्रस्ताव बहुमत के माध्यम से पारित कर केन्द्र सरकार को भेजा गया था, यह सत्ता पक्ष ने चुनाव के दौरान पर्वतीय क्षेत्र, उत्तरांचल क्षेत्र में एक पृथक राज्य की घोषणा की गयी थी । हम पृथक राज्य के हिमायती हैं । लेकिन महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण में पृथक उत्तरांचल राज्य स्थापित किये जाने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, यह बड़े खेद की बात है । जिस प्रस्ताव को बहुमत से पास करके इस सदन ने केन्द्र सरकार को भेजा है, उसके संबंध में इस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाला जाय, कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना की घोषणा अतिशीघ्र की जाय । 25 नवम्बर, 1992 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, प्रधानाचार्यों व अन्य पदों को रिक्त देखते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था और हिल कैडर को लागू किया था । यह पर्वतीय क्षेत्र की जनता की मांग थी । होता यह था कि प्रमोशन पर लोगों को वहां भेजा जाता था या फिर पनिशमेंट पर लोगों को वहां भेजा जाता था और वे अधिकारी/कर्मचारी अपनी सुविधानुसार अपना ट्रान्सफर करा लेते थे, फलस्वरूप पद रिक्त रहते थे । इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर 25 नवम्बर, 1992 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेकर हिल कैडर लागू किया था ।

श्रीमन्, उत्तर प्रदेश के अन्दर एक वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रहा और महामहिम श्री राज्यपाल जी ने भी घोषणा की थी कि हम हिल कैडर लागू करेंगे परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में हिल कैडर को कड़ाई से लागू किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है । इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हिल कैडर को कड़ाई से लागू किया जाय, जिससे कि वहां पर विद्यालयों की जो जरजर दशा हो गयी है और शिक्षा व्यवस्था चरमरा गयी है, उसे बचाया जा सके । अधिकारी और कर्मचारी जो वहां पर विकास के हाथ हैं उनके हाथों को मजबूत किया जा सके और वहां पर लोगों को नौकरी की सुविधा उपलब्ध हो सके ।

मान्यवर, आपने मण्डल आयोग की सिफारिशों तथा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के परिप्रेक्ष्य में आरक्षण की व्यवस्था लागू की है पिछड़ी जातियों के आये । परन्तु मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वहां पर इस मण्डल आयोग की सिफारिश के आधार पर कोई भी जाति नहीं आती है इसलिए 27 प्रतिशत आरक्षण का जो फायदा लोगों को मिलना है, उसका फायदा पर्वतीय क्षेत्र की जनता को मिलने वाला नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि सम्पूर्ण उत्तरांचल की जनता को मण्डल आयोग के दायरे में लाया जाय । चाहें वह ब्राह्मण जाति हो, चाहे वह राजपूत हो या फिर दूसरी सवर्ण जाति हो ।

श्रीमन्, गरीबों की दुहाई देकर, किसानों की दुहाई देकर आज यह सरकार सत्ता में विराजमान है । परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में कहीं पर भी पर्वतीय क्षेत्र के किसानों के हित के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की गयी है और न ही उसका उल्लेख किया गया है । श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की तुलना में अलग तरह के किसान रहते

हैं। वहां पर सीढ़ीनुमा खेत हैं। वहां पर कृषि नीति क्या होगी और कृषि के विकास के लिए क्या नीति होगी, इसका कोई उल्लेख अभिभाषण में नहीं किया गया है।

श्रीमन्, इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र औद्योगिक शून्य क्षेत्र हैं। वहां पर उद्योगों के विकास के लिए क्या नीति होगी और वहां पर युवा वर्ग के हाथों को कैसे रोजगार दिया जायेगा, इसका उल्लेख भी महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र में अंशकालिक अध्यापक हैं जो विगत 5 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सरकार ने कुछ अंशकालिक अध्यापकों को स्थायी नियुक्ति दे दी थी, इसलिए मेरा इस सरकार से निवेदन है कि जो अंशकालिक अध्यापक बच गये हैं, उनको नियुक्ति दी जाय। परन्तु इसका भी कहीं उल्लेख नहीं है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार व विकास का जो पहिया रुक गया है, उसका मूल कारण है वन अधिनियम। इस वन अधिनियम के कारण वहां पर विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि पर्वतीय क्षेत्र से वन अधिनियम को, वहां की जनता के हित को देखते हुए समाप्त किया जाय ताकि पर्वतीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। जयहिन्द।

* श्री वशीर–

महोदय, मैं मौदहा निर्वाचन क्षेत्र 322 से चुनकर आया हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का मौका दिया। मौदहा जनपद हमीरपुर सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है इस क्षेत्र का पिछड़ा होने का कारण यह है कि पूर्व मुख्य मंत्री चन्द्र भानु गुप्त यहां से चुनाव हारे थे। यह क्षेत्र विपक्षी सोच का रहा है इसलिए इसको उपेक्षित रखा गया है। हमारे जनपद में 4 तहसीलों में 5 विधायक हैं। चार विधान सभा क्षेत्र में डिग्री कालेज है लेकिन मौदहा कस्बा हर हिसाब से आर्थिक और राजनैतिक सभी दृष्टि से विकसित है लेकिन मौदहा विधान सभा क्षेत्र में कोई डिग्री कालेज नहीं खोला गया है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि हमारे यहां एक डिग्री कालेज खोला जाय। मौदहा शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। खासकर बड़े गांव जो हैं जैसे सिसोलर और मुस्तरा में इण्टर कालेज की आवश्यकता है वहां इण्टर कालेज खोला जाय।

हमारे यहां एक गांधी विद्यालय हाई स्कूल तक चल रहा है उसे इण्टर कालेज की मान्यता दी जानी चाहिए। आदर्श विद्यालय अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए चलाया है उसे हाई स्कूल की मान्यता दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां डा० भीमराव अम्बेडकर टैक्निकल शिक्षा संस्थान के नाम से एक संस्था चल रही है मैं चाहूंगा कि वहां एक टैक्निकल स्कूल खोला जाय। जिससे वहां अनुसूचित जाति के लोग टैक्निकल शिक्षा पा सकें।

आखिर में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का एक रहमानियां कालेज चलता है जिसका अल्पसंख्यक स्वरूप है उसका अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल किया जाय। मैं उर्दू के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बारे में कहना चाहता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में उर्दू पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं उनकी व्यवस्था की जाय। हमारे यहां लड़कियों के लिए गर्ल्स इण्टर कालेज खोला जाय ताकि लड़कियां वहां की पढ़ सकें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री वशीर–

मैं आपकी आज्ञा मानते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं आशा करता हूं नया सदस्य होने के नाते हमें बाद में समय देंगे।

* श्री रंगनाथ–

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो बातें रखी गयी हैं उसमें भदोही जनपद के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भदोही में कारपेट का व्यवसाय होता है और कारपेट के व्यवसाय से अरबों डालर की विदेशी मुद्रा हम अर्जित करते हैं। बंधुआ मजदूर मुक्ति मोर्चा के नाम से वहां एक संगठन है उसमें कुछ लोगों के द्वारा घृणित प्रचार चलाया जा रहा है, उस क्षेत्र के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं वह भी इससे सहमत होंगे। हमारे यहां के पड़ोई, खमरिया इलाके के गरीब लोगों को बंधुआ मजदूर मोर्चा के नाम से लोग उत्पीड़ित करते हैं जो बच्चे अपने मां-बाप से इस कला को सीखते हैं उन बच्चों को हिरासत में रखा जाता है। उनके द्वारा विदेशों में प्रचार किया जाता है कि यह कालीन हिन्दुस्तान से बनकर आया है और यह बच्चों के खून से बना हुआ है। इसके माध्यम से हमारे इस उद्योग को नष्ट करने का कुचक्र किया जा रहा है।

मान्यवर, जहां तक बिक्रीकर समाप्त करने की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार संसाधन इकट्ठा करने जा रही है लेकिन दुःख है कि अरबों डालर की आय हो सके इसके लिए इस उद्योग के विकास के संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

दूसरी बात मान्यवर, मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं जिनकों सहायता (एड) देने की व्यवस्था होनी चाहिए लेकिन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इसके संबंध में कोई उल्लेख नहीं है बल्कि शिक्षकों को हथकड़ी लगाने की बात की जा रही है जिससे सरकार की शिक्षा और शिक्षकों की विरोधी नीति उजागर हो रही है। इसलिए सरकार से मैं चाहता हूं कि जिन हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेजों को 10 वर्षों से मान्यता प्राप्त है उनको एड दी जाय।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद की भदोही तहसील के बारे में कहना चाहता हूं कि इसकी हमेशा उपेक्षा की जाती रही है और पं० कमलापति त्रिपाठी के क्षेत्र चकिया और चंदोसी में बजट का सारा धन खर्च किया जाता रहा है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र से 25–25 कि०मी० की दूरी पर डिग्री कालेज हैं जिससे वहां गरीबों के बच्चे पढ़ने जाने में असमर्थ हैं, इसलिए औराई में एक डिग्री कालेज की स्थापना की जाय, यह मेरी मांग है। मान्यवर, इसी तरह हमारे क्षेत्र में कन्या हाई स्कूल खोला जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि हर ब्लाक में हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कन्या विद्यालय खोले जाने चाहिए ।

मान्यवर, मैं नहरों में पानी के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां मुख्य नहर में पानी नहीं गया है । इसी तरह अर्जुनपुर माइनर में पानी आज तक नहीं गया है । बोआई समाप्त हो गयी है और अब पलेवा के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है । तो मुलायम सिंह यादव जी को जो धरती पुत्र कहा जाता है, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि वह धरती पुत्र नहीं बल्कि नकली पुत्र हैं क्योंकि हमारे यहां खेतों में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है ।

मान्यवर, नई सरकार के मंत्रियों ने क्षेत्रों में जा-जाकर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर अंकुश लगाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करे । आप बैठ जायं । (व्यवधान)

श्री रंगनाथ–

(व्यवधान) हमारे यहां पुलिस प्रशासन द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है । थानाध्यक्षों का ट्रान्सफर किया जा रहा है । (व्यवधान)

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का जो समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, यह अभिभाषण हमारी सरकार का प्रतिबिम्ब और मार्गदर्शन है । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो मा० नेता सदन की दृष्टि और विचार हैं वह साफ दिखायी दे रहे हैं । मान्यवर, इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास, उन्नति के लिए जो चित्रण किया गया है उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि यह सरकार गांव की और गांवों के किसानों की सरकार है ।

[2 बजकर 10 मिनट]

यह सरकार छात्रों, नौजवानों, मजलूमों और अक्लियतों की सरकार है, जो देश में एक नये विकास और नये आवाम को लेकर आयी है...व्यवधान...हमारे नवजवान साथी रावत साहब अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे थे और हमारी बड़ी टीका टिप्पणी कर रहे थे । आप भी मंत्री रहे हैं, जब आप इधर थे, तो आपकी दृष्टि छोटी हो गयी थी या सोचने का तरीका सिकुड़ गया था (व्यवधान) हमारे साथी कह रहे हैं कि टेल पर नहरों का पानी नहीं पहुंचता है । व्यापार मण्डल के जो लोग यहां बैठे हैं, वह नहर कैसी होती है या नहर की टेल क्या होती है इसको बिल्कुल नहीं जानते हैं, लेकिन बिना समझे वहां के सवाल उठाते हैं ।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात को बहुत साफ कर दिया गया है (व्यवधान) मैं नेता अपोजीशन से निवेदन करूंगा कि वह जिस तरह शाखा लगवाते हैं, उसी तरह अपने इन सदस्यों को अनुशासन सिखाने का कष्ट करें। आज जो गांवों में शिक्षा की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक और गांवों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणा की हैं। सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश को समाप्त करके भी एक बड़ा स्वागत योग्य काम किया है। अब गांव के गरीबों के बच्चे परीक्षाओं में बैठकर अपने मान और सम्मान को बरकरार रख सकेंगे। यह इस बात का भी सबूत है कि इस सरकार की नीयत इस सरकार की दृष्टि साफ है। इसके सोचने का तौर-तरीका बहुत साफ है।

क्योंकि यह जिस संकल्प के साथ सत्तारूढ़ हुई, उन भावनाओं का ख्याल करते हुए, आदर करते हुए उसने जो जनहितकारी कार्य किये हैं उससे साफ हो गया है कि यह सरकार छात्रों, नवजवानों, किसानों, मजलूमों और मेहनतकशों के हक-हकूकों की पूरी तरह से रक्षा कर सकेगी। धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मशहूर कवि श्री दुष्यन्त कुमार ने एक शेर कहा था–सिर से सीने में कहीं, पेट से पांव में कहीं, एक जगह हो तो कहें कि दर्द इधर होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो माहौल है, उसमें यह दो लाइनें बहुत सटीक बैठती हैं। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को ध्यान से पढ़ा, जो बुनियादी चीजें हैं, जिन पर कार्य किया जाना चाहिए था, जिस पर आम आदमी की नजर जाती है, उस पर सरकार ने कोई दिशा-निर्देशन नहीं किया है। नहर में छोर तक पानी पहुंचाने की बात कही, लेकिन नहरें बीच से काट दी जाती हैं, उसके संबंध में जो सरकार के वर्तमान कानून हैं वह अपर्याप्त या अक्षम हैं। नहर काटने वालों के खिलाफ कोई कारगर कार्यवाही नहीं होती है। नहरों में छोर तक पानी तभी पहुंच सकता है, जब पहले नहर के काटने वाले लोगों को सजा दी जाय।

इस सरकार द्वारा ग्रामों में किसानों को 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की बात कही गयी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ग्राम भी ऐसा नहीं होगा, जिसमें 16 घण्टे बिजली आपूर्ति हो रही होगी। मैं जनपद शाहजहांपुर से आता हूं, मैंने वहां पर व्यक्तिगत जानकारी की है, 16 घण्टे में 12 घण्टा भी बिजली वहां नहीं मिल रही है। मैं बिजली चोरी की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिजली चोरी रोकने के लिए बड़ी-बड़ी बातें कही जाती हैं, बड़े-बड़े आंकड़े दिये जाते हैं, लेकिन वर्तमान सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल नहीं गया है। यह बिजली चोरी ही रोक दी जाय तो मैं समझता हूं कि यह सरकार के विकास के लिए बड़ा सार्थक कदम होगा। कानून और व्यवस्था की बदतर स्थिति के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं। बालियान साहब जो इस सदन में हमारी पार्टी के सदस्य हैं, बता रहे थे कि उनके जनपद में उस दिन से अपहरण की घटनायें हो चुकी हैं। आज सुबह वह कह रहे थे कि मैं नियम 311 में नोटिस दूंगा। कानून और व्यवस्था के नाम पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1990 में जिस तरह की घटनायें हो रही थीं वह स्थिति आज फिर से शुरू हो गयी है। जब से मान्यवर, यह सरकार बनी है 9 अपहरण की घटनायें हो चुकी हैं।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

निकायों के संबंध में जैसा कि माननीय गुप्त जी कह चुके हैं। मान्यवर, 8–10 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। 1992 में हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो हमने जुलाई में 20 करोड़ रुपये देकर पूरे प्रदेश के जितने भी इन कर्मचारियों के वेतन व ऐरियर्स थे, उनका भुगतान कराया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जो सफाई कर्मचारी हैं, नोटिफाइड एरिया में जो कर्मचारी हैं, उनके वेतन का प्राथमिकता के आधार पर भुगतान किया जाय। उन्हें भुगतान न करने से हड़ताल होती है और मान्यवर, हड़ताल के परिणाम स्वरूप नगरों में बीमारी, महामारी फैल जाती है उसका असर पूरे प्रदेश के जनपदों में फैलता है। मान्यवर, मैं दो-तीन बातें और कहना चाहूंगा। मैं शाहजहांपुर से चुनकर आता हूं। मान्यवर, वहां पर एक बाई-पास शाहजहांपुर-बरेली मार्ग पर बीस साल से प्रस्तावित है। पूरे प्रदेश की जनता और 20 हजार वाहन उधर से रोज गुजरते हैं।

मान्यवर, इतने सालों से प्रस्तावित होने के बावजूद भी अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि राज्यपाल के अभिभाषण में 66 के०वी० सिस्टम की बात कही गयी है। मान्यवर, आज विद्युत की व्यवस्था यह है कि विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी की, जब इससे पहले सरकार बनी थी उस समय भी जलालाबाद-कोलाघाट का पुल बनाये जाने की बात कही थी मान्यवर, उस क्षेत्र से यह जीतकर आये थे। उनसे निवेदन है कि कोलापार व कुण्डीघाट का पुल अवश्य बनवा दिया जाय। मान्यवर, इसी के साथ मैं माननीय गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्रीमती सुशीला सरोज–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं माननीय सदस्य श्री हृदय नारायण द्वारा प्रस्तुत किये गये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं। 6 दिसम्बर, 1992 की घटनाओं से आप भली-भांति परिचित हैं तथा तत्कालीन सरकार की कार्यों, नीतियों और कार्यक्रमों से भी। पूर्ववर्ती सरकार के रहनुमाओं ने संविधान की शपथ ली थी। भारत वर्ष के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था सर्वोच्च जनप्रतिनिधि सभा संसद को भी विश्वास दिलाया था और राष्ट्रीय एकता परिषद् में वचन दिया था कि बाबरी मस्जिद की सुरक्षा की जायेगी तथा न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जायेगा और कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा। परन्तु मान्यवर, 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को पूर्व नियोजित ढंग से ध्वस्त कर उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर दी गयी। जहां भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रक्रिया के साथ विश्वासघात किया गया, वही भारत की

की एकता और अखण्डता पर भी चोट की गयी । इस देश के तमाम बेहतरीन परम्पराओं को तोड़ दिया गया ।

मानवता के मूल्यों को ढहा दिया गया । शान्ति, अहिंसा और भाईचारे का विश्व को संदेश देने वाले भारत का सर शर्म से झुक गया । आने वाले इतिहास में ऐसे किये गये कार्यों को माफ नहीं करेगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता का तथा विशेष रूप से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने इस प्रकार की साम्प्रदायिक शक्तियों के मन्सूबे को ध्वस्त कर दिया, जो देश और समाज को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहा था जिसमें घृणा, द्वेष, हिंसा, सामाजिक विघटन और राष्ट्र का विभाजन था । मान्यवर, जबसे हमारी जनप्रिय सरकार आयी है सबसे पहले साम्प्रदायिकता का खौफ लोगों के दिलों से, मनों से जाता रहा है और इस प्रकार से सौहार्दपूर्ण और भाईचारे का वातावरण बना है मान्यवर, यह सरकार किसी विशेष धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करती है हमारी सरकार का उद्देश्य है कि समाज के समस्त वर्गों को लेकर उनका विकास करना । हमारे प्रदेश में 85 प्रतिशत जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि है । किसानों को लाभ पहुंचाने की जो योजनाएं है । वह एक साथ बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा सकती है उससे सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा । हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति के आदेश सरकार बनने के पहले ही दिन दे दिया था । भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है । अधिकांश भारतीय किसान फसल के लहलहाने के लिए प्रकृति की इच्छा पर ही निर्भर रहते हैं । कई बार फसलें बाढ़, सूखा, अकाल जैसी आपदाओं की लपेट में आ जाती हैं अतः इस समस्या पर ध्यान देने के लिए "अनिवार्य फसल बीमा योजना" जैसे कार्यक्रम लागू किये जा रहे हैं जो किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है । मान्यवर, निर्धन, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति व जनजाति, महिलाओं तथा मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किये जायेंगे । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्रीमती सुशीला सरोज–

हमारी सरकार ने जो नकल अध्यादेश है उसको समाप्त किया है । (व्यवधान)

* श्री चेतराम–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के अवसर पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने जो इस प्रदेश के गरीबों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए जो अपने अभिभाषण में व्यवस्था की है मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के गिरे हुए लोग उन्नति की ओर बढ़ेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अनाज उत्पादन में आज हमारे प्रदेश के करोड़ों लोग लगे हुए हैं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की हालत यह है कि धान सरकार द्वारा निर्धारित रेट से कम पर किसानों को बेचना पड़ रहा है। खुले रूप से किसानों का शोषण हो रहा है। पूरी तहसील आतंकवाद से प्रभावित है वहां पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति होने की आवश्यकता है। हमारे यहां बहुत से गांव ऐसे हैं जहां विद्युतीकरण हो चुका है लेकिन जहां अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उन गांवों को छोड़ दिया गया है। मान्यवर, मुख्यालय पर काफी दिनों से शिक्षा का अभाव चल रहा है यहां एक डिग्री कालेज की मांग की गई थी उसकी मंजूरी भी शासन स्तर से हो चुकी है लेकिन अभी भी वह खुला नहीं है। ऐसे और भी मामले चल रहे हैं। पुवायां में कन्या इण्टर कालेज स्वीकार हो चुका है।

(शोरगुल)

लेकिन वहां भवन नहीं बना है। वहां इमारत बनने की आवश्यकता है। हमारे यहां शाहजहांपुर में कोटार, मैलानी आदि क्षेत्र हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

श्री चेतराम–

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

* श्री राम प्रकाश गुप्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं कुछ गम्भीर बातें माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मान्यवर, इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, इनके उत्थान का सवाल आजादी के बाद से सरकारों के लिए और प्रशासन में भाग लेने वाले लोगों के लिए चुनौती बना हुआ है। मैं आशा करता था कि पहली बार हमारे प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनी है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति और जनजाति की बेहतरी का संकल्प लेने वाले लोग चुनकर आए हैं। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए कोई गम्भीर प्रयास होगा, कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा। लेकिन मुझे घोर निराशा हुई। श्रीमन्, वही पुरानी बातें जो आजादी के बाद से आज तक की सरकारों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधारवादी बहाने केवल उत्थान की बात कह कर छोटी-मोटी रियायतें देने के कदम उठाए। सवाल क्या है ? इस देश में 20 परसेंट 25 परसेंट लोग क्या जिन्दगी भर इसी तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे ? क्या डिग्निटी आफ सिटीजनशिप उनको प्राप्त नहीं होगी। मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम इस सरकार से तो अपेक्षा है ही कि वह सुधारवादी छोटी-मोटी रियायतों को छोड़ कर बुनियादी सवालों को हल करने का काम करेगी। गांवों के अन्दर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग भूमिहीन बने हुए हैं और बाकी लोग भूमि के स्वामी हैं।

क्या गांवों के अन्दर इस तरह से समानता स्थापित हो सकती है। ग्रांवों के अन्दर रहने वाले उन वर्गों को सम्मान प्राप्त हो सकता है। इस व्यवस्था को बदलने का कोई शासन कदम नहीं उठाता, तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके कुछ भला होने वाला नहीं है । उनको भारत माता के सपूत के नाते बराबर का सम्मान मिलना चाहिए । जो यथास्थिति बनी हुई है आर्थिक क्षेत्र में, भूमि के स्वामित्व के क्षेत्र में उस पर गम्भीर प्रहार करने होंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं । मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि वह यहां पर आएंगे, क्योंकि इस विषय पर उन्हें विचार करना है । क्या उनका कल्याण इसी तरह से हो सकता है कि उनको कहीं छोटी-मोटी ज़मीन एलाट कर दी जाए, उनको नौकरियों में छूट दे दी जाए । इस तरह की व्यवस्थाओं से देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर परिवर्तन आने वाला नहीं है । इसलिए हम सब लोग चाहे किसी पार्टी के हों, जो इस सम्माननीय सदन में आए हैं उनका यह कर्तव्य है कि इस बारे में कोई ठोस कदम उठाया जाए । जिससे इन वर्गों का भविष्य उज्जवल हो सके तथा भारत की एकता और अखण्डता अक्षुण्ण रह सके । इसलिए मान्यवर, हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा । मैं उनकी व्याख्या बहुत विस्तार से नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जैसा कि मैंने कहा भूमि का सवाल है कि अगर उनको भूमि का स्वामी नहीं बनाया जाता है तो क्या उनको गांवों के अन्दर प्रतिष्ठा दे सकते हैं । यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है हरएक सामाजिक कार्यकर्ता के सामने है । लेकिन मैं कल्पना करता हूं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं, जिसमें आने वाले काल में परिवर्तन आएगा और जमीन उनके हाथ में दी जाएगी । ऐसे लोगों की जब भूमि का स्वामित्व मिलेगा उसी दिन उनके चेहरों पर मुस्कान आयेगी और देश की तरक्की होगी । श्रीमन्, अनेक बार लोग कहते हैं और हमने संविधान में भी संकल्प लिया है कि बराबरी का माहौल सारे देश में पैदा किया जायगा, लेकिन आज तक वह नहीं हो पाया । कोई भी शासन, मुख्य रूप से केन्द्रीय शासन सम्पत्ति के इक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन, समान वितरण करने की व्यवस्था नहीं कर पाया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जाति विद्वेष के आधार पर इस समस्या का हल नहीं हो सकता । जाति विद्वेष पैदा होने से भूमि स्वामी अपनी भूमि का त्याग नहीं करेंगे । इसके लिये और कोई रास्ता निकालना होगा ताकि इस स्थिति को बदला जा सके । मैं कल्पना करता हूं कि भूमिपति शासन की इच्छा को देख कर और देश में बदलते हुये वातावरण को समझकर भूमि देंगे । जो लोग अन्य प्रकार से आमदनी कर रहे हैं वह भूमि त्याग करें और वह भूमि आने वाले कल में भूमिहीनों को दी जाय तो देश का बहुत बड़ा कल्याण होगा । इसी तरह से सम्पत्ति का पुनर्वितरण करने की योजना चल सकती है । इन शब्दों के साथ श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री राम करन आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे धन्यवाद के प्रस्ताव पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, पिछली जो जन विरोधी सरकार रही है जिसके चलते पूरे प्रदेश में न जाने कितनी मातायें, बहनें, न जाने कितने भाई बरबाद हुये और उसी का परिणाम था कि आज वह विपक्ष में बैठने के लिये मजबूर हुये हैं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो जनप्रिय सरकार है और जिसने दलितों, मुसलमानों के लिये, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये कल्याणकारी कदम उठाये हैं उनकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । मान्यवर, पिछली जो सरकार थी जो अपने गरीबों का मददगार होने का दावा करती है और जो कहती है कि हम विकास की गंगा बहायेंगे उनके जमाने का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र में नगरपूरब लालगंज का पुल सैंक्शन हुआ था । उसके लिये एक करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ था, लेकिन पिछली सरकार जो जन विरोधी सरकार थी, उसने उस पुल को कैंसिल कर दिया और कहा कि संसाधन नहीं हैं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि क्या संसाधनों की कमी अलीगढ़ के लिये नहीं थी । क्या संसाधनों की कमी मिर्जापुर के लिये नहीं थी । संसाधनों की कमी केवल पिछड़े जिले बस्ती के लिये थी जहां पर लाखों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोग आज भी गरीबी की जिन्दगी जी रहे हैं, भुखमरी में जी रहे हैं। मेरे बस्ती जिले के लालगंज इलाके में तमाम ऐसे जो काम स्वीकृति हुये थे उनको जन विरोधी पिछली सरकार ने व्यक्तिमत दुश्मनी के कारण, मुलायम सिंह यादव का विरोधी होने के कारण, गरीब विरोधी होने के कारण कैंसिल कर दिये।

मैं वर्तमान शासन से जिसका मैं भी एक मेम्बर हूं, मांग करता हूं कि जो विकास कार्य मेरे क्षेत्र में पहले स्वीकृत हुये थे और जिनको पिछली जनविरोधी सरकार ने कैंसिल कर दिया था उन विकास कार्यों को बहाल किया जाय। मान्यवर, पिछले 47 वर्षों में जो दलितों का उत्पीड़न हुआ है वह किसी से छिपा नहीं है। मैं विद्युतीकरण की बात करता हूं। मैं पहले भी अपने क्षेत्र में जाता था और आज भी जाता हूं सवर्णों की बस्तियों में बिजली जलती है और जगमगाहट होती है लेकिन गरीबों की बस्तियों में वही अंधेरा रहता है चाहे वह क्षेत्र भा०ज०पा० के विधायकों का हो या समाजवादी पार्टी के लोगों का हो। गरीबों की हालत आज भी वही है। हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान की बात की है। महिला चाहे ब्राह्मण की बेटी हो या दलित की बेटी हो वह दलित होती है। हमारी सरकार ने 6.30 पर महिलायें काम पर जाती थीं उनके लिये समय 8.30 कर दिया है ताकि वह अपने बच्चों का लालन पालन ठीक से कर सकें। मान्यवर, मैं उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मान्यवर, पिछली सरकार के द्वारा जिस तरह से दलितों को असुरक्षित रखा गया था, उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी थाने हैं, वहां पर दलित वर्ग का एक-एक इन्सपेक्टर और एक दीवान तैनात किया जाय। जो हमारे विपक्ष में बैठे हुए हैं, नियम और कानून तोड़ करके दलितों का उत्पीड़न का काम उन्होंने किया था। यह काम हमारी सरकार में नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री जी कटिबद्ध हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव ने जिस विद्यार्थी की छात्रवृत्ति 100 रु० थी, उसको बढ़ा कर 125 रु० किया था। इस मुल्क में दलितों को सताया गया है। यह सरकार यदि 5 साल और रहती तो दलित 50 साल पीछे चला जाता। इन लोगों ने शेड्यूल्ड कास्ट के छात्रों की छात्रवृत्ति कम किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो पुराने मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने समय में 25 प्रतिशत बढ़ी हुई जो छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती थी, उसे कम कर दिया था, आज जो दलित वर्ग के छात्र हैं, 1947 में जो छात्रवृत्ति मिलती थी, उस समय जो सामान के दाम थे, उसके अनुसार जो आज दाम बढ़े हैं, 1 हजार रु० छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। उनको महंगाई के अनुसार छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में मुसलमानों के साथ नाइन्साफी पिछले 47 वर्षों में हुई है। 1947 में मुसलमान नौकरियों में 40 प्रतिशत थे, आज इनकी संख्या घटकर 1 प्रतिशत से भी कम हो गयी है। मेरी मांग है कि इनको भी अन्य जातियों की तरह आबादी के अनुसार आरक्षण मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस जनप्रिय सरकार के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मै आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि साढ़े 3 बजे माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर भाषण होगा और अब एक घंटे से कम समय रह गया है। इसमें कुछ समय की कटौती लोगों के बोलने में कर दें, तो अच्छा होगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इस भावना से सहमत हूं कि नये माननीय सदस्य अधिक हिस्सा ले सकें, इसलिए बोलने वालों से निवेदन है कि वे अपनी बात दो मिनट में ही समाप्त करने की कृपा करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हिस्सा ले सकें। मैंने माननीय ऊदल जी को बुला लिया है, अब माननीय ऊदल जी बोलें।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ऊदल जी को मैंने बुला लिया है, आप लोग अपना स्थान ग्रहण करे।

एक सदस्य–

आपने कहा था कि नये सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जायेगा और आपने ऊदल जी को समय दे दिया, यह तो पुराने सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

वह एक दल के नेता हैं।

* श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आज हमारे प्रदेश में बालिकाओं में और महिलाओं में शिक्षा का बहुत अभाव है। नियम इतने कड़े हैं कि उनको मान्यता नहीं मिल पाती है और उनको अनुदान नहीं मिल पाता है, तो मेरा सुझाव है कि जो बालिका विद्यालय हैं उनके मान्यता और अनुदान संबंधी नियमों में उदारता बरती जाये, जिससे अधिक से अधिक बालिका विद्यालय खुल सकें और बालिकाओं और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हो सके। जिस तरह से आप शौचालयों की व्यवस्था कर रहे हैं, उसी प्रकार से महिलाओं में शिक्षा की भी व्यवस्था करें। आप नियमों को उदार बनायें। जो प्राइवेट संस्थायें हैं, बालिका विद्यालय खोलना चाहती हैं, उनको मान्यता देने में और अनुदान देने के नियमों में उदारता बरती जाये।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल विकास निधि में जिसको आपने ही बनाया था, पिछली सरकार ने बहुत कुछ धन काट दिया है। मैं चाहता हूं कि जितनी निधि पूर्वांचल विकास निधि स्थापित करते समय थी, कम से कम उतनी अवश्य रखी जाये। उतनी धनराशि की आप व्यवस्था करा दें।

श्रीमन्, मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि मृतक आश्रितों को नौकरियों में रख लिया जाता था, लेकिन मैं एक विभाग की जानकारी दे रहा हूं, वह स्वास्थ्य विभाग है, उसके महानिदेशक ने एक परिपत्र जारी किया है कि मृतकों के आश्रितों को नौकरियां न दी जायें। इस कारण मृतकों के आश्रित भटक रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस आदेश को समाप्त किया जाये और मृतकों के आश्रितों को नौकरियां दी जायें। मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का जो आरक्षण है वह पूरा नहीं है। इसलिये मैं चाहता हूं कि आरक्षण को पूरा किया जाये।

*श्री अम्बिका (बलिया)–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े जिले बलिया का प्रतिनिधित्व करता हूं। मान्यवर, मैं आभार व्यक्त करता हूं 14 करोड़ जनता का जिसने साम्प्रदायिकता के विरोध में अपना जनमत दिया। मैं कहना चाहता हूं कि गांवों

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में गलियों में और खेत और खलिहान में इस सच्चाई को स्वीकारने का साहस वह लोग नहीं जुटा पा रहे हैं, जो अपने खूनी शिकंजों से मुक्ति नहीं देना चाहते थे । मान्यवर, तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं और तमाम लोगों को सताने की कोशिशें हुई हैं । आज यहां पर सपा, बसपा से 5 साथी बलिया से चुनकर आये हैं । शारदा नन्द अंचल जी जो राज्य मंत्रिपरिषद् में सदस्य हैं । मान्यवर, पूर्व में इन 5 विधान सभा क्षेत्रों में सामन्ती ताकतों ने कार्यकर्ताओं को सताने की कोशिश की और उनके मनोबल को गिराने का काम किया । वहां कुर्मी बिरादरी को सताया गया । सिकन्दरपुर क्षेत्र में पिछड़ी जाति के परिवार के गरीब लड़के का अपहरण किया गया । चिल्कहर में राजभरों पर हमले हुए, रसड़ा में हरिजनों के घर जलाये गये, इसी तरह से सीयर में भी तमाम घटनायें हुई । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में गंगा की बाढ़ से हर साल बहुत तबाही होती है । लोग पलायन कर जाते हैं । पलायन से प्रभावित बहुत से गांव हो जाते हैं । मान्यवर, बाढ़ से पुनर्वासन की प्रक्रिया के संबंध में आदेश हैं परन्तु बाढ़ से कटान के संबंध में बहुत स्पष्ट आदेश नहीं हैं । बाढ़ से कटान की रोकथाम के संबंध में उपाय किये जाने बहुत जरूरी हैं । बलौना गांव कटान से ग्रस्त है । इसी तरह से 5 और गांव बाढ़ की कटान से नेस्तनाबूत हो रहे हैं । आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर, मैं जनपद फतेहपुर की बिन्दकी विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हूं और यह मेरा सौभाग्य है कि जिस समय सदन में मान्यवर ने मुझे बोलने का निर्देश दिया उस समय सदन के सम्मानित नेता माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी भी मौजूद हैं । सदन में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री कल्याण सिंह भी मौजूद हैं । मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से कुछ बिन्दु को लेना चाहता हूं जहां पर तमाम ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनके संदर्भ में वहां कुछ कहा गया है, लिखा गया है, यहां पर पढ़ा गया है । लेकिन एक ऐसा वर्ग जिसके संदर्भ में केवल विधान सभा क्षेत्र की बात न करके, राष्ट्रीय विकलांग संघ का अध्यक्ष होने के नाते पूरे प्रदेश के विकलांगों की समस्या सदन के समक्ष रखना चाहता हूं । विकलांगों के संबंध में मुझे पूरा भरोसा था विश्वास था कि कुछ कहेंगे । अभी तक विकलांगों का आरक्षण 3 प्रतिशत था । अभी कल ही सदन में जानकारी हुई कि जो विकलांगों का आरक्षण है उसमें 5 प्रतिशत एक्स सर्विसमैन का है । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों और विकलांग, जिनमें निश्चितता नहीं है, का प्रतिशत कितना होगा । मान्यवर, मैं अपील करूंगा कि जिस तरीके से हिल डेवलपमेन्ट बोर्ड बनाया गया है उसी तरीके से हैंडिकैप्ड डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाय । मान्यवर, कोई भी विकलांग हो सकता है । अभी हमारे माननीय सदस्य श्री गौरी शंकर जी एक शायरी कह रहे थे। मान्यवर, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विकलांगों के संबंध में अनदेखा किया गया है । मैं उसे शायरी के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं ।

"बसन्त पतझड़ की बहार क्या जाने,
जिन्दगी की कहानी मजार क्या जाने
भार पूछोगे तो बता देंगे डोली का
दुल्हन की जवानी कहार क्या जाने ।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई भी विकलांग हो सकता है चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो । मान्यवर, एक मैकाले के जमाने की कटिया मशीन है वह अब भी चली आ रही है । इसमें चारा काटा जाता है । मान्यवर, विकलांगता न बढ़े इसके लिये यह आवश्यक है कि जिस समय गांवों में किसान मजदूर हमारा दिन भर काम करता है और वह अपनी मशीन में करबी लगाता है और उस करबी में उसी के साथ उसका हाथ भी चला जाता है, थ्रेसर चलाता है उसमें भी उसे खतरा है तो कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे यह विकलांगता रोकी जाय । मान्यवर, एक तरफ तो गरीब किसान मजदूर की बात इस सदन में हो रही है तो क्या ऐसी परिस्थितियों पर भी विचार करेंगे मेरा अनुरोध है कि इस पर सदन में चर्चा कराई जाय । (व्यवधान)

* श्री अरिमर्दन सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मान्यवर, मैं महोबा क्षेत्र से आता हूं जहां आज भी पानी पीने को उपलब्ध नहीं है और लोगों को तालाब का पानी पीना पड़ता है । तालाब में गन्दा पानी है और लोग गान्दा पानी पीने के लिये बाध्य हैं । वहां कोई व्यवस्था पीने के पानी की नहीं है । मान्यवर, कांग्रेस की सरकार रही है और वहां के विधायक भी रहे हैं कांग्रेस के लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था पीने के पानी की नहीं की, उसके बाद भा०ज०पा० की सरकार आयी और उसने भी कुछ नहीं किया । (व्यवधान)

मान्यवर, वहां की विद्युत व्यवस्था बहुत खराब है । 11 ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं जिससे लाइट व्यवस्था खराब हो गयी है । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि महोबा की तरफ ध्यान दिया जाय ।

*श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का मौका दिया परन्तु मुझे खेद है कि पर्वतीय अंचलों का ध्यान श्रीयुत राज्यपाल जी के अभिभाषण में नहीं रखा गया । मान्यवर, केवल पर्वतीय अंचल ही ऐसा है जहां से इस सदन में 2-2 मुख्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने प्रदेश को मार्गदर्शन दिया है । मान्यवर, प्राकृतिक आपदा की बात रखी गयी है तो मैं आपके संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि 11 सितम्बर को इतनी भीषण बारिश जनपद पिथौरागढ़ में हुई, जिसमें जनहानि हुई और जनजीवन अस्तव्यस्त हुआ । देश के कोने-कोने से सम्पर्क जनपद पिथौरागढ़ का टूट गया और करोड़ों की सम्पत्ति का नुकसान हुआ । मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी ने हवाई सर्वेक्षण करने के बाद 8 करोड़ रुपया देने की घोषणा की थी परन्तु अभी तक उस घोषणा के बाद आवंटन नहीं हुआ है । मान्यवर, हमारे समाज के दलित और निर्धन वर्ग के लोगों की बात की जाती है ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने की अनुज्ञा मांगने पर और श्री महेन्द्र सिह माहरा के बोलते रहने पर लगातार व्यवधान बना रहा)

मान्यवर, मेरे ऐरी भाई लीज लेकर 100 साल से बैठे हैं आज उनका उत्पीड़न किया जा रहा है कि यह आवासी का पट्टा है इसको वाणिज्य में परिवर्तित कराये । डेढ़ लाख, दो लाख रुपया उनसे लिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जा रहा हैं । (व्यवधान) मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे काशी सिंह ऐरी भाई को एक झुनझुना दिया है । मान्यवर, मुझे विश्वास है कि जब तक छोटी इकाई, छोटे विकास खण्ड और छोटे जिला नहीं बनाये जायेंगे, तब तक विकास नहीं होगा । (व्यवधान)

मान्यवर, अभिभाषण में विडो पेंशन और ओल्ड एज पेंशन के बारे में, जो पहाड़ों में बन्द हो गयी है, कुछ नहीं कहा गया है, इसे देने की व्यवस्था की जाय । इसी तरीके से पहाड़ों में जिला बनने के बाद, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, ये जो हाई एटिट्यूड के जिले हैं वहां पर हाईट के हिसाब से फुल/हाफ बार्डर एलाउन्स देने की पहले प्रथा थी उसको पुनः चालू कराया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठ जायें, मैंने माननीय चैनसुख भारती जी को बुलाया है ।

* श्री चैनसुख भारती–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं सफाई कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि इन्होंने 1992 में जब उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार थी तो सफाई कर्मचारियों पर तमाम तरह के अत्याचार किये गये और उनके उत्पीड़न की कार्यवाही की गयी । मान्यवर, यहां पर उस समय के माननीय नगर विकास मंत्री जी बोल रहे थे और बड़ी दुहाई दे रहे थे कि उन्होंने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान दिया है और उनको वेतन दिलाने की व्यवस्था करायी । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने जिस फासिस्ट तरीके से सफाई कर्मचारियों का उत्पीड़न किया है उसे लोग याद रखेंगे । मान्यवर, गरीब सफाई कर्मचारियों को 10-10 महीने, 15-15 महीने का वेतन इन्होंने नहीं दिया । जब उन्होंने उसकी मांग की , तो उनकी बातों का अनसुना कर दिया गया । प्रदेश में दो बार इनके काल में सफाई कर्मचारियों ने आन्दोलन किये । ये जो सामने बैठे हुए लोग जो राम, रोटी और इन्साफ की बात करते हैं उनकी हड़ताल के समय, उन पर कुठाराघात किया गया, उनके एक महीने का वेतन काटा गया । समझौता होने के बाद भी वेतन काट लिया गया । ये लोग दलित मजदूर किसानों पर कुठाराघात करने वाले लोग हैं । मान्यवर, मैं इनके संबंध में एक शेर कहना चाहता हूं ।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए)

बकरों के सिवा वलिबेदी पर वनराज कभी न चढ़ाये गये
कटियों में फंसाई गई मछली पर भुजंग कभी न फंसाये गये
तड़ों में टेड़े कटे न कभी सुधों पर आड़े चलाये गये
और बलवानों से भयभीत हैं सब, बलहीन सदैव सताये गये ।

मान्यवर, ये वे लोग हैं जिन्होंने अनुसूचित जाति, पिछड़े हुए लोगों किसानों और गरीबों के साथ सदैव उत्पीड़न का काम किया है और उसके अलावा सरकार में रहकर कोई काम नहीं किया है । ये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्याय करने वाले लोग हैं । ये गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के दुश्मन लोग हैं । इन्होंने सरकार में आकर राम, रोटी और इन्साफ के नाम पर लोगों की जान लेने का काम किया । मान्यवर, आप बार-बार इशारा कर रहे हैं, इसी के साथ मैं श्री हृदय नारायण जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरी पार्टी का अभी कोई नहीं बोला है । कृपया दो लोगों को कम से कम बोलने का मौका दें ।

* श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, पिछले 47 सालों से मेरे विधान सभा क्षेत्र मुजेहना की ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया । वहां पर कोई भी कन्या इण्टर कालेज नहीं है, महिलाओं के लिये कोई डिग्री कालेज नहीं है । मैं चाहूंगा कि सामने बैठी हुई सरकार वहां के पिछड़ेपन को देखते हुए तमाम जनहित की सुविधायें उपलब्ध कराये। मान्यवर, मुजेहना में करीब 500 किलोमीटर ऐसी सड़क है जो गांवों को जिले से जोड़ती है वह कच्चे मार्ग के रूप में है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन मार्गों को पक्का कराया जाये । मान्यवर, मुजेहना विधान सभा क्षेत्र में, जैसी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि 16 घंटे बिजली उपलब्ध करायी जायेगी गांवों को, तो वह घोषणा बिल्कुल खोखली साबित हो रही है । वहां पर चार घंटे भी बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने वायदा किया है वह पूरा करे। मान्यवर, आज जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग कह रहे हैं कि 6 दिसम्बर की घटना बड़ा शर्म का विषय है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह शर्म का विषय नहीं बल्कि गर्व का विषय है ।

(शोर/व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि नकल अध्यादेश को हटाकर इस सरकार ने लाखों छात्रों के साथ अन्याय किया है । जो गरीब छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्वान हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री घनश्याम शुक्ल–

मान्यवर, इस नकल अध्यादेश को खत्म करने से गुण्डागर्दी बढ़ जायेगी । आज छात्रों का उत्पीड़न हो रहा है, गुण्डागर्दी बढ़ गयी है, जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है । मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाये । गन्ना किसानों पर अत्याचार हो रहा है .....

* श्री अशोक कुमार सिंह चंदेल–

मान्यवर, मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखंड में एक नयी चिंगारी पैदा हो गयी है जिससे बुन्देलखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है । मान्यवर, यह क्षेत्र कृषि प्रधान होने पर भी वहां पर विकास के नाम पर शून्यता है, सिंचाई की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, गांवों को जोड़ने वाली सड़कें नहीं हैं और वहां पर भूमि सर्वेक्षण अधिकारियों द्वारा निरन्तर उत्पीड़न किया जा रहा है । मान्यवर, मार्च, 93 से जुलाई, 93 तक एक करोड़ रुपये का सीधा-साधा गबन भूमि सर्वेक्षण अधिकारी हमीरपुर द्वारा किया गया है, जो किसान की योजनायें हैं, जो मांग है उसे श्रम क्षेत्र के माध्यम से किया जाता है लेकिन वह उस माध्यम से न करके ट्रैक्टर के माध्यम से करा रहे हैं । वहां पर करीब एक हजार अवैध नियुक्तियां हुई हैं उसे रोका जाये । जो दवाओं की बिक्री होती है उसमें भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है, किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं जिससे किसानों को परेशानी हो रही है ।

मान्यवर, यूरिया और पोटाश को निजी क्षेत्रों में दे दिया गया है जिससे जो सब्सीडी मिलती थी वह भी किसानों को मिलनी बन्द हो गयी है । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से यह चाहूंगा कि उन्हें जो 10 प्रतिशत सब्सीडी मिलती थी वह जारी रहे । वहां पर डी० आर० डी० ए० में बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है । एक वर्ष में 5 करोड़ का गबन हो गया है, जो कार्य दर्शाये गये हैं वह फर्जी हैं वह नहीं किये गये हैं और नियमित लोगों द्वारा नहीं किये गये हैं । मान्यवर, मैं यह चाहूंगा कि इसे देखा जाये । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि जो सुविधा पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है वही सुविधा बुन्देलखण्ड को भी उपलब्ध करायी जाये क्योंकि उसका आधे के लगभग क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र है । सिंचाई की वहां पर कोई सुविधा नहीं है, तो वहां पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जाये । और बुन्देलखण्ड को पर्वतीय क्षेत्र की सारी सुविधायें दी जायें । साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बुन्देलखण्ड विकास निधि का जो पैसा पड़ा हुआ है, जिसे अधिकारियों ने सांठगांठ करके आपस में वितरण कर लिया है, उस पर भी रोक लगायी जाय तथा जन प्रतिनिधियों के माध्यम से उसका निस्तारण कराया जाय और उस पैसे का वहां की वास्तविक समस्याओं, जरूरतों के हिसाब से उपयोग किया गया, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद, जयहिन्द ।

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर, भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे, जिससे व्यवधान हो गया)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कल्याण सिंह जी भी यहां हैं और जब किसी दल का कोई नेता खड़ा हो, तो बाकी लोगों को बैठ जाना चाहिए । यही इनका अनुशासित दल है ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है । यह पहला सत्र है, जिसमें बहुत से नये सदस्य चुनकर आये हैं । मैं कांग्रेस विधान मण्डल दल का नेता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नये सदस्यों को बोलने का मौका मिले, इसलिये मैं सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर दीक्षित जी द्वारा जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके एक-एक शब्द से अपने को सम्बद्ध करता हूं और इस सरकार का भरपूर समर्थन करता हूं। साथ ही यह अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मेरा जो समय है, उसमें मेरे दल के नये सदस्यों को बोलने का अवसर देने की कृपा करें ।

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, यूं तो पूरा पूर्वांचल ही आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, किन्तु मिर्जापुर जिले के जब से दो जिले बने हैं, सोनभद्र और मिर्जापुर, तब से यह औद्योगिक दृष्टि से बुरी तरह पिछड़ गया है । आज वहां के हर गांव में बेरोजगारों की बहुत बड़ी लाइन खड़ी हो गयी है । मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि या तो वहां शासन की ओर से उद्योग लगाये जायें, अन्यथा निजी क्षेत्र के लोगों को उद्योग लगाने हेतु विशेष प्रोत्साहन दिया जाय, जिससे मिर्जापुर जनपद में उद्योग लग सकें ।

[3 बजकर 10 मिनट]

मान्यवर, मैं दूसरे बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आज मिर्जापुर नगर क्षेत्र में पेयजल की भयंकर समस्या है । कई ऐसे स्थान हैं जहां पर गलियों में गड्ढे खोदकर भी पानी एकत्र नहीं किया जा सका है, कुछ पाइपों में पानी नहीं पहुंचा । मान्यवर, इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बार-बार यह कहा जाता है कि हम हर व्यक्ति को शिक्षा देना चाहते हैं, उनको साक्षर बनाना चाहते हैं । मिर्जापुर जनपद में विशेषकर छात्राओं के शिक्षण के लिये कोई सुविधा नहीं है । पूरे जिले में मात्र एक इण्टरमीडिएट कालेज है, जिससे छात्राओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मेरा निवेदन है कि एक इण्टमीडिएट कालेज यहां यह सरकार खोले । इसके अलावा मान्यवर, विन्ध्याचल पूरे देश में श्रद्धा का केन्द्र है, यहां विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री वहां आते हैं । मेरा अनुरोध है कि नवरात्रि में वहां पर जो मेला लगता है और देश के कोने-कोने से लोग आते हैं, उनका प्रान्तीयकरण करके उनके सुख-सुविधा का पूरा प्रबन्ध किया जाये । मान्यवर, मिर्जापुर गंगा नदी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के किनारे पर बसा है । उसके तमाम भाग गंगा नदी की गोद में समा गये हैं और मिर्जापुर का ऐतिहासिक घाट भी गंगा की गोद में चला जा रहा है । मैं चाहता हूं कि उसके बचाव का पूरा प्रबन्ध होना चाहिए । मान्यवर, एक बड़ी गम्भीर बात है, जिसकी ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा यह कहा जाता है कि यह किसानों की सरकार है, पूरे वाराणसी मण्डल में गेहूं का बीज किसानों को उपलब्ध नहीं कराया गया, 5 प्रतिशत गेहूं के बीज की व्यवस्था नहीं की गयी । यह एक बड़ा चिन्तनीय विषय है । इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने के लिये अनुरोध करने पर व्यवधान)

* श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने के लिये जो समय दिया है, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं । अध्यक्ष जी, राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना, अभिभाषण की जो पत्रिका मिली थी उसको भी पढ़ा । लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में गोण्डा जनपद का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है जबकि गोण्डा जनपद बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है । माननीय राज्यपाल महोदय ने जनपद गोण्डा को अछूता छोड़ दिया है । मान्यवर, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मनकापुर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं । मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में लड़कियों के लिये कोई कन्या इण्टर कालेज नहीं है । 1989 में जब माननीय मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक कन्या हाई स्कूल खोलने का आदेश दिया था, लेकिन जब बी० जे० पी० की सरकार आयी उस कन्या हाई स्कूल को इधर से उधर कर दिया गया । भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की इस क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है । मान्यवर, आपकी पार्टी से हमारे जनपद में दो-दो मंत्री थे, उन्होंने हमेशा विकास की बात कही, लेकिन विकास नहीं हुआ । मान्यवर, नवाबगंज शुगर मिल जिस पर करोड़ों रुपया गन्ना किसानों का बकाया है, लेकिन आज तक गन्ना किसानों को पैसा नहीं मिला । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि गन्ना किसानों का तत्काल भुगतान कराया जाये । मेरे क्षेत्र में वभनान शुगर मिल है, जिसका गन्दा पानी वभनान, वभनी गौरा क्षेत्र में फैलता है जिससे किसानों की फसल का भी नुकसान होता है, अतः किसानों को उनके नुकसान पर मुआवजा दिलाया जाये, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजकीय कन्या इंटर कालेज तत्काल खोला जाये ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया माननीय सदस्य बैठ जायें ।

श्री राम विशुन आजाद–

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने जनपद गोण्डा की तरफ दिलाना चाहता हूं। गोण्डा के दक्षिणी वन प्रभाग के कर्मचारियों के पैसे का भुगतान 1991 से नहीं किया गया है और कर्मचारियों को इस साल वेतन नहीं दिया गया है, उनका वेतन तत्काल दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, जो 16 घंटे विद्युत की बात कही गयी है मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, वह यह कि मान्यवर, जो पुराने तार हैं, जिनसे दुर्घटना की सम्भावना है, उनको हटा दी जाये, जिससे दुर्घटनायें न हो, उनसे बचा जा सके। मान्यवर, एक और निवेदन है कि वजीरगंज में भी कोई इण्टर कालेज नहीं है, जिससे काफी असुविधा होती है। इसलिये वहां भी एक इण्टर कालेज शीघ्र खोला जाये। अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है, इसलिये सिंचाई की भी व्यवस्था की जाये।

* श्री राकेश सचान–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपका ध्यान बहुत ही पिछड़े क्षेत्र घाटमपुर, जहां से मैं निर्वाचित होकर आया हूं, की ओर ले जाना चाहता हूं। आजादी के 45 सालों तक, वहां से जो भी जन प्रतिनिधि चुन-चुन कर आये हैं, सभी लोगों ने सामंतवादी व्यवस्था के चलते हुए समूचे क्षेत्र में चुन-चुन कर गांवों के विकास का काम किया है परन्तु जो गरीबों, शोषितों, पिछड़ों के गांव थे, उनमें आज तक रोड भी नहीं हैं, प्राइमरी स्कूल नहीं हैं। मेरे क्षेत्र में 90 गांव ऐसे हैं, जहां पर पढ़ने के लिये कोई व्यवस्था नहीं हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दें।

मान्यवर, हमारे घाटमपुर क्षेत्र में यद्यपि नहरों का जाल बिछा हुआ है लेकिन आज 15 वर्षों से नहरों के टेल तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका है, जिससे हजारों एकड़ भूमि असिंचित रहती है। इसलिये आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वह नहरों की सफाई करवा कर टेल तक पानी पहुंचाने का काम करें।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक शुगर मिल है, जिस पर 30 लाख 95 हजार रुपये किसानों का बकाया पड़ा है। जिसके कारण आज तमाम किसानों की लड़कियों की शादियां व अन्य कार्य रुके पड़े हैं, इसलिये आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार अविलम्ब इसका भुगतान कराये।

मान्यवर, घाटमपुर तहसील बहुत ही पिछड़ा हुआ तहसील है। वहां पर तमाम सड़कें ऐसी हैं, जो मेन सड़कों से नहीं जुड़ पाई हैं, जिससे आवागमन के रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं। कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनके न बनने से कई लोग प्रभावित होते हैं। उमरी और जहांनाबाद तक जो सड़क जाती है, उसे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अविलम्ब पूरा करने की कृपा करें । घाटमपुर में तमाम ऐसे गांव हैं, जिनका विद्युतीकरण हो गया है लेकिन विद्युतीकरण बड़े लोगों के यहां ही हुआ है । इसलिये सरकार से निवेदन है कि जो गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनके यहां विद्युतीकरण को सुनिश्चित किया जाय ।

(कई विधायकों के एक साथ खड़े होने पर शोर/व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठ जायं । अब आप जो बिना अनुमति के बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा । श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी आप अपनी बात कहें ।

* श्री मयंकेश्वर शरण सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र अमेठी संसदीय क्षेत्र में पड़ता है । मैं तिलोही विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आया हूं । जैसा कि लोग समझते हैं कि वहां पर अरबों-खरबों रुपया फेंका जाता है परन्तु ऐसा वहां पर कुछ नहीं हैं । मेरा क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है । तिलोई विधान सभा क्षेत्र में केवल एक सड़क है जो सुल्तानपुर से वाया तिलोई होते हुए रायबरेली जाती है । इसके अलावा वहां पर कोई सड़क नहीं है । इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा, संसदीय कार्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर भी हैं इसलिये वह वहां की सड़कों के बारे में कुछ करें । अभी कुछ दिन पहले मैंने अखबार में एक कारटून देखा जो कुछ लड़कों की तरफ से था उसमें यह लिखा था कि लिखेगे पढ़ेंगे देश के काम आयेंगे नकल करेंगे तो मुलायम सिंह के काम आयेंगे । यह नकल अध्यादेश बनाकर एक बहुत बड़ा कुठाराघात छात्रों के ऊपर किया गया है जिसका मैं विरोध करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह चम्मचों का हार कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी को पहना दें क्योंकि वह सदन में आपके बढ़िया चम्मच हैं (व्यवधान) इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूं ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं वह तराई का क्षेत्र है । हमारी सरकार ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सामाजिक न्याय देने की बात कही है । मुझे पूरा भरोसा है कि यह सरकार हर वर्ग के साथ न्याय करेगी जिसका मुझे फक्र है । पिछली फिरकापरस्त सरकार ने चुन-चुन कर उन लोगों को जो उस क्षेत्र में एक विशेष समुदाय के थे जिनकी पगड़ी और दाढ़ी है उनको सारी तराई में पकड़ कर बन्द कर दिया (व्यवधान) मान्यवर, आप कहीं जरूर देखेंगे यह समुदाय सब जगह मिलेगा । तो इन लोगों को चुन-चुन कर बंद किया गया और मुलायम सिंह यादव जी के जो साथी थे उन लोगों को बंद किया गया और मुलायम सिंह यादव जी के जो साथी थे उन लोगों को बन्द किया गया । इन्हीं के द्वारा उग्रवाद को बढ़ावा दिया गया, पीलीभीत में तीर्थयात्रियों को मारा गया, बस में से लोगों को पकड़ कर मारा गया । वह हम लोग हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा हुआ है । हम लोगों

---

* वक्ता के भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को भेदभाव और बदले की भावना से पकड़ कर जेलों में बन्द कर रखा है जो निर्दोश हैं उन लोगों को रिहा किया जाय उनके मामलों में अब पुनर्विचार कर उनके केसेज को रिव्यू किया जायेगा ।

दूसरी बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां 3 लाख की आबादी है वहां कोई अस्पताल नहीं है । इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन बहुत कम है और इसका भुगतान नहीं हो रहा है इसको बढ़ाया जाय और जल्दी भुगतान किया जाय ।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बहनें मां बनती हैं, जो गरीब होती हैं उनको 300 रुपया पैदाइस के समय अनुदान दिया जाय, ताकि वह ठीक से खा-पी सकें । आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिये धन्यवाद देता हूं ।

* नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, इस विधान सभा के वर्तमान सत्र में मुझे आज पहली बार यहां आने का सौभाग्य मिला है । इतने दिनों में सदन के अन्दर क्या क्या चर्चायें हुई वह मैंने केवल समाचार पत्रों के माध्यम से जाना है । चूंकि यह पहला अवसर है आपका भी सर्वसम्मति से निर्वाचन होने पर मैं प्रत्यक्षरूप से बधाई नहीं दे सका, इस अवसर का उपभोग मैं उसके लिये करना चाहता हूं मैं अपने और अपने दल की ओर से इस ऊंचे आसन में विराजमान होने पर हार्दिक बधाई देता हूं जिसे आप स्वीकार करें । मैं यह भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मेरे दल का आपके साथ पूरा सहयोग रहेगा । यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी सदन के प्रत्येक मा० सदस्य के अधिकारों का संरक्षण करेंगे । इससे आप जिस गरिमापूर्ण कुर्सी पर विराजमान हैं उसमें चार चांद लगेंगे । मैं नेता सदन श्री मुलायम सिंह यादव को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनको उत्तर प्रदेश की सरकार को चलाने का मौका मिला है और वह मुख्य मंत्री की कुर्सी पर आसीन हैं । यह बात अलग है अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि भाजपा को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिये । तो श्रीमन्, मैं सच्चाई स्वीकार करता हूं कि हमको बहुमत नहीं मिला । लेकिन दूसरी सच्चाई यह भी स्वीकार करता हूं कि बहुमत हमको नहीं बल्कि किसी को नहीं मिला है । तीसरी सच्चाई इसके बावजूद भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता ने सबसे बड़े दल के रूप में चुनकर यहां भेजा है । यह भी सच्चाई है कि आपकी सरकार अल्पमत की सरकार है जो बैसाखियों पर टिकी है और पता नहीं कितने दिन चलेगी, इसके संबंध में भविष्य बतायेगा । लेकिन उनको मैं इस आसन पर बैठने के उपलक्ष और सरकार को चलाने के उपलक्ष में अपने दल की ओर से बधाई देता हूं ।

मान्यवर, लोकतंत्र में सरकार का आना जाना कोई अनहोनी घटना नहीं है । आने वाले दिनों में कोई नहीं जानता कि कहां कौन बैठेगा । लेकिन हां जब कोई सरकार की कुर्सी पर बैठता है तो उससे कुछ अपेक्षायें की जाती हैं । उस सरकार के प्रारम्भिक कदम से प्रदेश की जनता को कुछ संकेत और संदेश मिलते हैं । यदि वह संकेत और संदेश अच्छे हैं तो सरकार अच्छी दिशा में कदम बढ़ायेगी । लेकिन वह संकेत और संदेश अस्वस्थ हैं तो चिन्ता पैदा होना स्वाभाविक है । मैं कोई लम्बा भाषण नहीं दूंगा लेकिन जो कहूं उसमें चाहूंगा कि नेता सदन प्रकाश अवश्य डालेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, जबसे यह सरकार बनी है मोटे तौर पर चार संकेत दिये हैं। पहला संकेत गया है सरकार के बनने के बाद से प्रदेश में एक बार फिर हिंसा और हत्या का माहौल बनना प्रारम्भ हो गया है। दूसरा संकेत गया है सरकार के आचरण के कारण न केवल सचिवालय में बल्कि प्रदेश के हर नगर, हर कस्बे और हर गलियारे में धीरे धीरे जातिगत संघर्ष, वर्ग संघर्ष पैदा होता जा रहा है। आपस में नफरत, और घृणा होती जा रही है और एक प्रकार से कटाव होता जा रहा है।

मान्यवर, तीसरा संकेत कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति की ओर जा रहा है। मैं उन सारी घटनाओं का समय कम होने के कारण उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि एक बार फिर से प्रदेश में एक अराजकता की स्थिति पैदा होती जा रही है। जहां तक वर्ग संघर्ष की बात है, चिन्ता का विषय होना चाहिये, ताली बजाने का नहीं। क्या किसी भी सरकार के मंत्रिपरिषद् के माननीय सदस्य अपने स्टाफ तक में किन्हीं जातियों विशेष का नाम ले लेकर उन्हें अपने स्टाफ से हटाने की बात करेंगे। इससे यह प्रदेश और देश कहां जायेगा। उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, प्रतिभा और निष्ठा के हिसाब से यह काम होना चाहिये जातिगत आधार पर नहीं। तो यह संकेत आज नहीं तो कल बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, जिससे समाज के अन्दर टूटन आ सकती है।

मान्यवर, एक चौथा संकेत जा रहा है कि वर्तमान सरकार को न्याय और कानून की कोई चिन्ता नहीं है और न ही न्यायपालिका के प्रति इनके मन में कोई सम्मान है। इस सम्बन्ध में केवल नमूने के तौर पर मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं। जब 7 दिसम्बर, 1993 को स्पेशल मैजिस्ट्रेट ने हमको जेल जाने का आदेश दिया यह सच है कि हमने मुचलका लेने से इन्कार कर दिया था, तो पहले इन्होंने कहा कि उन्नाव में नवाबगंज इनको भेजा जाएगा। काफिला बहुत धीरे धीरे सरका, बाद में देखा कि लखनऊ की जेल में भेज दिया गया। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, जहां भेजेंगे वहां जायेंगे। लखनऊ जेल में हमें प्रातःकाल बताया गया कि आपको चुनार जाना है। उसके लिये हमने बिस्तर बांध लिया। हम एयरपोर्ट पहुंच गये थे, वहां मालूम हुआ हम आधा घंटा पहले वहां पहुंचे थे, कि अब कहीं माताटीला जेल में ले जाया जायेगा। उसके दूसरे दिन प्रातःकाल हमको कहा गया कि अब आपको फिर से मिर्जापुर जाना है और हवाई जहाज में बैठने पर बावतपुर में मालूम हुआ कि आपको पिपरी और हमारे अन्य तीन साथियों को चुनार में जाना है। हमें स्थानान्तरित किया गया यह प्रश्न नहीं है .....

चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री (श्री बलराम यादव)–

हम लोगों के साथ देवरिया में आपके शासन में क्या हुआ था ?

श्री कल्याण सिंह–

ठीक है, आगे चलकर हम आपकी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखेंगे। (व्यवधान) प्रश्न यह नहीं है कि हमको एक जेल से दूसरे जेल और दूसरे जेल से तीसरे जेल में तीसरे जेल से चौथे जेल में भेजा गया, स्थानान्तरित क्यों किया गया। हमें न्यायिक हिरासत में जहां जाने का आदेश होता, जाना होता। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं,-लेकिन प्रश्न यह है कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट, जिसने हमारे केस की सुनवाई की, क्या इसमें उनकी कोई अनुमति ली गई ? उनकी अनुमति के बिना ही एकतरफा निर्णय लेना क्या कानून को तोड़ना नहीं है। माननीय विजय वर्मा जी, जो स्पेशल मैजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने इस संबंध में लखनऊ के जेल अधीक्षक से जबाव तलब किया है कि आपने मेरी बिना इजाजत के इनको बाहर क्यों

भेज दिया । मैं समझता हूं कि इसमें जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट की कोई गलती नहीं हो सकती है, इस पर शासन में उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया होगा । तो जो न्यायालय की परमीशन लेनी चाहिये थी वह नहीं ली गई ।

अब 20 तारीख को हमको यहां आना था, पर यहां पर 18 तारीख को ही सरकार में कोई निर्णय हुआ, जिसकी 19 तारीख को जानकारी हुई उसमें लिखा यह गया कि इन्हें 20 तारीख को न्यायालय में हाजिर नहीं किया जा सकता है सुरक्षा कारणों से । राज्य सरकार को यह अधिकार है सी० आर० पी० सी० की धारा 268 के अन्तर्गत कि वह चाहे तो सुरक्षा कारणों से या किसी अन्य वैध कारण से पेश करना रोक सकती है । अदालत में हमें नहीं पेश कर सकते थे, लेकिन उसके पहले धारा 267 भी है, जिसमें यह है कि न्यायालय की पूर्व अनुमति लेने के लिये प्रार्थना-पत्र देना आवश्यक है । सरकार ने इसे आवश्यक नहीं माना । मान्यवर, सरकार को कानून से कोई लेना-देना नहीं है । मान्यवर, इस तरह से कानून व्यवस्था है । आप यह समझिये एक तरह से 15 दिन की इमरजेंसी काट कर आ रहे हैं । मिलने पर बड़ी सख्ती थी । बात नहीं कर सकते थे । हम कुल मिलाकर नजरबन्दी में नहीं थे जूडिशियल कस्टडी में थे । मैं यह सब यहां पर नहीं कहना चाहता । प्रश्न यह है कि न्यायालय को बिना बताये सरकार ने निर्णय ले लिया, कि 28 दिसम्बर से पहले हमारे साथ जो और लोग थे माननीय अडवाणी जी, जोशी जी और विनय कटियार जी किसी को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता है ।

मान्यवर, मजिस्ट्रेट ने कहा, कि इस संबंध में कोई दरख्वास्त नहीं है, बिना शर्त ससम्मान रिहाई की बात नहीं आई है । लेकिन रिहा कर दिये गये । कमाल यह देखिये, कि इस सरकार ने इस निर्णय की जानकारी जूडिशियल मजिस्ट्रेट को नहीं दी । सरकार के इस निर्णय की जानकारी सी० बी० आई० को नहीं दी गई जिनके माध्यम से हमारे खिलाफ मुकदमा किया गया था । सी० बी० आई० वकील को जानकारी नहीं दी । हमारे वकील को इसकी कोई जानकारी नहीं दी । यह कौन सा नियम है ? यह कौन सा कानून है ? कौन से कानूनों, नियमों का परिपालन किया जा रहा है । इसलिये मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि अभी जुम्मा-जुम्मा 8 दिन इन्हें आये हुए हैं इसलिये उदाहरण के तौर पर मैंने यह दो उदाहरण प्रस्तुत किये ।

वर्तमान सरकार के कार्यों से ऐसा संकेत मिल रहा है कि इसका कानून और न्याय पालिका में विश्वास नहीं है । यह जो संदेश जा रहे हैं, यह सन्देश अच्छे नहीं जा रहे हैं । जाति से जाति को लड़ाना ठीक नहीं है । जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जो जनजातियां शोषित हैं, पीड़ित हैं, जिनको युगों से मान्यवर, समान अधिकार नहीं मिले हैं, न्याय नहीं मिला है, उनको न्याय मिलना ही चाहिये । उनका हक सुरक्षित रहना ही चाहिये । उन्हें सामाजिक न्याय मिलना चाहिये और सामाजिक समता भी दी जानी चाहिये । समता के आधार सबको न्याय मिलना चाहिये । समाज से यह ममत्व मिट जायेगा तो सामाजिक समता का कोई अर्थ नहीं रह जायेगा, हां कुछ लोग अपनी राजनैतिक रोटियां अवश्य सेंक लेंगे .....

(विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

एक सदस्य–

6 दिसम्बर याद है कि नहीं ?

श्री कल्याण सिंह–

मुझे तो याद है । चूंकि आपने यह दिया तो उस पर भी बोल लेंगे । थोड़ा सा निश्चिन्त रहें । मान्यवर, यह जो सन्देश जा रहा है यह खतरनाक है । मान्यवर, आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता

को भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार के हर ऐसे कदम का जो समाज को बांटता हो, नफरत पैदा करता हो, उसको अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए सकारात्मक दृष्टि से पूरा-पूरा उसका विरोध करेगे । समाज को हम बंटने नहीं देंगे, समाज को कटने नहीं देंगे ।

जिनके साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, हमारी अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े जाति के लोगों को जो अधिकार मिलने चाहिये थे, नहीं मिले हैं उसके लिये हम लड़ाई जरूर करेंगे । मैं सचेत करना चाहता हूं कि यह जो खतरनाक खेल खेला जा रहा है यह न खेला जाय इससे समाज का, इस प्रदेश का बुरा होगा मैं दूसरे खण्ड की ओर आ रहा हूं जैसा कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में दोनों सदनों को समवेत रूप में बताया, उसे पढ़कर सुनाया उसमें जो बातें कहीं गई हैं उसमें से कुछ पर मोटे तौर से मैं यहां पर कहना चाहता हूं । एक बात जैसे कि उसमें आरक्षण के बारे में कही गई है कि इसे हम लागू करेगे, नकल अध्यादेश को निरस्त करने की बात कही गई है ।

(एक सदस्य–समाप्त कर दिया गया है)

बिक्रीकर को समाप्त करने के बारे में बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि 16 घण्टे तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे ।

(एक सदस्य–इसे कर रहे हैं)

अगर कर दिया गया होता तो मैं इसे यहां पर न कहता । बाबू राम जी मैं आलोचना के लिये खड़ा न होता यदि 16 घण्टे बिजली आ रही होती । इसके लिये मैं आपको बधाई देता । श्रीमन्, जहां तक आरक्षण का प्रश्न है । मैं वर्तमान सरकार को, माननीय मुलायम सिंह यादव को हार्दिक बधाई देता हूं । आरक्षण लागू करने के संबंध में उन्होंने वही किया है जो हम विचार दे गये थे ।

(हंसी)

मान्यवर, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे जो पार्टी हो, आरक्षण की नीति को स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया है । श्रीमन्, 20 जुलाई, 1985 को भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया था अप्रैल, 1993 में बंगलौर में एक सम्मेलन हुआ था उसमें आरक्षण की नीति को रखा गया था तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से आरक्षण की प्रबल समर्थक रही है ।

मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो आरक्षण की नीति थी उसमें पहली बात तो यह थी कि अनुसूचित जातियों का आरक्षण यथावत होना चाहिए दूसरी बात थी मंडल समितियों के द्वारा शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों को 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए । उसमें जो सर्वाधिक पिछड़े हैं उनको आरक्षण की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए नीचे से ऊपर की ओर आरक्षण होना चाहिए । तीसरी बात जो गरीब हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, अनुसूचित जाति और जो शेष जातियां हैं उनको दस प्रतिशत आरक्षण देना चाहिए । यह हमने कहा था इससे भिन्न क्या कांग्रेस ने कहा है क्या जनता दल

(मेजें थपथपाई गईं)

ने कहा है कि इससे भिन्न क्या मुलायम सिंह यादव ने कहा है । हमारा कहना है पिछड़े वर्ग में नीचे से ऊपर को आरक्षण करना चाहिए । हमने तो यह भी कहा कि इससे जाति वर्ग संघर्ष नहीं होगा । आपने आरक्षण किया, इसलिये मैं आपका अभिनन्दन करता हूं आपने यह अच्छा काम किया है । मैं चाहूंगा कि यह सदन एक प्रस्ताव पारित करे और केन्द्रीय सरकार को भेजे कि संविधान में संशोधन किया जाये । जो सुप्रीम कोर्ट ने पचास प्रतिशत पर प्रतिबन्ध लगा दिया है, तो आप यदि सबको मिलाकर आरक्षण करेंगे तो यह पचास प्रतिशत से ज्यादा हो जाएगा । तो इसके लिये संविधान में संशोधन के लिये प्रस्ताव पारित करें । मुख्य मंत्री जी ऐसा प्रस्ताव लायेंगे तो हमारा दल उसका हृदय से समर्थन करेगा और उसे स्वीकार करेगा ।

(मेजें थपथपाई गई)

श्रीमन्, एक दूसरी बात कही गई नकल अध्यादेश समाप्त कर देंगे । इसके लिये बड़ी वाह-वाही लूटने की कोशिश हो रही है । आज एक प्रश्न उठा, संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे बिक्रीकर समाप्त करेंगे किन्तु राजस्व का घाटा न होने पावे इसके लिये पहले कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे । ऐसे ही नकल अध्यादेश में उतनी बुद्धिमत्ता से काम लेते । पहले नकल विरोधी अध्यादेश का विकल्प खोजते, उसके पश्चात इसे समाप्त करते ।

(मेजें थपथपाई गई)

अच्छा रहता । हो सकता है कि नकल विरोधी उस अध्यादेश में त्रुटियां रह गई हों, वह त्रुटियां दूर की जा सकती हैं । लेकिन कुल मिलाकर जिस नकल विरोधी अध्यादेश के द्वारा छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा होने लगी थी और अध्यापक भी पढ़ाने के लिये विवश हो गये थे, बल्कि छात्र खुद भी कहते थे कि गुरू जी चलें और क्लास लीजिये और हमारी पढ़ाई सुनिश्चित कीजिये । अध्यापकों ने भी सराहना की थी उस कानून की और जनता ने भी सराहना की थी । स्कूलों में एक माहौल पैदा हुआ था। अगर उसके क्रियान्वयन में कहीं कोई त्रुटि नजर आ रही थी तो उस त्रुटि को दूर किया जा सकता था लेकिन नकल रोकने के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था किये बगैर ही नकल की छूट दी गई ।

श्रीमन्, यह सम्पन्न लोगों को छूट दी गयी है । गरीब का बच्चा तो पढ़ाई करके पास होना चाहता है। जो यह तिकड़म बाज लोग हैं ऐसे लोग नकल के सहारे चाकू खड़ा करके पास होना चाहते हैं । नकल की छूट देकर एक प्रकार से हमारे छात्रों की योग्यता, प्रतिभा और क्षमता पर कुठाराघात किया गया है । अच्छा पढ़कर अच्छे नम्बर लाने से योग्यता का विकास होता है । लेकिन आज वह चाकू रखकर बिना पढ़े नकल करके पास होना चाहता है । श्रीमन्, इस कदम से छात्रों की प्रतिभा कुंठित हो जायेगी । आप नकल क्यों चाहते हैं इस प्रदेश को असल बनाओ । नकल के सहारे इस प्रदेश को नकली सरकार मत बनाओ । हम और आप पढ़कर जो प्रतिभा प्राप्त करेंगे वह किसी भी नकली प्रतिभा से ऊंची होगी । लेकिन नकल की छूट से प्रतिभा पर तुषाराघात हो जायेगा । श्रीमन्, नकल में छूट देने का काम वही लोग कर सकते हैं जिनका वास्तव में अकल से वास्ता नहीं पड़ता है । अकल वाले तो अकल की बात करते हैं नकल की बात नहीं कर सकते । मुझे याद है कि मेरे पास उन दिनों एक छात्र गया था और कहने लगा कि मुख्य मंत्री जी आपको बधाई मैंने कहा कि यह बधाई क्यों ? उसने कहा कि आप नहीं जानते कि आपने शिक्षा जगत में एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है । उसने कहा कि यह छात्रों

के हित के लिये एक बहुत बड़ा कदम है । आज नहीं तो अगले 2-3 सालों बाद आप देखेंगे, कि इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ा । जब हम लोग यह कहेंगे कि क्या समझते हो मैं कल्याण सिंह के जमाने का इण्टरमीडिएट पास हूं । मुलायम सिंह यादव के जमाने का इण्टमीडिएट पास नहीं हूं । श्रीमन्, यह वोट की राजनीति कहां ले जायेगी । भावी पीढ़ियों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ कब तक होता रहेगा ?

एक तीसरी बात निषादों को पट्टे देने की बात कही गयी । मनोहर लाल जी बालू खनन और बजरी खनन के प्रतिबन्ध का आदेश किसका था उक्त वक्त आप हमारी पार्टी में थे और आपने कहा था कि यह जो मल्लाहों, निषादों और केवटों को रेत देने की प्रथा है इससे माफिया लोग ही लाभ उठाते हैं। और अब आप दूसरी तरह की बात कर रहे हैं । बिक्रीकर समाप्त करने की बात कही गयी । आज प्रश्नोत्तर काल में इस पर काफी चर्चा हो चुकी है । चूंकि मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं इसलिये उनसे दो बातें जानना चाहता हूं । एक बात तो यह है कि क्या बिक्रीकर समाप्त करने की कोई समय सीमा निश्चित की गयी है । यदि की गयी है तो वह क्या है ? दूसरी बात है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सभा में घोषणा की थी, कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी भाइयों पहली नवम्बर, 1993 से बिक्री कर देना बंद कर दो । अब इस घोषणा से संबंधित दो प्रकार के लोग होंगे, एक तो वह जिन्होंने पहली नवम्बर से बिक्री कर देना बन्द कर दिया होगा और दूसरे वह लोग जिन्होंने बिक्री कर जमा किया होगा । मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । आपने चुनाव के दौरान यह जो घोषणा की थी और जिन लोगों ने आपकी घोषणा पर विश्वास करके बिक्री कर जमा नमहीं किया है उनका बिक्रीकर माफ करेंगे । दूसरे वह लोग जिन्होंने बिक्री कर जमा किया है क्या यह सरकार उन लोगों का बिक्रीकर का पैसा वापस कर देगी । इस संबंध में आप बतायें ।

एक बात और कहना चाहता हूं, आपने 16 घंटे बिजली देने की बात कही है । अभिभाषण में इसकी चर्चा नहीं है कि आखिर विद्युत उत्पादन कितना बढ़ा है ? बिना उत्पादन बढ़ाये 16 घंटे बिजली की आपूर्ति करने में कठिनाई होगी । कोई भी एक कदम की इसमें चर्चा होती, कि पी० एल० एफ० इतना बढ़ा है । आज कितनी खपत है, इसका उत्पादन बढ़ाया जायगा, तब बिजली दी जायेगी । इसकी इसमें कोई चर्चा नहीं है । मैं सवाल इसलिये उठा रहा हूं कि यह राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं आ सका है, मुख्य मंत्री जी आप बैठे हैं प्रकाश डाल दीजियेगा । पहले पी० एल० एफ० कितना था और जब आपने 16 घंटे बिजली देने की घोषणा की है तो पी० एल० एफ० कितना हो गया है यह नहीं बताया है । अगर बताते तो पता चलता कि 16 घंटे बिजली देने की बात केवल घोषणा है या वास्तव में उसके पीछे तथ्य है । मुझे खुशी होगी अगर मुख्य मंत्री जी बता पायें कि उनकी सरकार आने के बाद विद्युत उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है ? मैं बधाई दूंगा । लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है । बिजली का उत्पादन बढ़ा नहीं है 16 घंटे बिजली की आपूर्ति कैसे सुनिश्चित करेंगे ? आखिर यह हम धोखा किसे दे रहे हैं ? गांवों में 4-5 घंटे या 6 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है । आप पता लगा लें कि फीडर के हिसाब से कितने घंटे बिजली दी जा रही है अगर आप बिजली 12 घंटे – 14 घंटे सुनिश्चित कर देंगे तो उत्तर प्रदेश का काया कल्प हो सकता है ।

एक सदस्य–

22 घंटे बिजली दी जा रही है ।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, कुछ चर्चा औद्योगीकरण की हुई है महामहिम राज्यपाल महोदय ने चर्चा की है। औद्योगीकरण किन कारणों से प्रभावित होता है इसका संकेत नहीं है। 2-3 चीजें कहकर बात समाप्त कर दी गयी है। मेरी अपनी दृष्टि से 6 ऐसे फैक्टर हैं जिनसे औद्योगिक प्रगति की रफ्तार को तेज किया जा सकता है। पहली बात यह है कि औद्योगिक प्रगति के लिये और चीजों की तुलना में सबसे पहले प्रदेश की शांति व्यवस्था चुस्त, दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त होनी चाहिए। क्या नयी सरकार आने के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है। मैं गाजियाबाद का जिक्र करना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा नहीं तो मुख्य मंत्री जी का नाम आ जायेगा। एक जगह 10 हजार का सामान खरीदा गया, दुकानदार जब पैसे मांगता है तो कहा जाता है, जानते नहीं हो सरकार किसकी आ गयी है? तो मैं कहना चाहता हूं कि बिक्री कर समाप्त होना शुरू हो गया है। 10 हजार के माल से, क्योंकि जब सेलिंग नहीं हुई है, तो बिक्रीकर किस बात का। जब 10 हजार का सामान बिना बिके ही चला जायगा, तो बिक्री-कर किस बात का। जब कानून व्यवस्था ठीक नहीं, तो विद्युतीकरण कैसे हो जायेगा? दूसरी बात लाल फीता शाही के संबंध में है। लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं है। आपने कहा था सिंगिल विंडो सिस्टम, हमने कहा था सिंगिल टेबुल सिस्टम। हमने कहा था कि एक कमरे में बैठ कर विचार करेंगे कि उद्यमियों की क्या दिक्कते हैं। इसके लिये जिला स्तर पर कलकटर की अध्यक्षता में, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और मेरे मंत्रि परिषद् के स्तर पर मेरी अध्यक्षता में समिति गठित हुई थी, जिसमें हजारों केसेज का निपटारा किया गया। हमने सिंगिल टेबुल सिस्टम कहा है और सिंगिल विंडो सिस्टम कहा है।

श्रीमन्, इस तरह से ढांचे का कैसे सरलीकरण होगा। यह तो भविष्य बतायेगा। इसके बारे में आज चर्चा नहीं करना चाहता हूं। जोकि औद्योगिक विकास के लिये बाधक बनते हैं, वह है, बिजली। बिजली को सुनिश्चित करना चाहिए। आप कोई भी नीति बनायें, बिना बिजली के कोई उद्योग नहीं चल सकता है। बिना बिजली के तो खेती भी नहीं हो सकती है। जो आपने सड़क के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, दूर संचार की व्यवस्थाओं के बारे में कहा है, ये सब 6 चीजें ऐसी हैं, जब तक इनकी व्यवस्था नहीं होगी, कोई भी कार्य प्रगति नहीं कर सकता है, नारे बाजी से काम नहीं चल पायेगा। यह सरकार प्रदेश के औद्योगीकरण करने के मामले में गम्भीर नहीं। श्रीमन्, इस देश में नारे लगाते रहे हैं, गरीबी हटाओ। हम नारे लगाते रहे, तो हमारे नारे से गरीबी नहीं हटेगी। आज की सरकार में हमारे मुख्य मंत्री कहेंगे कि नारा लगाओ, गरीबी नहीं हटेगी, क्योंकि गरीबी स्वयं में कानून होकर, किसी चीज का नतीजा है। गरीबी बेरोजगारी का नतीजा है। जिस घर में रोजगार आ जाता है, उस घर में गरीबी दूर होने लगती है और जिस घर में रोजगार नहीं है, तो गरीबी आ जायगी। कैसे यह गरीबी दूर हो? क्या कोई योजना है और गरीबी दूर करने के लिये, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे होगा। कहीं भी तो कोई किसी प्रकार का कोई ठोस चित्र नहीं है कि बेरोजगारी कैसे दूर किया जायगा? अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों को मिलने वाली भूमि आज भी लाठी वालों के कब्जे में पड़ी हुई है? क्या सरकार को एहसास होगा कि इतने समय तक, इतनी अवधि में ऐसे सारे अवैध कब्जों को हटाकर निर्बल वर्ग के लोगों के नाम जो भूमि आवंटित होनी चाहिए, दे दी जायगी। लेकिन कर नहीं पाओगे, इसलिये नहीं कर पाओगे कि जिसके कब्जे में है, वही तो नीचे से धीरे-धीरे सहारा दिये

बैठे हैं । हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जो भूमिहीन हैं, गरीब हैं, निर्बल वर्ग के हैं, उनको जमीन मिलनी चाहिए, जिनके कब्जे में जमीन पड़ी हुई है, उनसे कब्जा हटाना चाहिए । क्या सरकार इसका ऐलान कर पायेगी ? हमारी कांग्रेस पार्टी के मित्र यहां पर बैठे हैं और जनता दल के मित्र यहां पर बैठे हैं । हर पार्टी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिये कांग्रेस पार्टी ने क्या निर्णय लिया और जनता दल ने क्या निर्णय लिया, मुझे उस पर टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है । सरकार आज समाज को बांट रही है । श्रीमन्, सत्तारूढ़ दल के लोग जिस व्यवहार को बाहर कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैं यहां पर नहीं करना चाहता हूं, जो समाज में विद्वेष और विभाजन की रेखा पैदा कर रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की सरकार को समर्थन देना उचित है । अगर उचित है, तो माननीय प्रमोद तिवारी जी को मुबारकवाद । इस सरकार को समर्थन देने या न देने का आपको अधिकार है, लेकिन मित्र के नाते हमारा कर्तव्य बनता है, हम आपके हितैषी हैं । इस सरकार को समर्थन देने का काम एक प्रकार से आत्म हत्या करना है । आपको पुराने इतिहास को नहीं दुहराना चाहिए । पिछली बार भी मैंने कहा था, यह गलती न करें । इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, माने या न मानें, यह आपका अधिकार है, लेकिन जो खतरा हमको दिखाई पड़ रहा है, हम बता दें ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

आप भी मित्र हैं और मुलायम सिंह यादव जी भी मित्र हैं ।

श्री कल्याण सिंह–

दोनों के मित्र यह इसलिये हैं कि यह उभयनिष्ठ हैं ।

(हंसी)

यह न सत्ता पक्ष में हैं और न विपक्ष में हैं । न नर हैं और न नारी हैं, तो क्या हैं ?

श्री प्रमोद तिवारी–

हम न पक्ष में हैं और न विपक्ष में हैं, बल्कि निष्पक्ष हैं । हम नर हैं या नारी, मौका दें तो आपकी सेवा में जरूर उपस्थित हो जाऊंगा ।

(हंसी)

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैं आखिर में यह बात कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की बात कही गयी । 6 दिसम्बर, 6 दिसम्बर, 1992 । 6 दिसम्बर को ढांचा टूट गया, टूट गया, क्या गजब हो गया । इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या प्रधान मंत्री जिम्मेदार नहीं हैं जो 4 महीने तक लगातार मामले को उलझाते रहे, मामले को सुलझाया नहीं । क्या गृह मंत्री जी जिम्मेदार नहीं हैं । मेरे बिना मांगे बिना बुलाये 185 कम्पनी केन्द्रीय सुरक्षा बल भेजकर अयोध्या को छावनी बना दिया गया ? क्या रामो वामो के नेता उसके लिये जिम्मेदार नहीं हैं जिन्होंने उत्तेजक भाषण दिया कि कारसेवा किसी कीमत पर नहीं होने दी जायेगी

हम धरना देंगे, प्रदर्शन करें, गिरफ्तारियां देंगे । इसी से कारसेवकों के मन में आक्रोश पैदा हो गया । मैं कहना चाहता हूं सम्माननीय उच्च न्यायालय के बारे में कि सम्माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ के माननीय जजेज ने जो 2.07 एकड़ का मामला था जिसकी सुनवाई 4 नवम्बर, 1992 को पूरी हो चुकी थी और 6 दिसम्बर, 1992 के पहले उसका फैसला आ सकता था अगर लम्बा चौड़ा फैसला देना था तो उसका आपरेटर पार्ट पहले सुनाया जा सकता था, लेकिन 6 दिसम्बर, 1992 के बाद 11 दिसम्बर को उसका फैसला सुनाया गया । मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ यह आरोप लगा रहा हूं कि यह सब केन्द्रीय सरकार के इशारे पर हुआ था । अगर 6 दिसम्बर से पहले फैसला आ जाता तो स्थिति कुछ भिन्न होती । जहां तक ढांचे की सुरक्षा का संबंध है तो हमने ढांचे की सुरक्षा का पक्का इंतजाम किया, ढांचे की सुरक्षा के लिये स्थानीय प्रशासन ने भी इंतजाम किया ।

एक सदस्य–

विवादित ढांचा नहीं मस्जिद कहें ।

श्री कल्याण सिंह–

यही तो प्रधान मंत्री ने गजब किया था, मस्जिद कहा और दंगे हो गये । और यह न्यायपालिका का भी अपमान है क्योंकि न्यायपालिका ने भी विवादित ढांचा कहा है । अगर उन्होंने यह न कहा होता तो देश के अन्दर जो स्थिति पैदा हुई है वह नहीं हुई होती । सी० बी० आई० के लोग हमारे पास आये थे, उन्होंने कहा कि आपका कहना है कि आपकी सरकार ने विवादित ढांचे की सुरक्षा का पक्का इंतजाम किया था । उन्होंने कहा कि आपका कहना है कि स्थानीय प्रशासन ने भी पक्का इंतजाम किया था मैंने कहा कि किया था, मैंने भी किया था और स्थानीय प्रशासन ने भी सुरक्षा का इंतजाम किया था तो हमसे पूछा कि फिर भी ढांचा कैसे टूट गया तो हमने कहा कि हमारा जवाब लिख लें । श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा का पक्का इंतजाम या फिर हत्या कैसे हो गयी, श्री राजीव गांधी की सुरक्षा का पक्का इंतजाम था कैसे हत्या हो गयी, अमेरिका के कैनेडी की सुरक्षा का कम इंतजाम नहीं रहा होगा फिर कैसे हत्या हो गयी ? तो यह तो घटनाएं हैं कभी-कभी हो जाती हैं, सुरक्षा रखी रह जाती है और घटना हो जाती है । हमने कहा था और आज भी कहता हूं, स्थानीय प्रशासन का भी साफ कहना था और उनका यह आंकलन था कि लाखों की भीड़ है गोली चलायेंगे तो उसका रियेरकशन प्रदेश और देश में भी हो सकता है ।

मेरे पास स्थानीय प्रशासन के आंकलन से असहमत होने का कोई कारण नहीं था, हमने कह दिया कि गोली न चलाइये । हमने लिखित आदेश दिया है । उसका कमीशन बैठा है, इन्क्वायरी हो रही है, सी० बी० आई० के चार्जेज लगे हैं उसका जवाब दिया है ; सी० बी० आई ने यह सब राजनीतिक विद्वेष के कारण किया है । 10 नवम्बर को सम्मन जारी कर दिया अगर वह आता तो हम जाते जेल में, इन्होंने कहा कि हम अयोध्या के ढांचे के जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार करेंगे, जेल भेजेंगे लेकिन इनका वोट, छोटा छोटा वोट । एक खास सम्मानित मौलाना दिल्ली में बैठे हुए हैं उन्होंने कहा कि कोई आदमी की दरख्वास्त पर कोई पागल मैजिस्ट्रेट सम्मन जारी कर दें तो मैं क्या जाता रहूंगा ? तो कहां है आपका कानून, आज तक उनको कोई कुछ कर पाया है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर सके हैं । मेरे ऊपर तो राजनतिक कारणों से केस चलाया जा रहा है, हमारे विरुद्ध सी० बी० आई० के पास कोई केस नहीं है ।

[4 बजकर 10 मिनट]

कोई आरोप नहीं है, आरोपों का कोई प्रमाण नहीं है, 20 किलों से ज्यादा की तो चार्जशीट होगी। दुनिया के अन्दर किसी केस की इतनी मोटी चार्जशीट नहीं बनी होगी।

मान्यवर, यह राजनीतिक द्वेष भावना से यह सारे केस चल रहे हैं, हम सी० बी० आई० में जवाब देंगे, कमीशन को जवाब देंगे, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देंगे। हम लोगों से कोई गल्ती नहीं हुई है, न कभी हमने न्यायालय का अपमान किया है और न कभी माननीय न्यायालय की अवमानना की गयी है। (व्यवधान) मुचलका हम नहीं देंगे, यह मजिस्ट्रेट का अधिकार था, मुचलका नहीं दिया, उन्होंने हम लोगों को जेल भेज दिया, हम जेल चले गये,

श्री प्रमोद तिवारी–

वहां जाने के बाद वजन जरूर आपका बढ़ गया है इसके लिये माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई है।

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, 6 दिसम्बर की चर्चा बहुत हो चुकी है रोज-रोज उसको उठाना ठीक नहीं है। तीन जगह इसकी जांच पड़ताल होकर केस चल रहे हैं जिसका दोष होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी। मैं अभी भी इसको उठाना नहीं चाहता था लेकिन बीच-बीच में इसके बाबत तमाम बार कहकर, कुछ कहने के लिये मजबूर कर दिया गया, इस नाते से कुछ शब्द कहे हैं। एक बार पुनः आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से बड़े विनम्र शब्दों में, बड़े ही आग्रहपूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि समाज को बांटने के लिये बीज न बोयें, जाति को जाति से लड़ाने का जहर मत घोलो, वर्ग को वर्ग से लड़ाने का जहर मत घोलो, गांव के अन्दर यह जहर फैल गया, तो घर जाकर तसल्ली से सोचेंगे तो आपकी आत्मा भी यही कहेगी कि यह अच्छा नहीं हुआ। सबको साथ लेकर चलें जिनको नहीं मिला उनको जरूर न्याय दिया जाना चाहिए। पिछड़ों, दलितों के लिये जो सरकार कदम उठायेगी, हम वचन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से उस हर काम का स्वागत करेंगे, लेकिन समाज को बांटने का कोई काम होगा तो उसका विरोध करेंगे। हम समाज को बांटने नहीं देंगे। आप अपने सहयोगी मंत्रियों/विधायकों को बुलाकर बात कर लीजिये, जहरीला प्रचार होना प्रारम्भ हो गया है, यह समाज के लिये ठीक नहीं है। आज आप हैं, कल हम थे, कल आप चले जायेंगे, कोई आयेगा यह सब लोकतंत्र में चलता रहेगा, लेकिन समाज की समस्या नष्ट नहीं होनी चाहिए। अगर समाज कमजोर हो जायेगा तो देश/प्रदेश कमजोर हो जायेगा। इसी के साथ महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रस्ताव संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं। (भारतीय जनता पार्टी दल की ओर से मेजों की थपथपाहट)

(श्री मुलायम सिंह यादव के खड़े होने पर सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले सदन के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यगणों को, जो चुनकर आये हैं, मैं बधाई देता हूं; साथ में ही नेता विरोधी दल माननीय कल्याण सिंह जी को नेता विरोधी दल की कुर्सी पर बैठे हुए देखकर मुझे खुशी भी है, उन्हें भी मैं बधाई देता हूं।

मान्यवर, यह धन्यवाद का प्रस्ताव महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो पेश किया गया है, सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री हृदय नारायण जी द्वारा, उस पर चर्चा करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और साथ में ही अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव इस सदन में रखना चाहता हूं कि "माननीय सदस्यगण अवगत हैं कि महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो मत होगा वही मेरे मंत्रि-मंडल में विश्वास का मत होगा। अतः मेरी सरकार में विश्वास व्यक्त करने के लिए इस धन्यवाद प्रस्ताव को पारित करें।" यह मेरी सदन से अपील है। 12वीं विधान सभा में जो सदस्य चुने गये हैं उसके विश्लेषण के संबंध में मजबूर कर रहे हैं माननीय नेता, विरोधी दल, माननीय गुप्त जी। इससे पहले इस सदन के माननीय वरिष्ठ सदस्यों का, माननीय कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक, श्री जगदम्बिका पाल, माननीय ऊदल जी, माननीय मित्रसेन जी और कई माननीय सदस्य हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने रचनात्मक सुझाव भी दिये हैं और इस सरकार को सहयोग का भी पूरा आश्वासन दिया है।

माननीय नेता कांग्रेस पार्टी, श्री प्रमोद तिवारी जी, जो यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपने दल के साथ समर्थन इस सरकार को दिया है एक वसूल के लिए और यह भी वायदा किया है कि देते रहेंगे। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जहां तक 12वीं विधान सभा का चुनाव का सवाल है इस चुनाव के बाद यह साबित हो गया है कि साम्प्रदायिक शक्तियों, नफरत फैलाने वाली शक्तियों और नारेबाजी शक्तियों को पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है। जो विध्वंसकारी शक्तियां इस देश में पनप रही थीं वह पनम नहीं सकती हैं। इस देश के निर्माण और विकास की बात जो दल करेंगे उन्हीं का साथ जनता देगी और उसी का परिणाम है कि आज इस सदन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के गठबन्धन की सरकार आयी है। आपने जो बिन्दु उठाये हैं उनका भी है मैं पूरा उत्तर दूंगा और आपको संतुष्ट करूंगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। आप कहां तक संतुष्ट होंगे यह तो मैं नहीं कह सकता।

इसलिए नहीं कह सकते हैं कि आपके दल की दो जुबाने हैं और जो गठबन्धन की सरकार बैठी है उसकी एक जुबान है। जो कहते हैं वहीं करते भी हैं। आपने जो कुछ कहा है मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन जहां तक अराजकता और हिंसा की बात है वह आपके सामने है और इसलिए 18 दिन की सरकार की समीक्षा इतनी जल्दी कर लेंगे, आप माननीय नेता विरोधी दल भी है, मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं, लगातार सदन में भी हैं, यह तो उम्मीद नहीं थी। पांच साल का नतीजा 18 दिन में ही निकाल लेंगे। इसलिए भी मैं आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। जहां तक आपकी सरकार के नतीजों की बात है, उन नतीजों के कारण ही हमारे प्रदेश में अवरोध हुआ है और जो हमारी सरकार आयी थी, उस समय जो बिजली, पानी, खाद, उत्पादन की जो स्थिति थी, उसमें गिरावट आयी है। इसके लिये जिम्मेदार फासिस्टवादी प्रवृत्ति की शक्तियां हैं, जिनको आप सुरक्षा देते रहे हैं, बढ़ावा देते रहे हैं और इसी के कारण अराजकता बढ़ी, शान्ति व्यवस्था भंग हुयी। मान्यवर, हिन्दुस्तान की आजादी के बाद इतनी अशान्ति कभी नहीं हुयी, जितनी इनके समय में हुयी। मान्यवर, आप देखें कि 1991-92 की तुलना में 54.4 प्रतिशत सड़के निर्मित हुयीं और इनके समय में जिन मार्गों को जोड़ा गया था, उस तुलना में 20 प्रतिशत की कमी आई। इसी तरह आयोजनागत व्यय में मूल परिव्यय में 1991-92 में 4.1 प्रतिशत की कमी आई।

इसी तरह बिजली के मामले में 3.2 प्रतिशत, लघु सिंचाई के मामले में 50.9 प्रतिशत की कमी आई। इसी तरह से खाद्यान्न उत्पादन के मामले में हमारी सरकार के समय उत्तर प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन

हुआ, उसमें भी आपके जमाने में 1.9 प्रतिशत की गिरावट आई और भी बहुत से आंकड़े हैं, मैं उसमें नही जाना चाहता । लेकिन यह अवश्य बताना चाहता हूं कि आपके कार्यक्रमों से, आपकी नीतियों से, आपकी आस्थाओं से यह गिरावट आई । उस शब्द को मैं नहीं कहना चाहता, मैं नकारात्मक नहीं बोलना चाहता, लेकिन इससे प्रदेश के विकास में अवरोध पैदा हुआ । जहां तक बिजली के बारे में आपने कहा कि 16 घण्टे बिजली नहीं मिल रही है, यह सब गलत है । अध्यक्ष महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यदि कहीं कमी है, तो हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे । इस संबंध में पहाड़ों का अपवाद है, वहां 16 घण्टे बिजली नहीं जा रही है, यह सही है, इसे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अलीगढ़ में 6 घण्टे बिजली मिल रही है, तो यह गलत है । आप वहां पता करके मुझको कल बता देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा ।

श्री कल्याण सिंह–

मैंने फोन से बात करने के बाद ही यह कहा है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

फोन आपने किसको किया, मुझे पता नहीं है । सच बोलना तो आपके यहां है ही नहीं । जितना [x x] बोल सको, जितना अफवाहें फैला सको, यह आपके चरित्र में है । मान्यवर, आगरा में भी 16-17 घण्टे बिजली दी जा रही है, फिरोजाबाद में 12 से 15 घण्टे, अलीगढ़ में 15-16 घण्टे, मथुरा में 16 घण्टे, मैनपुरी में 17 से 18 घण्टे, मुरादाबाद में 16 घण्टे, रामपुर में 15 घण्टे, बिजनौर में 16 घण्टे, बुलन्दशहर में 16 घंटे, सहारनपुर में 14 घण्टे, मुजफ्फरनगर में 16 घण्टे, गाजियाबाद में 16 घण्टे, हरिद्वार में 16 घण्टे, नैनीताल में 20 घण्टे, बिजली दी जा रही है । पहाड़ों में जरूर कुछ कम है । इसी तरह से मान्यवर, उन्नाव में 15 घण्टे, सीतापुर में 16 घण्टे, रायबरेली में 16 घण्टे, सुल्तानपुर में 16 घण्टे, लखनऊ में 21 घण्टे, फिरोजाबाद में 16 घण्टे बिजली दी जा रही है ...लखनऊ में ज्यादा है, लेकिन मैं 20 ही मानकर चल रहा हूं । इसी तरह से शाहजहांपुर में 16 घण्टे, बदायूं में 16 घण्टे, वाराणसी में 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति हो रही है और आप जहां हैं वहां पता नहीं ।

श्री कल्याण सिंह–

जहां पर बिजली बनती है, वहां पर कम से कम आठ घण्टे जनरेटर चलता है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

आपको बिजली मिलती भी कहां थी ? मान्यवर, जहां तक इटावा का सवाल है, 16 घण्टे भी है, 18 और 19 भी है और ज्यादा भी हो सकती है । मैं विधान सभा का सदस्य फिरोजाबाद जनपद से हूं वहां पर 15 से 16 घण्टे विद्युत आपर्ति है । इटावा में होगी तो होना चाहिए, वहां तो काम अपने आप होते हैं । लेकिन आपको जो आते-जाते बताया गया है, यह सही नहीं है . अगर गलत है तो माननीय सदन के सामने रखें ।

नोटः–[x x] यह अंश अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

(व्यवधान/शोर)

आपने कहा कि कुछ घोषणायें कर दी, कुम्हारों के लिये, निषादों के लिये, उसमें तर्क की आवश्यकता नहीं थी, अगर कहीं कमी है तो संशोधन करें। हमारी सरकार का पूरा संकल्प है कि समाज का आखिरी व्यक्ति जो है, जो गरीब है, उत्पीड़ित है, दलित है, शोषित है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, भूखा है, जब तक उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आ जायेगी, सत्ता तो वाद में है, उसके लिये हम पहले काम करेंगे, इसलिये मान्यवर, इस प्रदेश के कुम्हारों को वर्तन बनाने के लिये मिट्टी का पट्टा दिया गया क्योंकि मान्यवर, मिट्टी के लिये उनको अपमानित होना पड़ा, जेल में जाना पड़ा है, पुलिस के डंडे खाने पड़े। हो सकता है कि आप इन परेशानियों से अवगत न हों लेकिन मैंने गांव से वास्ता रखा है। हमसे गांव के कुम्हारों ने शिकायतें की, इसलिये आदेश दे दिये गये हैं कि जो वर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, उनको तत्काल पट्टे दिये जायं। इसी तरह से निषादों का जो काम है, कश्यप का है उनका काम छीना गया, उनकी बेरोजगारी बढ़ी इसलिये मछली पालन हेतु उन्हें भी तालाबों के पट्टे दिये गये। जैसा कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि गरीबी से बेरोजगारी बढ़ती है। मैं कहता हूं कि गरीबी से बेरोजगारी नहीं बढ़ती है, बल्कि बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। यह तो मेरा रास्ता था बेरोजगारी से गरीबी बढ़ती है। मुझे खुशी होगी यदि आप इस पर अमल करेंगे और हो सकता है कि आप इस रास्ते पर आ जायें। आज देहातों में गरीबी बढ़ती चली जा रही है उसका एक ही कारण है कि हमारे यहां जमीन तो ज्यादा है लेकिन जनसंख्या भी ज्यादा है इसलिये जब हाथ से काम हो सकता है तो इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, मशीनें लगाने से बेरोजगारी बढ़ेगी और इसी को दृष्टिगत रखते हुये जो कुम्हार हैं, अपने हाथ से काम करने वाले हैं उनको रोजगार दिया है। निषादों को मछली पालने का ठेका दिया है, उनके हाथ के अनुकूल उनको काम दिया गया है। इसमें भी आपको कुछ कहना है ? मैं नहीं समझता कि आपकी सोच क्या है ? मैं बदलना नहीं चाहता, लेकिन शायद बदल जाये तो अच्छा रहेगा, इसमें गरीबों का हित है, इसलिये हम चाहते हैं। जहां तक आरक्षण का सवाल है, आपने कहा कि हम समर्थन तो करते हैं, लेकिन सामाजिक एकता और जाति बिरादरी फैलाना चाहते हैं।

मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैंने संघर्ष अभी से नहीं किया है, 1959 से संघर्ष किया है, डा० राम मनोहर लोहिया जी ने पहली बार अपनी कलम से लिख दिया था कि पिछड़े, दलितों, शोषितों और महिलाओं के लिये 60 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। तब से यह लगातार संघर्ष करते रहे। यह आरक्षण का प्राविधान किया गया है जिसको आप दूसरे तरीके से ले रहे हैं। एक तरफ समर्थन भी करते हैं और दूसरी तरफ दूसरा पक्ष रखते हैं। दो प्रकार की बात हम नहीं करना चाहते हैं। बड़ी तादाद में जिनको नौकरी मिली है, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा समुदाय जो उपेक्षित है उसकी उपेक्षा भी बहुत दिनों तक नहीं चल सकती है, न हम उसको बरदाश्त कर सकते हैं....इस दृष्टि से हमने 27 सैकड़ा आरक्षण लागू कर दिया था अध्यादेश के जरिये परन्तु आपने उस अध्यादेश को सदन में लाकर निरस्त कर दिया। हमें इस बात का फक्र है कि सबसे पहले हमने हिन्दुस्तान में इस बात को कहा कि ऊंची जाति के जो लोग आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए 8 सैकड़ा आरक्षण दिया जाय। हमने रमाशंकर कौशिक समिति के हिसाब से 8 सैकड़ा आरक्षण की व्यवस्था की थी। 2 सैकड़ा महिलाओं के लिए व दो सैकड़ा उत्तराखण्ड के लिए, परन्तु आपने उस आरक्षण को भी खत्म कर दिया। अब आप किस मुंह से कह रहे हैं। हमने जिन कामों को किया, उनके खिलाफ आप काम करते रहे।

कभी आप उन नीतियों की वकालत करते हो और कभी खिलाफत । इसलिए आज यह जरूरी है कि आप सबसे पहले स्वयं यह तय करो कि आपकी नीति क्या है ? आपकी नीति तो कुछ है ही नहीं ।

श्री ऊदल–

इनकी तो केवल कमण्डल की नीति है ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इन लोगों के तो दिमाग का आपरेशन कर अल्मारी में बन्द कर दिया गया है । हमें अभी भी विश्वास है कि ये रास्ते में आ जायेंगे ।

श्री मुख्तार अनीस–

उस बन्द अल्मारी की चाभी किसके पास है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वह चाभी भी हमारे पास आ जायेगी या तो एक दिन यह समाज इनको मजबूर कर देगा और या फिर इनको रास्ते से हटा देगा । इनको कहीं भी सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रखेगा । इस देश में सामाजिक एकता को बनाये रखने का हमारा संकल्प है । हम ऊंची जाति के लोगों को अपमानित न कर, उन्हें न चिढ़ाकर और न गाली देकर अपितु उन्हें समझा-बुझाकर हम एकता को कायम रखेंगे ? बड़े लोगों ने हमेशा उदारता बरती है, जिस प्रकार हरिजनों के आरक्षण को उन्होंने स्वीकार किया है, उसी प्रकार पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण को भी स्वीकार किया जाय । यह हमने कर भी दिया है । माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी यहां पर बैठे हैं, उनके दल के प्रधान मंत्री जी ने इसे स्वीकार भी किया है । हमने लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखा है । जहां तक हकों का सवाल है, उन्हीं उसूलों को लेकर आज हम इधर बैठे हुए हैं । हम उन उसूलों से नहीं हटेंगे । हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे हक मिलें । अगर हक नहीं मिला तो हम अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने हकों को लेने से हिचकिचायेंगे नहीं । जो सामाजिक असंतुलन है, जो गैर-बराबरी समाज में है, उसे हम समाप्त करेंगे और एक सामाजिक समता स्थापित करने का प्रयास करेंगे ।

आप लोग तो अब नौटंकी कर रहे हो । हम तो जब 1955-56 में छात्र थे तो जाति मिटाओं सम्मेलन होता था । बाल्मीकि के घर से, कुम्हार के घर से व अन्य जातियों के घर से खाना लाते थे और उसे एक साथ मिलाते थे, तब खाते थे । श्री गुप्त जी श्री काशी राम जी के नाम को काफी उठाते हैं । उनका नारा है "जाति तोड़ो और समाज जोड़ो ।" उन्होंने संकल्प किया है कि 100 दिन में हिन्दुस्तान का दौरा करके वह दिखा देंगे कि जातिवादी कौन है ? आपने जो टिप्पणी की, वह आपको नहीं करनी चाहिये थी । इस देश के जिन लोगों पर हजारों साल से अत्याचार हो रहे थे, उनको जगाया है और उनमें आत्म विश्वास पैदा किया है ।

इतिहास में जब युगनिर्माताओं का नाम आयेगा तो उसमें माननीय कांशीराम जी का नाम रहेगा । इसीलिये मैंने कहा नेता विरोधी दल आप उनके लिये वह नहीं कहते जो गुप्त जी ने कहा । माननीय कांशी राम जी ने नयी दिशा दी है । उनको हमने सहयोग दिया भी है और सहयोग लिया भी है । यदि

दलित घर में वह नहीं पैदा हुये होते तो माननीय गुप्त जी उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते जो काम उन्होंने किया है, वह काम आज तक समाज में परिवर्तन करने का काम किसी ने नहीं किया है।

जहां तक शान्ति व्यवस्था का सवाल है आपने आंकड़े दिये हैं। शान्ति व्यवस्था के संबंध में आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। शान्ति व्यवस्था के हम हमदर्द है, हर कीमत पर उसे कायम रखा जायेगा। उत्तर प्रदेश में कोशिश की जायेगी कि जो इंसान भला है वह सीना तान कर चले और जो अपराधी है वह सिर झुका कर चलेगा यह हमारा संकल्प है। अभी तो 18 दिन इस सरकार को बने हुये हैं आपने खुद ही महसूस कर लिया होगा। आपने जिक्र किया अपनी परेशानियों का मुझे नहीं लगता कि आप परेशानियों का जिक्र करेंगे, क्योंकि आप कई बार जेल जा चुके हैं। तो कुछ न कुछ परेशानियां होती ही हैं। हमने कोशिश की, कि आपको परेशानी न हो। परेशानी दूर करने में नियमों का उल्लंघन हो गया होगा। हमारी नियत साफ है कि किसी तरह की परेशानी न हो।

मैंने आपके अध्यक्ष को भी बता दिया था आप जायं और कोई तकलीफ हो आप चुपचाप बता दीजिये, मैं किसी अखबार वाले को भी नहीं दूंगा, आपकी पार्टी के सदस्य से कहा, आपके वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा मैं जाने वाला हूं लेकिन यहां दुखद घटना घटी, इस माननीय सदन में वह नहीं आ सके। मैं विश्वास दिलाता हूं भविष्य में इस दल की तरफ से कभी भी इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जायेगी। तो इसलिये वह नहीं जा सके। आप याद करें अगर आपको पता नहीं है तो अब पता लगा लें डी० एम० और एस० पी० को बुला लीजिये। हम नहीं चाहते थे हमारे कैबिनेट के मंत्री खड़े हो कर कहें। लेकिन उस घटना को कोई भूलेगा नहीं रात एक बजे सोते हुये गिरफ्तार किया गया क्या यह इंसानियत का काम है मैंने कहा था 4 बजे ले जाना देवरिया नजदीक ही है और गोरखपुर ले जाना है तो एक घण्टे में पहुंच जायेंगे और चार बजे के बाद ले जाना। दिनचर्या पर भी रोक लगा दी। इसका आपको पता होगा या नहीं होगा तो मुझे अफसोस है। दोहरी घाट पर जब देखा कि मुश्किल हो गयी है तो मैंने ड्राईवर को झपट कर स्पीड कम करने को कहा, तब मैंने दिनचर्या की थी। डेढ़ मिनट से ज्यादा नहीं दिया दोनों ओर रिवाल्वर लिये खड़े हो गये मैंने कहा इसकी क्या जरूरत है ? माननीय हीरालाल जी को फैंक दिया। अगर हमारे कार्यकर्ता ने न पकड़ा होता तो उनका सिर फट गया होता। हमारे मंत्री बलराम यादव थे और ईशदत्त जी राज्य सभा के मेम्बर थे तो इस तरह से जेल भेजा गया। दिनचर्या के लिये भी सख्ती की गयी, आदेश दिया गया कि कहीं पर रास्ते में न रोका जाय। मैंने सोचा था और पहले ही कह दिया कि बदले की भावना से, हम काम नहीं करेंगे। जितनी तकलीफ हमें दी है उतनी ही सुविधा हम नेता विरोधी दल को देंगे।

श्री कल्याण सिह–

मान्यवर, मा० मुख्य मंत्री जी ने अपनी गिरफ्तारी के सिलसिले में कुछ बातें कहीं। तो मैं भी उन्हें याद दिला दूं कि जब हम सभायें करते थे तो मुझे भी शंकरगढ़ के चौराहे पर गिरफ्तार किया गया था और जेल में रखा गया था। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि बदले की भावना से नहीं किया गया था। लेकिन पिछला हिसाब-किताब बराबर हो गया और आगे ध्यान रखेंगे कि तकलीफ न होने पाये।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इस पर अब मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि हमारी कोई बदला लेने की भावना नहीं है और न पहले थी चूंकि उस समय भी इनके बड़े नेताओं को जेल भेजा गया था और उनको छुड़ाया था। लेकिन आपने बदला लिया था।

मान्यवर, 27 नवम्बर, 1992 को सुप्रीम कोर्ट में कसम खाई और हलफनामा दिया और यही नहीं हमारे सामने 23 नवम्बर को राष्ट्रीय एकता परिषद् को आश्वस्त किया था कि हर हालत में मस्जिद की रक्षा की जाएगी, इसकी आपने कसम खाई थी किन्तु आपने 6 दिसम्बर, 1992 को मस्जिद गिरवा दिया। आपने कहा कि गोली चलाने के आदेश नहीं दिये थे किन्तु आपने मस्जिद को गिरवा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि 30 अक्टूबर, 1992 को हमने कह दिया था और आज भी कहना चाहता हूं कि इस देश में संविधान, न्यायपालिका और देश की एकता से बढ़कर कोई चीज नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने संविधान का सवाल था लेकिन देश की एकता के लिये 16 जानें गयीं जिसका मुझे अफसोस है लेकिन देश की एकता के खातिर इंसान की कीमत नहीं होती है। इसलिये यदि देश को बचाने के लिये कोई हिंसा पर उतारू हो जाएगा तो उस पर गोली चलाने में हमारी सरकार हिचकिचाएगी नहीं लेकिन यदि वह निहत्थे और अहिंसक होंगे, तो उन पर हम गोली चलाने की कभी इजाजत नहीं देंगे।

मान्यवर, आपने 6 दिसम्बर, 1992 को मस्जिद गिरवा दिया जिससे दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका और आप मस्जिद की रक्षा नहीं कर पाये और हिन्दुओं की रक्षा किया। मान्यवर, यह लड़ाई हिन्दू मुसलमान की नहीं है बल्कि वोट के ख़ातिर कट्टर हिन्दूवाद की लड़ाई है। मान्यवर, 6 दिसम्बर, 1992 के बाद बम्बई में केवल 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। सारा हिसाब आएगा तो मालूम होगा कि 20 हजार करोड़ रुपये का आपकी सरकार की करामात के कारण नुकसान हुआ। मन्दिर ही नहीं मस्जिद भी टूटे, यह है कट्टर हिन्दुवाद। ये मन्दिर-मस्जिद विदेशों में भी टूटे हैं। इतना ही नहीं वहां लड़कियों को नंगा किया गया था। नंगा करके कांच की बोतल तोड़कर उनके सामने रख दी गई, उनकी इज्जत खोल दी गई और उनसे कहा कि इस पर खड़ी हो जाओ और नहीं खड़ी होगी तो तुम्हारे परिवार को शूट कर दिया जाएगा। उनके अंग में ऐसा करने से जख्म हो गये, शरीर लहुलुहान हो गये। यह दशा हमारे पांच सांसद देखकर आए हैं, मिलकर आए हैं, फिर भी उनके परिवार को शूट कर दिया गया। तो 6 दिसम्बर को आपके गोली न चलाने का यह नतीजा है। हम भी हिन्दू हैं, देश का विकास करना चाहते हैं, यह हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का कोई सच्चा रक्षक है, तो वह हम लोग हैं, जो इधर बैठे हैं। इसलिए हमने मुसलमानों से कहा, जहां भी गए उनसे कहा कि उनको आगे आने की जरूरत नहीं है। यह उनका विवाद नहीं है। आज विवाद कट्टर हिन्दू और सनातनी हिन्दुओं के बीच है। सनातन हिन्दू जीत गए हैं और कट्टरवादी हिन्दू पराजित हो गए हैं। जब आप जीतेंगे तो कहेंगे कि बहुमत है और जब हारेंगे तो कहेंगे कि हमको जनादेश बहुत ज्यादा मिला है।

जनादेश आपको कहां से मिल गया। जनादेश तो आपके खिलाफ यहां बैठा है। 65 प्रतिशत जनादेश आपके खिलाफ है, उसके ही परिणाम स्वरूप हम यहां बैठे हैं। आपने कहा, एक बार नहीं कई बार कहा, कि आपके नेता बराबर बड़े घमण्ड से कहते घूम रहे थे कि हम से कम हमारी 230 आएगी

और इससे एक भी सीट कम हो जायगी तो हम स्वीकार करेंगे कि देश की जनता ने हमें नकार दिया है। लेकिन आज आप तो 177 सीटें जीते हैं, देश की जनता ने आपको बुरी तरह नकार दिया है। इसके साथ ही आपने बड़ी लम्बी-चौड़ी बातों में यह कहा कि 56 सीटें भी मुलायम सिंह और काशीराम ले आएंगे तो हम राजनीति से सन्यास ले लेंगे। तो क्या अब आप सन्यास लेंगे, खैर मैं इसकी बात आपसे नहीं कहूंगा। जाति-विरादरी की जो बात है, हम आपसे पूछते हैं कि यह हिन्दू राष्ट्र की जो घोषणा है वह किसकी है। विश्व हिन्दू परिषद् की है और यह विश्व हिन्दू परिषद् किसकी तरफ है। हमने बार-बार आपसे सवाल किया कि आप इसकी या तो निन्दा करें या समर्थन करें। आप आज तक इस पर नहीं बोल सके। मेरे पास परिषद् की एक किताब है, उसमें लिखा है कि हिन्दुओं की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को केन्द्रीय सरकार के रूप में आसीन करो, तभी मन्दिर का निर्माण और हिन्दू राष्ट्र की स्थापना सम्भव है। हिन्दू राष्ट्र जब बनेगा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो बतायें कि आप इसका समर्थन करते हो या विरोध करते हो। मैं जानता हूं कि आप इस पर न 'हां' कहेंगे न 'न' कहेंगे। जिसमें लाभ होगा वही कहेंगे और वही करेंगे। लेकिन अब मौका आने वाला नहीं है। जो हिन्दू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, जो भी हैं, उनसे बड़ा इस देश का कोई दुश्मन हो नहीं सकता है। मुसलमान भाइयों ने इस देश को बनाने में मामूली काम नहीं किया, कम कुर्बानी नहीं दी। आप एक तरफ कहते हो, भाषण देते हो कि हमारी मजबूरी थी रक्षा नहीं कर पाए, इसलिए इस्तीफा दे दिया। और पहले भाषण देते थे कि मैंने देश के कलंक को मिटा दिया है। कितने कलंक मिटायेंगे ? आप जैसे लोग कलंक मिटाने की बात करते हैं जो मुख्य मंत्री रह चुके हैं, आपका यह हाल है। इनके दल के लोग जब राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में जाते थे तो वहां प्रधान मंत्री के सामने मिमियाने लगते थे, बाहर निकलते थे तो शेर बनते थे। यह हालत है इनकी। मैं उस जानवर का नाम नहीं लेना चाहता। मान्यवर, यह कहते हैं कि इन्होंने कलंक मिटाया है। लोक सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसे देश का कलंक मानते हो, बताओ उसे कब गिरवाएंगे। लाल किला हमारे देश का गौरव है, उसे भी देश का कलंक मानते हो। आज जो यहां बैठे हो वह भी अंग्रेजों की बनाई हुई है, इसे कब गिरवाओगे। दुनिया का सातवां आश्चर्य ताजमहल है, वह मुस्लिम सम्राटों का बनाया हुआ है, उसको भी देश का कलंक मानते हो, बताओ उस कलंक को कब मिटाओगे। आप जवाब दें मैं बैठ जाता हूं।

(सत्ता पक्ष से मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, हमने जो काम किया है, सफाई कर्मचारी जो महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों को नहीं देख पाती हैं उनके लिये भी व्यवस्था की है। हम गरीबों, दलितों के हित के लिये यहां बैठे हैं। हम जातिवाद नहीं मानते, हम तो समाजवादी हैं। जातिवाद की बातें तो आप लोग करते थे।

मान्यवर, वर्ण व्यवस्था इन्होंने ही फैलाई। वर्ण व्यवस्था के आधार पर वोट मांगते थे। खानदान के खानदान गिनाया करते थे कि इतने वोट इन खानदानों से हमें मिलेंगे। मान्यवर, हमने संयम बरता है। हमने कोई जातिवाद के आधार पर वोट नहीं पाये हैं। हम समाजवादी हैं, समाज के भले के लिये कार्य करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी तो समाजवादी हैं, अगर सदन चाहे तो पूछ ले कि जिन खानदानों की बातें आप करते थे उनसे कितने वोट हमें मिले हैं ? जिस गोत्र की बातें आप करते थे उन्हीं गोत्र वालों

ने भारी बहुमत से मुझे विजयी बनाया । आप याद करें मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । आप विपक्ष के नेता हैं और मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं आपके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है ।

मैं मानता हूं कि विचारों में टकराव हो सकता है । हम समाजवादी हैं, स्वस्थ और सम्पन्न समाज बनाना चाहते हैं, बख्शीश की राजनीति मिटाना चाहते हैं । आपको तो बख्शीश में मिली है । मान्यवर, पंचायती राज के बारे में भी कहा गया है । प्रधानों को मुअत्तल करने की इजाजत नहीं दी जायेगी, उसके लिये रास्ता निकालना होगा । जन प्रतिनिधियों को कोई ऐक्शन लेना है तो उसके बारे में हम आपकी राय लेंगे । राय आप हमसे कितनी लेते थे, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं । आप तो मकान किसको एलाट हुआ है इसकी भी जानकारी किया करते थे । यह कांम हमारा नहीं है । न मैंने ऐसा काम किया है न करूंगा । आपने प्रतिशोध की भावना से कार्य किया हम नहीं करते हैं । आपने जो प्रतिशोध की भावना से कार्य किया इसलिए आप उधर पहुंच गए और हम इधर बैठे हैं । जहां तक जातिवाद का सवाल है नकल विरोधी कानून द्योतक है आपने जो नीति बनाई उसको दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं चाहा । हमने नकल विरोधी कानून समाप्त कर दिया ताकि पुलिस की दखलबाजी न हो । क्योंकि इसकी वजह से लड़कियों की शादियों से लोग मुकर गए और आप वकालत करेंगे कि ऐसा कर दिया ।

(मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, हमने 21 लोगों की कमेटी बनाई है । इसमें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं । इस कमेटी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है । डा० नामवर सिंह अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं । श्री हरिकिशन अवस्थी वाइस चांसलर हैं, वरिष्ठ सदस्य भी हैं । आप कहते हैं कि मार्च से पहले, तो हम इनसे मार्च से पहले सलाह मांग रहे हैं आप सुझाव देना चाहेंगे तो आपको भी कमेटी में ले लेंगे । हमने श्री अगहरुद्दीन, श्री ईश्वरी प्रसाद, श्री मान्धाता सिंह, श्री लक्ष्मीकान्त वर्मा, श्री रामकंवर राय, प्रोफेसर जगदीश पाण्डेय, पत्रकार ओम प्रकाश शर्मा, शीतला सिंह, मो० अली अहमद , श्री मन्नी लाल वर्मा, प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज झांसी, हमने हर वर्ग के लोगों को लें, ऐसी कोशिश की है, हर वर्ग के सुझाव इसमें रहेंगे । श्रीमती शशिप्रभा, श्री राकेश सिंह राणा, यह छात्रों के नेता हैं, सब वर्ग के लोग इसमें हैं जो वायदा किया था वह कर रहे हैं सुझाव के आधार पर शिक्षा प्रणाली कैसी हो, परीक्षा प्रणाली कैसी बने इसको देखेंगे, हमने नकल विरोधी कानून को हटाया है । आपके शिक्षा मंत्री चले गये क्योंकि उन्होंने यह लागू किया था । आप इस इश्यू पर लड़ते, तो आपको भी पता चल जाता । इसी मुद्दे पर वहां चुनाव हुआ है ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

लेकिन वह शिक्षा मंत्री जिनसे आपने यह पास करवाया, हो सकता है वह इसे पास करना नहीं चाहते हों, उन्हें तो अभिभावकों ने मार दिया छात्रों ने राजनीति से हटा दिया, यह साबित हो गया कि छात्रों का समर्थन कहां है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप और ज्यादा करेंगे तो छात्र और ज्यादा आपको जवाब दे देंगे ।

हम तो कभी भी नकल के पक्षधर नहीं रहे हैं और न हमने नकल की है, न होने दी है, हम उसके सख्त विरोधी हैं, लेकिन नकल विरोधी कानून बनाकर दो धड़ बना दिए । इसी लखनऊ में 80-85 प्रतिशत रिजल्ट ताल्लुकेदार के छात्रों का आया था, मान्टेसरी का सेंट परसेंट गया आपके समय में तो ।

गांव के छात्रों का नतीजा दो सैकड़ा चार सैकड़ा था जिसमें कुछ छात्रों के रोल नम्बर नहीं थे, पुलिस खड़ी हो गई आज उसकी परीक्षा ले लें, पुलिस सिपाही लाठी लेकर पहुंच गए तो फेल होना ऐसे में मंजूर है। उसने टेबुल की रक्षा की कि कही कोई पर्चा न डाल दे और वह पकड़ जाय। लड़के इससे फेल हो गए। जिनकी आमदनी 15 हजार रुपये से अधिक है उनके बच्चों का रिजल्ट सौ परसेंट है। जो लोग नंगे भूखे हैं उनके लड़के सौ परसेंट फेल हुए हैं। इन नतीजों के बाद भी आप सत्य को परिवर्तित करना चाहते हैं। सच्चाई सदन के सामने है।

काल्विन ताल्लूकेदार, सिटी माण्टेसरी आदि में जो बच्चे पढ़ते हैं जिनकी आमदनी 15 हजार रुपये प्रति माह से अधिक है वह सौ परसेंट पास हुए हैं। गरीबों के लड़के जो हीन भावना के शिकार हैं वह फेल हुए हैं। उनको निराशा से ऊपर उठाया जाए यह कदम हमारी सरकार ने उठाया है। हमने 45 मिनट में वादा किया था इस काले कानून को समाप्त करने का लेकिन हमने घड़ी देखकर 30 मिनट में ही इस काले कानून को समाप्त कर दिया और समाप्त करते वक्त वहां पर मौजूद पत्रकारों से कहा कि देखो शपथ लेने के ठीक 30 मिनट बाद ही इस काले कानून को समाप्त कर रहे हैं। व्यापारियों के बारे में मेरा कहना है कि बहुत लूट लिया, उनको बहुत धोखा दिया, अब आप उनको धोखा नहीं दे सकते हैं। मैं अखबारों की कटिंग तो रखता नहीं लेकिन दिल्ली के मुख्य मंत्री से कहो कि क्यों गलत घोषणा कर रहे हो। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी चुंगी समाप्त करने की घोषणा की। मुझे इस बारे में खुशी है कि हमने पहले ही इस कार्य को पूरा किया।

आपको तो हमसे सीखना चाहिए। हम लोगों की कथनी और करनी में भेद नहीं है। छः महीने का हमने वायदा किया है मेरा चुनावी घोषणा पत्र पढ़ लीजियेगा। हमने तो आपका चुनावी घोषणा पत्र पढ़ा था और अब आप भी पढ लें। 6 माह में हमने सेल टैक्स समाप्त करने का वायदा किया है। सेल टैक्स समाप्त करेंगे। राजस्व में हानि नहीं होगी। हमने एक व्यापारियों की कमेटी बनाई है उसमें व्यापारी हमारे दल के सदस्यों की संख्या से अधिक संख्या में हैं। जो भी अपने सुझाव देना चाहे वह दे सकता है उस कमेटी में उस पर विचार कर लिया जायेगा। 6 महीने के अन्दर सेल टैक्स खत्म कर दूंगा। व्यापारी वर्ग कहते हैं कि सेल टैक्स समाप्त होने से रिश्वतखोरी की प्रथा समाप्त हो जायेगी जिसकी वजह से यह वर्ग बहुत परेशान है। ईंट भट्ठों के बारे में जो मैंने पहले नीति अपनाई थी उसका ईंट भट्ठे के संघ ने स्वागत किया था, लेकिन आपने उसको भी बदल दिया था। आपने कहा कि आप किस तरह का संकेत देना चाहता हैं, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा संकेत साफ है। हमारी सरकार ने कुम्हारों को पट्टे देने, सफाई कर्मचारियों को राहत देने, विद्यार्थियों को काले कानून से मुक्त कराने तथा व्यापारियों को राहत देने, किसानों को बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन्तजाम किए हैं। राज्यपाल का अभिभाषण चूंकि संकेत होता है कि सरकार किस रास्ते पर चलना चाहती है, वह रास्ता आपके सामने आएगा यही सब संकेत हैं। असली संकेत तो जन समर्थन है जो हमारी सरकार को मिला है। हमारी जो घोषणायें हैं उनको हम पूरा करेंगे। हम शिलान्यास और उद्घाटन में विश्वास नही करते हैं। हमारे जमाने में, वर्मा जी मंत्री थे, रोज 10 कि० मी० सड़कें हाट मिक्स प्लांट के जरिये बनती थीं। एक पुल रोज बनता था। आपका समय आया तो बाराबंकी और इटावा के जितने काम थे वह रोक दिये गये 3 करोड़ 52 लाख रुपया खर्च हो चुका था केवल 15 लाख रुपया शेष था लेकिन काम रोक दिया गया। इस तरह की मानसिकता से कहीं काम किया जाता है। बाराबंकी, इटावा के काम रोक दिये गये। हमने

आपको 3 करोड़ रुपया दिया था । जब आप जेल से छूट कर आये थे, कार सेवा करके आये थे, आपने मुझसे कहा था हमने 3 करोड़ रुपये दिये थे । बहुत सी बातें मैंने कहीं नहीं है आप समझते होंगे ।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने 2-3 बातें कहीं, अच्छे सुझाव दिये हैं, आपने कुछ अच्छे सुझाव दिये हैं हम उनको मानेंगे । लेकिन मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप इसी तरह के अच्छे सुझाव दें ताकि इस देश और प्रदेश की तरक्की हो सके । इस प्रदेश की तरक्की हो इसकी हमारी, सबकी जिम्मेदारी है । हम सब मिलकर इस प्रदेश का विकास करें । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे हटते ही नेम प्लेट बदल गयी । पहले पुलिस के सिपाही की हिम्मत नहीं थी कि यू० पी० पी० लिख ले । मैंने एक अधिकारी की प्लेट नोच लिया था, वह मुस्कराकर रह गया लेकिन जैसे ही हम हटे अंग्रेजी आ गयी । मेरे पास रखा हुआ है, अंग्रेजी का आर्डर । हमारे समय में एक इंजीनियर ने अंग्रेजी में बिल बनाया, विभाग ने कहा कि ऐसा भविष्य में नहीं होगा लेकिन मैंने उसको मुअत्तल किया । हमारी मानसिकता अंग्रेजी हटाने की है, अंग्रेजी मिटाने की नहीं है । कोई अंग्रेजी पढ़ना चाहे, विदेशी साहित्य पढ़ना चाहे उसको छूट है उसका विरोध मुलायम सिंह यादव नहीं करते हैं लेकिन सार्वजनिक जीवन में अंग्रेजी हटे यह सरकार का नारा है और उस पर हम अमल करेंगे । आपके नेता दक्षिण गये वहां उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव अंग्रेजी का विरोध करते हैं हम अंग्रेजी का समर्थन करते हैं इसलिये हमें वोट दीजिये । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अपनी राष्ट्रभाषा हिन्दी के वफादार नहीं हैं वह देश और प्रदेश के वफादार नहीं हो सकते । (मेजों की थपथपाहट) इसलिये दो तरह की बातें नहीं करनी चाहिये । हम एक तरह की बातें करने वाले लोग हैं । हमारे एक जीभ है, हमारे दो जीभ नहीं हैं । हम 6 महीने के अन्दर सेल्स टैक्स समाप्त करेंगे । आपने उनसे पैसा भी लिया, चन्दा भी लिया लेकिन उनका काम नहीं किया । इस चुनाव में उन्होंने एक काम किया है कि हमको गालियां नहीं दीं । अब वह हमें वोट भी देंगे और चन्दा भी देंगे और हमारा स्वागत करेंगे । अभी तो उन्होंने 10 लाख दिया है । मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं कहना चाहता हूं कि हम उर्दू का विकास करेंगे । उर्दू और हिन्दी का रिश्ता बड़ी बहन और छोटी बहन का है । हिन्दी बड़ी बहिन है और उर्दू छोटी बहिन है । यह जो रिश्ता है उसको हम उत्तर प्रदेश के अन्दर कायम करेंगे । (मेजों की थपथपाहट) संस्कृत भाषा को जितनी सुविधायें दी जातीं है उतनी ही सुविधायें अरबी और फारसी को दी जायेंगी ।

हम देश को जोड़ना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और देश को महान बनाना चाहते हैं ताकि विदेशी ताकतें हमारे देश में दखलंदाजी न कर सकें और अराजकता न फैला सकें । 6 दिसम्बर की शर्मनाक घटना जो घटी उससे विदेशी ताकतों को दखलंदाजी का मौका मिला और बम्बई तथा कलकत्ता में जो बम विस्फोट हुये अगर उसके लिये कोई जिम्मेदार है तो आप हैं । विदेशी शक्तियों की अगर कोई दखलंदाजी की गयी, तो उसके लिये जिम्मेदार आप हैं । हम देश में कोई अराजकता नहीं फैलने देंगे । अब हम लोगों को दूनी शक्ति के साथ मिल कर काम करना होगा, तब उसे हम रास्ते पर ला पायेंगे । जो आपने विकास किया है, आपने बड़े गर्व के साथ कह दिया और गोली चलाने से इनकार कर दिया, अगर आप पर हमला हो जाये, तो क्या आप गोली चलाने से मना कर देंगे ? मान्यवर, जहां तक बुनकरों का सवाल है और जो उनके लिये आश्वासन दिया गया है, उसे लागू किया जायेगा । उनका बहुत शीघ्र कर्जा माफ कर दिया जायेगा । जहां तक उत्तराखण्ड का सवाल है, आप तो सब चीजें पकड़ते

हैं । महाभारत में उत्तराखण्ड है और आप उत्तरांचल कहते हैं । यह कौन सा मुद्दा था, जिसे कि 45 सेकेन्ड में उत्तरांचल बना दिया ।

आपने यह नहीं बताया कि उत्तरांचल में कितने जिले हैं, कितने विधान सभा के सदस्य होंगे, कहां इसकी राजधानी होगी । इतने बड़े फैसले के लिये कोई सुझाव नहीं है, कोई राय नहीं है । 45 सेकेन्ड में धोखा देकर प्रस्ताव पास कर दिया । लेकिन हम प्रस्ताव लायेंगे कि कहां पर इसकी राजधानी होगी, कितने विधान सभा के सदस्य होंगे, कितने उसमें जिले होंगे, पूरी तरह से उत्तराखंड बनाया जायेगा और उत्तराखण्ड बनाने के लिये हम केन्द्र सरकार पर दबाव भी डालेंगे । हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे । श्रीमन्, हम गांव के विकास पर प्राथमिकता देंगे । हमारी अर्थ व्यवस्था पूरी तरीके से टिकी हुई है गांव की खेती पर । इन पर विशेष ध्यान देंगे । जातीय भावना कहीं पर न फैलने पाये, हम सामाजिक विद्वेश मिटाने के लिये प्रयास कर रहे हैं । हम बहुत जल्दी ही कोई प्रस्ताव 10 सैकड़ा गरीब सवर्णों के लिये और महिलाओं के लिये लायेंगे और संविधान में संशोधन के लिये भी तैयार हैं । आपने समर्थन दे दिया, बहुत अच्छी बात है । इसको मैं करूंगा और मौका आयेगा तो सारी बातें कहूंगा, लेकिन इस समय यह अपील करूंगा कि इस धन्यवाद के प्रस्ताव को पास कीजिए और संशोधन को वापस लीजिए, लोकतंत्र में विश्वास कीजिए, जो बहुमत की हमारी सरकार है, उसका समर्थन कीजिए और हम सब मिलकर जितना भी देश-प्रदेश का विकास है, उस विकास को आगे ले जायं, अराजकता को समाप्त करें, कानून का राज्य होगा, भाईचारे का वातावरण होगा । इन शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूं

श्री अध्यक्ष–

माननीय अफजाल अंसारी (श्री अफजाल अंसारी उत्तर भाषण के लिए खड़े नहीं हुए)

क्या दीक्षित जी आप उत्तर भाषण देंगे ?

श्री हृदय नारायण –

जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

क्या माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो विषय बिन्दु बने थे, उनके समाधान के लिये सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आया है, केवल आरोप और प्रत्यारोप ही लगाये गये हैं, इसलिये मैं वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव दिये गये हैं, उन्हें यह सदन स्वीकार करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकार हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत आज दिनांक 22 दिसम्बर, 1993 को कुल 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

दिनांक 16 दिसम्बर, 1992 को सदन में घटी हिंसक घटना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कुछ समय के बाद यह सदन उठ जायेगा और फिर पता नहीं कब बैठे और कब न बैठे, लेकिन जो 4-5 दिन में बैठकें हुई हैं, उनमें 16 दिसम्बर को जो यहां पर घटना हो गयी है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में है, उसके विषय में सदन में कोई बात नहीं आयी है । जब यह बात जनता पूछेगी, और संतुष्टि बिना जनता की भावनाओं को ठेस लगेगी ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर मत विभाजन की मांग के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । आप धन्यवाद प्रस्ताव पर मत विभाजन करा दें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मेरे पास माइक की व्यवस्था नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

जब दुबारा बैठेंगे, तो माइक की व्यवस्था हो जायेगी ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, वह मत विभाग की बात कर रहे हैं । वह यह प्रस्ताव कर रहे थे और कह रहे थे कि अगली मद पर जाने से पहले ही मत विभाजन करा दें । मत विभाजन करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया नियमों का अवलोकन करें, चूंकि यह पास हो चुका है और उस समय किसी भी माननीय सदस्य ने कोई आपत्ति नहीं प्रकट की । दूसरी मद प्रारम्भ हो गयी अब इस मद को लेने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, हमारा आपसे अनुरोध है कि मत विभाजन करवा दीजिए, माननीय सदस्य मांग कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि मत विभाजन करवा दिया जाय । मैं चाहूंगा सचिव जी से कि वह मत विभाजन की व्यवस्था करायें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बल दिया है लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि मुझे अपनी सीट छोड़कर आगे पीछे आना जाना पड़ रहा है हमारी सीट पर माइक है नहीं । मान्यवर, मैंने तीन बार निवेदन किया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है । मैं पुनः प्रस्ताव करता हूं और जोर देना चाहता हूं एक बात और संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आपने जो यह हां-नां कराया यह तो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कराया । उसके बाद माननीय नेता सदन ने एक बात और बोल दिया है कि इसके विश्वास में ही मेरी सरकार का विश्वास मत होगा । इस पर आपको मत विभाजन करवाना लाजिमी है नहीं तो जनता सोचेगी कि आपने जल्दी में ही हां, नां कराकर मामले को खत्म कर दिया । इसलिए इस पर गौर करने की जरूरत है ।

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, हम कोई मत विभाजन से कतरा नहीं रहे हैं लेकिन एक बार जब उस अध्यक्ष पीठ से निर्णय हो गया और एक व्यवस्था हो गयी, आपने मान लिया और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया था वह ध्वनिमत से गिर गया और आपने व्यवस्था दे दी और पुनः प्रस्ताव पारित हो गया तो मैं नहीं समझता कि नियमों को तोड़ने की, पीछे लौटने की परम्परा कहां तक उचित होगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान मंत्रि-परिषद् ने अभी वह प्रस्ताव रखा ही नहीं है कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास रखता है या नहीं ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा शोर करने पर घोर व्यवधान बना रहा)

मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, यह कहा गया कि प्रस्ताव विधिवत् प्रस्तुत नहीं हुआ, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पारित हो जाने पर मेरी सरकार द्वारा विश्वास

मत भी प्राप्त माना जायेगा और वह मुझे प्राप्त हो चुका है। फिर भी चूंकि नेता विरोधी दल ने आपत्ति की है, इसलिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे आवश्यकतानुसार नियमों को निलम्बित करते हुए मुझे मंत्रि-परिषद् में विश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यदि सदन सहमत हो तो नियमों को निलम्बित करते हुए माननीय मुख्य मंत्री को विश्वास मत संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ)

एक सदस्य–

मान्यवर, यह आप कौन सी नयी परम्परा डाल रहे हैं।

(व्यवधान)

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, आपको सब अधिकार है। माननीय नेता विरोधी दल सदन के पुराने सदस्य हैं वे जानते हैं और सभी माननीय सदस्य जानते हैं। माननीय अध्यक्ष के निर्णय को न तो माननीय गुप्त जी और न ही कोई अन्य व्यक्ति चुनौती दे सकता है।

(मुख्य मंत्री के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह प्रस्ताव किस नियम के अन्तर्गत आ रहा है, आप कृपया नियम 110 देखने की कृपा करें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन मंत्रि-परिषद् में विश्वास व्यक्त करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, आप यह नयी परम्परा डालने जा रहे हैं। यह किस नियम के अन्तर्गत प्रस्ताव आया है ?

नेता विरोधी दल (श्री कल्याण सिंह)–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, (घोर व्यवधान)

मान्यवर, यह नियम के विरुद्ध प्रस्ताव आया है, इसलिये मैं और मेरा दल सदन का बहिगर्मन करता हूं।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य "लूली लंगड़ी यह सरकार, नहीं चलेगी–नहीं चलेगी" के नारे लगाते हुये सदन से बहिगर्मन कर गये।)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें।

माननीय अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण सदन नेता सदन माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति विश्वास व्यक्त करने के उपलक्ष्य में बधाई देता है और शुभकामना व्यक्त करता है।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, नेता विरोधी दल जी से मैं कहना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के 18 सदस्यों ने मुझ से मिलकर यह कहा था कि अगर विश्वास मत पर मत विभाजन की बात आई तो वे 18 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देंगे। मेरी उन्हें चुनौती है कि चाहें तो मत विभाजन करा लें उनकी पार्टी के 18 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हैं। मान्यवर, मेरी चुनौती को स्वीकार कर लें 18 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुलायम सिह यादव जी का समर्थन कर रहे हैं। यदि साहस हो तो मत विभाजन करके यहां देख लें।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरे पास माननीय प्रमोद तिवारी जी जैसा मक्खन नहीं है जो लगा सकूं। लेकिन जो विश्वास सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी सरकार को मिला है उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश के अन्दर लोकतंत्र की विजय हुई है। धर्मनिरपेक्षता की विजय हुई है। साम्प्रदायिक शक्तियों का मान मर्दन करके, [x x x] वे बाहर निकल गये हैं।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ऊदल–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति सदन में जो विश्वास प्रकट किया गया है उसके लिये मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी को और उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं यह भी चाहूंगा कि जिस प्रकार से सहयोगी दलों ने देश में साम्प्रदायिकता फैलाने वाली शक्तियों को तोड़ने के लिये कार्य किया है वह आगे भी करेंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, जैसा कि आपने स्वयं देखा है हाथ उठाकर कितने लोगों ने माननीय मुलायम सिंह यादव जी पर अपना विश्वास प्रकट किया है। मुझे पूरा यकीन था कि सदन के ज्यादा से ज्यादा सदस्य मुलायम सिंह यादव जी पर अपना विश्वास प्रकट करेंगे और उन्होंने यह दिखा भी दिया। जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा और मैं स्वयं यह दिखाना चाहता था कि कितने ही माननीय सदस्य भारतीय जनता पार्टी के ऐसे हैं जो उनके खिलाफ मत देकर माननीय मुलायम सिंह जी पर अपना विश्वास प्रकट करना चाहते हैं। फिर भी आपने सदन की भावना को देख लिया है, उसके विश्वास को देख लिया है। मैं इस मौके पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपनी ओर से, अपने उत्तराखण्ड क्रांति दल की ओर से वहां की जानता की ओर से बधाई देना चाहता हूं।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विपक्ष नहीं भागा है बल्कि प्रदेश से फासिस्टवाद भागा है। मैं जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने विश्वास प्राप्त किया है उसके लिये उन्हें बधाई देना चाहता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो समर्थन सदन के सम्मानित दल के नेताओं ने दिया है और जो बधाई दी है ? उसी के साथ कदाचित एक नयी चीज हुई, उसी की तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने विश्वास मत रखा था वह महामहिम राज्यपाल जी के निर्देश पर था और महामहिम राज्यपाल जी ने नयी सरकार को विश्वास मत लाने के लिये निर्देशित किया था और उस प्रस्ताव को माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी सदन में लाये लेकिन उस पर भा० ज० पा० के लोगों ने जो आचरण किया है मैं उसकी घोर निन्दा करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं माननीय जगदम्बिका पाल जी द्वारा रखे गये निन्दा प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि भा० ज० पा० के एक तिहाई सदस्य कल्याण सिंह जी पर अपना विश्वास नहीं रखते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या माननीय नेता विरोधी दल के पद पर यह बने रहने के पात्र हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सदैव से ही जिम्मेदारी से भागने वाला दल ने आज भी यह सिद्ध कर दिया है कि वह कितना जिम्मेदार है। मान्यवर, नियमावली के नियम 110 में यह हमें अधिकार है कि हम यह प्रस्ताव रख सकें, निन्दा का, संकल्प का, तो माननीय पाल जी ने जो निन्दा का प्रस्ताव रखा है मैं उस पर बल देता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि आप इसमें मतदान करा लें।

दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को सदन में घटी हिंसक घटना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो 16 दिसम्बर को घटना घटी है उस घटना की छाप उत्तर प्रदेश में पड़ी और उसका कोई समाधान आपकी ओर से नहीं आया। मान्यवर, हम लोग जनता के बीच में जाकर क्या बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी जो व्यवस्था का प्रश्न आपने उठाया है और उसके अन्दर जो तथ्य निहित है उस संदर्भ में सभी पार्टी के नेताओं से विस्तार में चर्चा हो चुकी है आज के लिये यह भी निश्चय किया गया था कि सभी पार्टी के नेता बिना कमेटी बनाये हुए खेद प्रकट करेंगे लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस वक्त मुख्य विरोधी पक्ष सदन से त्याग कर गया है। लेकिन फिर भी मैं अन्य पार्टियों के नेताओं से यह जरूर अपेक्षा करूंगा कि उस घटना के संदर्भ में संक्षेप में जो भी वह शब्द कहना चाहें, कहें। मैं सबसे पहले माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा। नेता सदन से भी अनुरोध करूंगा कि वह दो शब्द अगर कहना चाहें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, हम आपके माध्यम से सबसे पहले सभी दलों के नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, विशेष रूप से उनका, जो हमारे सहयोगी दल हैं। मानीनय ऊदल जी, जो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, माननीय मुख्तार अनीस जी, राम आसरे वर्मा जी, प्रमोद तिवारी जी, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के काशी सिंह ऐरी जी तथा निर्दलीय सदस्य तथा अन्य सभी माननीय सदस्य, जिन्होंने इस सरकार को समर्थन देकर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को पारित किया और सरकार के प्रति विश्वास मत का प्रस्ताव भी पारित किया। मान्यवर, आपके सामने 243 सदस्य हैं, जिन्होंने इस सरकार के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया। उधर के लोग गैर हाजिर हैं, हमेशा मैदान से भागते हैं, कायर लोग हैं। आज भी इन्होंने कायरता का परिचय दिया है, भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, चोरी से वार करने का, वह चरित्र आज भी इन्होंने दिखा दिया। काशी सिंह ऐरी जी ने मत विभाजन की मांग की, उसको भी नहीं माना।

मान्यवर, आज यहां विश्वास मत प्राप्त हुआ और संसदीय परम्परा के अनुरूप माननीय नेता विरोधी दल को खड़े होकर चाहिये था कि वह सरकार को बधाई देते, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देते, इससे ज्यादा इनकी निन्दा और क्या की जा सकती है, जनता ने बहुत निन्दा कर दी है। मान्यवर, 16 तारीख के संबंध में कहना चाहेंगे जो यहां पर एक अमर्यादित घटना हुई, उसके लिये हम

सभी को खेद है, लोकतंत्र में संविधान को मानने वालों, नियमों कानून को मानने वालों सभी को खेद है, ऐसी घटनाओं को कोई प्रोत्साहन दे भी नहीं सकता । मान्यवर, आज हंसी खुशी का माहौल है और सभी लोग प्रसन्नचित्त होकर अपने-अपने घरों को जायेंगे । 16 तारीख की घटना को हम तो लोकतंत्र में काला धब्बा ही मानेंगे, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कभी इस सदन में न हो, इसका संकल्प भी हम लोगों को लेना चाहिये ।

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय नेता सदन और अन्य दलों के नेतागण । मैं अपने दल की ओर से माननीय अध्यक्ष महोदय आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और सभी सदस्यों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही आपके माध्यम से इस सदन की कार्यवाही सम्पन्न कराने के लिये, सचिव, विधान सभा सचिवालय का जो स्टाफ है, उसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं । लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के लिये भी अपना आभार व्यक्त करता हूं । जिस एकता का परिचय इस सत्र में माननीय सदस्यों ने दिया है, आगे भी वही एकजुटता का प्रदर्शन करते रहेंगे तथा एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे । हो सकता है, हमारे आपके विचारों में कहीं अन्तर हो, उसके लिये दो कदम आपके आगे बढ़ेंगे तो दो कदम हम पीछे हटेंगे और जब हम दो कदम आगे बढ़ेंगे तो आप दो कदम पीछे हटेंगे और एकरूपता के साथ इन साम्प्रदायिक शक्तियों का इस चुनौती का मुकाबला करेंगे, साथ ही जो साम्प्रदायिकता का नाग है, उसको पूरी तरह से कुचलने में कोई संकोच नहीं करेंगे । 16 दिसम्बर की घटना मान्यवर, शर्मनाक है, दुखद है, लोकतंत्र के इतिहास में एक कलंक है । ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, 16 दिसम्बर को जो घटना घटित हुयी उसके लिये खेद प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि इस तरह की घटना भविष्य में घटित न हो ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, 16 दिसम्बर को छोड़कर अन्य दिनों में सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चली और उसमें मान्यवर, आपका जो सहयोग रहा, मार्गदर्शन रहा, उससे हम सभी लोग लाभान्वित रहे । विधान सभा का जो भी स्टाफ था, साधारण कर्मचारी से लेकर सचिव स्तर तक उनका तथा पत्रकारों का भी सहयोग मिला वह भी बधाई के पात्र हैं और अच्छे माहौल में आप–हम उठने जा रहे हैं, एक भाईचारे के माहौल में जो इस समय देखने को मिल रहा है । माननीय मुलायम सिंह यादव जी और उनकी सरकार के प्रति विश्वास भी इसी घड़ी में उनको मिला । 16 दिसम्बर को जो घटना घटी, वह बहुत दुखद रहा, उसके लिये किसी को आरोपित करना, दोषी करार देना उचित नहीं है । हम यह जानते हैं कि यह दोष हम सब का था, उसकी पुनरावृत्ति न हो उसकी हम सब की मिलीजुली जिम्मेदारी है ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही सूझबूझ से सदन का संचालन किया और इसके साथ-साथ आपके विधान सभा सचिवालय के सचिव से लेकर जो अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनका भी सहयोग इस सदन को चलाने में रहा । साथ ही प्रेस के लोगों को भी जो इस विधान सभा का संचालन हुआ, उसमें जो कुछ कहा गया उसकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी तरह से की, उनको भी धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, 16 तारीख को जो कुछ हुआ वह संसदीय इतिहास में और उत्तर प्रदेश के

संसदीय इतिहास में मैं समझता हूं एक अभूतपूर्व घटना थी । उस घटना के प्रति हम और हमारा दल बहुत ही दुखी है । मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होंगी और संसदीय मर्यादाओं को पूरा करते हुए यह सदन प्रदेश की जनता की जो अपेक्षायें हैं, गरीबों, दलितों की उनको यह सदन पूरा करेगा । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके प्रति धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं ।

श्री महबूब अली–

मान्यवर, मैं अपनी तरफ से, अपने दल की तरफ से 16 तारीख को जो घटना सदन में घटी उसके प्रति खेद व्यक्त करता हूं और भविष्य के लिये यह संकल्प भी है कि मेरा अपनी तरफ से और अपनी पार्टी के तरफ से उसकी पुनरावृत्ति मेरी ओर से नहीं होगी ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, विधान सभा का यह प्रथम सत्र था और सभी लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि 16 तारीख की घटना के अलावा यह पूरा सत्र बहुत गरिमामय रहा, काफी काम हुये, कई नये माननीय सदस्यों को भी अपनी भावना प्रकट करने का मौका मिला और एक नई परम्परा की शुरूआत हुई । इसके लिये मान्यवर, इससे संबंधित सभी पक्षों को, माननीय नेता सदन को, संसदीय कार्य मंत्री जी को, नेता प्रति पक्ष को और सभी दलों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं इससे संबंधित सभी अधिकारी/कर्मचारी को और सबसे ज्यादा मान्यवर, आपको भी धन्यवाद देता हूं, इस सफल संचालन के लिये भी बधाई भी देता हूं । मान्यवर, जहां तक 16 तारीख की घटना का सवाल है एक बात हुई थी आपकी उपस्थिति में, मुझे एक ही बात का अफसोस है कि माननीय उप-नेता प्रतिपक्ष श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त भी उस मीटिंग में थे उन्होंने सहमति व्यक्ति की थी और कहा था कि हम सबको खेद व्यक्त करना चाहिए । वह दुर्भाग्य से अभी खेद व्यक्त करने के लिये उपस्थित नहीं है । उनकी भावनाओं से अपने को मिलाते हुए मैं अपनी ओर से खेद व्यक्त करता हूं और आपको आश्वस्त करता हूं कि हम हमेशा संसदीय परम्पराओं का निर्वहन करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आपके सफल संचालन में तथा नेतृत्व में विधान सभा गरीबों की आवाज को बुलन्द करने के लिए तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक कारगर उपाय बन सकेगा । पुनः मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं ।

कार्य-सूची की शेष मदों को समाप्त किये जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–16 से 20 –क तक की सभी मदें समाप्त की जाती हैं ।

सदन के संचालन में सहयोग हेतु धन्यवाद ज्ञापन

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी के चारों ओर इस तरह से जिस प्रकार माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं, इसके लिए आप उन्हें निर्देशित कर सकते हैं।

श्रीमन्, इस लघु सत्र में आपका जो विद्वतापूर्ण संचालन रहा उसके प्रति हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देंगे। आपने एक परिपक्व व्यक्तित्व और बुद्धिमता का यहां पर परिचय दिया और साथ ही यहां पर जितने भी दलों के नेता है, उन सभी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस सदन की कार्यवाही को नियमपूर्वक व विधिपूर्वक चलाने में सहयोग दिया। हमारे विधान सभा सचिवालय के सचिव सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पूरी तरह से निष्ठा से इस सत्र में सहयोग दिया इस सत्र को कुशलतापूर्वक सम्पन्न कराने के लिए। इन सभी लोगों के प्रति भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थोड़ा कष्ट इस बात का है कि सामने की कुर्सियां खाली हैं, लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरी तरह से हमारे विरोध पक्ष ने पालन नहीं किया है। उनको यहां पर उपस्थित रहना चाहिए था। खासतौर से आपको और सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए था। वह कभी भी नियमों में चलने वाले लोग नहीं रहे हैं, इसलिए उनका परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी एक बार हम अपनी ओर से पुनः आपको और सचिवालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके श्रम व योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

सदन को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष–

अब हम सभी लोग राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जायं ।

जन-गण-मन अधिनायक जय हे ।

भारत–भाग्य विधाता ॥

पंजाब–सिन्धु–गुजरात–मराठा,

द्राविड़–उत्कल–बंग ॥

विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा,

उच्छल ज़लधि तरंग ॥

तव शुभ नामे जागे

तव शुभ आशिष मांगे ॥

गाहे तव जय गाथा ॥

जन–गण–मंगलदायक जय हे,

भारत–भाग्य विधाता ॥

जय हे, जय हे, जय हे,

जय जय जय, जय हे ॥

(सभी सदस्यों ने खड़े होकर राष्ट्रगान गाया ।)

(इसके बाद सदन 5 बजकर 50 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ : **प्रेम चन्द्र सक्सेना,**

22 दिसम्बर, 1993 सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

पी० एस० यू० पी०–एल०–178 विधान सभा (295)–26-2-94–813 (डी० टी० पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा